

CONTENTS

**Sixteenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka)
No. 2, Tuesday, December 19, 2017/ Agrahayana 28, 1939 (Saka)**

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 41 to 43	13-43
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 44 to 60	44-97
^a Unstarred Question Nos. 461 to 646 and 648 to 690	98-619

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

^a Unstarred Question No.647 was deleted due to resignation by Member .

PAPERS LAID ON THE TABLE 621-632

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
20th and 21st Reports 633

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
35th and 36th Reports 633-634

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS
AND FERTILIZERS
40th Report 634

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
139th Report 634

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
284th and 285th Reports 635

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
93rd and 94th Reports 635

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on 'Functioning of Autonomous Institution - Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

636

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Krishanpal Gurjar

636-37

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri C.R. Chaudhary 637

**MOTION RE: 47TH REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE** 638

SUBMISSIONS BY MEMBERS

- (i) Re: Retention of Head Office of Hindustan Steelworks Construction Limited at Kolkata 658-659

- (ii) Re: Need to take up with China on the issue of contamination of River Siang in Arunchal Pradesh 665-668

MATTERS UNDER RULE 377 671-700

- (i) Need to provide adequate human resource for public service in government departments in States particularly in Jharkhand

Shri Vishnu Dayal Ram 672

- (ii) Need to ban pesticides harmful to human in the country

Shri Maheish Girri 673

- (iii) Need to provide insurance cover for women who suffer from depression

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 674

- (iv) Need to exempt players and coaches from paying toll tax on national highways
Shri Sumedhanand Saraswati 675
- (v) Need to promote lichen-farming and research in the country particularly in Gujarat
Shrimati Jayshreeben Patel 676
- (vi) Need to construct ROB at Rafiganj and Guraru railway stations in Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 677
- (vii) Need to establish a Passport Sewa Kendra/Post Office Passport Sewa Kendra in Latehar district of Jharkhand
Shri Sunil Kumar Singh 678
- (viii) Need to amend Environment (Protection) Act, 1986 to save stone crushing industry in Jharkhand
Shri Ravindra Kumar Ray 679
- (ix) Need to establish a Textile Park in Jalgaon in Maharashtra
Shri A.T. Nana Patil 680
- (x) Need to continue operation of trains on metre gauge railway line from Mavli to Marwar in Rajsamand Parliamentary Constituency
Shri Hariom Singh Rathore 681
- (xi) Need to provide compensation to farmers whose land falls beyond the fencing on international border
Shri Nihal Chand 682

- (xii) Need to improve healthcare and nutritional services in Bundelkhand region of Uttar Pradesh
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 683
- (xiii) Need to provide financial assistance to drought affected Madhya Pradesh
Shri Ganesh Singh 684
- (xiv) Need to increase the honorarium of Aanganwadi workers in the country
Shri Jagdambika Pal 685
- (xv) Need to grant the status of 'Shaheed' to Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and other revolutionaries of Indian Freedom Movement
Shri Sharad Tripathi 686
- (xvi) Need to extend the dam on river Kosi in Supaul and Madhubani districts to Saharsa district in Bihar
Shrimati Ranjeet Ranjan 687
- (xvii) Need to set up an AIIMS like institute at Kozhikode, Kerala
Shri M. K. Raghavan 688
- (xviii) Need to grant 'Shaheed' status to personnel of paramilitary forces and also take welfare measures for them
Shri Deepender Singh Hooda 689

- (xix) Need to continue Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, the National Research Centre for Banana, Tiruchirappalli and the Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai as the premier Research Centres under ICAR
Shri P. Nagarajan 690-691
- (xx) Need to discourage youngsters from playing 'Blue Whale' game
Dr. Ratna De (Nag) 692
- (xxi) Need for improvement in BSNL services in Nabarangpur Parliamentary Constituency of Odisha
Shri Balabhadra Majhi 693
- (xxii) Need to provide remunerative price of paddy and soyabean to farmers in Maharashtra
Shri Krupal Balaji Tumane 694
- (xxiii) Need to set up a CGHS dispensary at Kannur in Kerala
Shrimati P.K. Shreemathi Teacher 695
- (xxiv) Need to set up a railway Zone at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh
Shrimati Kothapalli Geetha 696
- (xxv) Need to regulate use and sale of pesticides in the country
Shrimati Supriya Sule 697
- (xxvi) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Mainpuri district, Uttar Pradesh
Shri Tej Pratap Singh Yadav 698

(xxvii) Regarding rural electrification in Hisar
Parliamentary Constituency of Haryana

Shri Dushyant Chautala 699

(xxviii) Regarding late running of train in Trivandrum
Division of Southern Railway

Shri Jose K. Mani 700

REPEALING AND AMENDING BILL, 2017

AND

REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2017 701-740

Motion to consider 701

Shri Ravi Shankar Prasad 701-705
733-738

Shrimati Meenakashi Lekhi 706-709

Shri Kalyan Banerjee 710-715

Shri Pinaki Misra 717-722

Shri Vinayak Bhaurao Raut 723-724

Dr. Ravindra Babu 725-727

Adv. Narendra Keshav Sawaikar 728-730

Repealing and Amending Bill, 2017

Clauses 2 to 4 and 1 739

Motion to Pass 739

Repealing and Amending (Second) Bill, 2017

Clauses 2 to 4 and 1 740

Motion to Pass 740

CENTRAL ROAD FUND (AMENDMENT) BILL, 2017 741-825

Motion to consider 741

Shri Nitin Gadkari 741-744
812-824

Shri Rajiv Pratap Rudy	745-751
Prof. Saugata Roy	752-756
Dr. Rabindra Kumar Jena	757-760
Shri Arvind Sawant	761-763
Shri Kesineni Srinivas	764-767
Shri Konda Vishweshwar Reddy	768-771
Dr. P.K. Biju	772-774
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	775-776
Shri Om Birla	777-780
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	781-782
Shri Prem Singh Chandumajra	783-784
Shri Dharmendra Yadav	785-786
Shri Sirajuddin Ajmal	787-789
Shri Dushyant Chautala	790-792
Shri Harishchandra alias Harish Dwivedi	793-795
Shri Kaushalendra Kumar	796-797
Shri Rajesh Ranjan	798-799
Shri Kamakhya Prasad Tasa	800-801
Dr. Shrikant Eknath Shinde	802-803
Shri Vara Prasad Rao Velagapalli	804
Shri Bishnu Pada Ray	805-806
Shri Gajanan Kirtikar	807-808
Shri Idris Ali	809-810
Shrimati P.K. Shreemathi Teacher	811
Clauses 2 to 6 and 1	825
Motion to Pass	825

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 2017	826-835
Motion to consider	826
Shri Hardeep Singh Puri	827-829
Shri Ramesh Bidhuri	830-835

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	836
Member-wise Index to Unstarred Questions	837-842

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	843
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	844

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 19, 2017/Agrahayana 28, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 41, श्री चंद्रकांत खैरे जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please do not raise any matter now; not in the Question Hour.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना विषय बाद में जीरो आवर में सदन में उठायें।

... (व्यवधान)

11.02 hours

At this stage Shri Jai Prakash Narayan Yadav came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

11.02 ½ hours

At this stage Shri Jai Prakash Narayan Yadav went back to his seat.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं।

... (व्यवधान)

11. 03 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER:** Question No. 41, Shri Chandrakant Khaire.**(Q. 41)**

श्री चन्द्रकांत खैरे: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, ...(व्यवधान) यह बात सही है कि 7,32,00,000 व्यक्ति ड्रग्स एवं अल्कोहल का सेवन करते हैं।...(व्यवधान) भारत में यह संख्या ज्यादा बढ़ रही है और हम सारे लोग उसके लिए चिंतित हैं।...(व्यवधान) क्या सरकार को ज्ञात है कि ड्रग लेने के कारण आत्महत्या की घटनायें बहुत हो रही हैं। ...(व्यवधान) बहुत लोग ड्रग लेकर आत्महत्या कर रहे हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक उसमें काफी बढ़ोतरी हुयी है। उसमें युवकों की संख्या ज्यादा है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not raise anything now.*... (Interruptions)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने "मन की बात " कार्यक्रम में भी इस पर चिंता व्यक्त की है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed only the question and answer to go on record; that is all.*... (Interruptions)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: सरकार ने इस समस्या को कैसे समाप्त करने की योजना बनायी है? ...(व्यवधान) साथ ही, डी-एडिक्शन सेन्टर्स यानी नशा मुक्ति केन्द्र ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसमें 10 प्रतिशत लोग ही रजिस्टर्ड करते हैं।...(व्यवधान) उसमें ज्यादा से ज्यादा चिंता व्यक्त करके हम लोगों को नशे से मुक्त करें, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी आप बैठ जाइए।*... (व्यवधान)*

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, if they are speaking without your permission, it should not go on record. ...
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have already said that only the question and answer will go on record.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक बात सुन लीजिए। चुनाव हो चुके हैं, जनता के चौक पर जो बातें होती हैं, यहां नहीं होगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, जो हो गया, जनता ने कॉल दे दिया, मैं यहां वह विषय नहीं उठाने देने वाली हूं। यह होता है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जनता चौक के भाषण यहां नहीं आयेंगे, यहां पार्लियामेंट की बात होगी।

...(व्यवधान)

11.04 hours

At this stage Shri Rajiv Satav and some other hon'ble members came and stood on the floor near the Table.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जो सर्वेक्षण 2001 में हुआ था, उसमें नशाग्रस्त लोगों की संख्या 7,32,00,000 थी,...(व्यवधान) मगर यह संख्या बहुत कम थी, इसका सैम्पल बहुत छोटा था, यह मान्य नहीं हुआ था।...(व्यवधान) इसको मान्यता नहीं

मिली थी। ... (व्यवधान) उन्होंने इसके बारे में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक की जानकारी मांगी है।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 का जो सर्वेक्षण हुआ था, उसकी रिपोर्ट वर्ष 2004 में प्रस्तुत की गयी थी।... (व्यवधान) मगर वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ।... (व्यवधान) जबकि हर पाँच वर्ष के बाद सर्वेक्षण होना चाहिए था। हमारी सरकार के आने के बाद हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। ... (व्यवधान) एनडीडीटीसी (नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर), जो एम्स का एक उपक्रम है, के साथ मंत्रालय ने एक एमओयू साइन किया है, जिसकी रिपोर्ट मार्च, 2018 तक आने की उम्मीद है। उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई या कमी आयी है, इसकी जानकारी उस रिपोर्ट के आने के बाद मिलेगी। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए और अधिक सेन्टर उपलब्ध कराने की जरूरत है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे देश के 57 जिलों में 424 इरका (इंटिग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर एडिक्ट्स) सेन्टर्स हैं। ... (व्यवधान) उनके रिक्मेंडेशंस जिलास्तर और प्रदेशस्तर पर आते हैं। उसके साथ यदि कोई डिमांड आती है, तो वित्तीय सहायता देते हैं। इसलिए यदि कोई डिमांड आएगी, तो उसे हम पूरा करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदया, माननीय मंत्री जी ने तो अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी की थी कि स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों को अल्कोहलिक और ड्रग्स के प्रभाव से बचाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स वाले घूमते रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की जो यंत्रणा होती है, उनको इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : Please go to your seats. यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। आप लोग इसे समझें। इसमें आप लोगों के भी प्रश्न हैं।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: ऐसे लोग विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाकर उनको नशे में लाते हैं, मैं कहूँगा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस नेशनल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया था, वह तो करना चाहिए। इसे आप कब बनाएंगे? ... (व्यवधान) यह सत्य है कि भारत में नशे के आदी लोगों में से 20 प्रतिशत 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। यह संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह देश के लिए एक चिन्ता की बात है। नशा-मुक्ति के लिए किये जाने वाले कार्यक्रमों में स्कूलों और कॉलेजों को शामिल करके क्या सरकार इसे कंट्रोल करेगी? ... (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान) उन्होंने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश दिये हैं कि कोई नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। निश्चित रूप से, हम उस निर्देश के अनुसार एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2012 में नशा-मुक्ति की नीति बनायी गयी थी। ... (व्यवधान) उस नीति पर पुनर्विचार भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल तक उसे फाइनल करके उस पर अमल शुरू करेंगे। जहाँ तक अवारा बच्चों और स्कूल-कॉलेजों के बच्चों में स्मैक, इंजेक्शन द्वारा नशा करने या अन्य प्रकार के पदार्थों द्वारा नशे के सेवन की बात है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ जो नशा-मुक्ति केन्द्र हैं, उनमें जब हम उनको नशा-मुक्ति के लिए बुलाते हैं, तो लोगों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा होती है। ... (व्यवधान) हम उनके पुनर्वास करने की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे यह भी सिद्ध होता है कि हमने अधिक संख्या में लोगों को नशामुक्त कराने की कोशिश की है और उसमें सफलता मिल रही है। हमने वर्ष 2015 में मणिपुर और पंजाब में सर्वे कराया था। ... (व्यवधान) वर्ष 2015-16 में दिल्ली में, जैसा कि आपने चिन्ता व्यक्त की कि आवारा टाइप के बच्चे स्कूल-कॉलेजों के आसपास घूमते हैं और नशीले पदार्थों की सप्लाई करते हैं तथा स्वयं भी उनका उपयोग करते हैं और अन्य बच्चों की आदत बिगाड़ते हैं। ... (व्यवधान) इसका भी सर्वे कराया गया है। इन सबकी रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की एक संयुक्त समिति है, जो समय-समय पर बैठक करके एक कार्य-योजना बनाती है। हम उस पर अमल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: धन्यवाद अध्यक्ष जी। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. This is not proper. Your behaviour is also not proper.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष जी, नशे के कारण, विशेषकर शराब की वजह से, देश में जन-धन की बहुत ही हानि हो रही है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इसके कारण गरीब परिवारों की हालत बहुत ही खराब है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भैरों प्रसाद जी, एक मिनट रुकिए।

श्री अनन्तकुमार: मैडम, मैं आपके द्वारा एक अपील करना चाहता हूँ।

मैडम, चुनाव हो चुका है और जनादेश मिल चुका है। पूरा सदन प्रश्न काल में भाग लेना चाहता है। हमारे कांग्रेस के मित्र वैल में आए हैं। हमारे कांग्रेस के सांसद मित्रों से मैं निवेदन करना

चाहूंगा कि कृपया वे अपनी सीटों पर जाएं और बहस में और प्रश्नकाल में पार्टिसिपेट करें। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।... (व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्ष जी, नशे के कारण, विशेषकर शराब की वजह से, देश में जन-धन की बहुत ही हानि हो रही है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार इससे बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। शराब की दुकानें विशेषकर ऐसे ही क्षेत्रों में खुलती हैं। अभी निर्देश गया था कि सड़क के किनारे घनी आबादियों में शराब की दुकानें न खोली जाएं, लेकिन घनी आबादियों में इन दुकानों को खोल दिया गया है। इससे लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकारों ने इसे जिस प्रकार राजस्व का एक जरिया बना रखा है, क्या इसको देखते हुए पूर्ण देश में शराबबंदी की कोई नीति यह सरकार बनाएगी?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, सामान्यतः यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। यदि केंद्र सरकार इस पर कुछ कहेगी, तो संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा। इसलिए, राज्य सरकारें यदि यह व्यवस्था करना चाहें, तो वे ऐसा कर सकती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : थोटा नरसिम्हम जी।

... (व्यवधान)

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam, I thank you for giving me this opportunity... (*Interruptions*)

I want to know from the hon. Minister whether there is any particular agency to access data relating to De-Addiction Centres in India. Has the Government allocated any specific amount in the Budget to curb drug abuse and to maintain De-Addiction Centres? Is the Government planning to set up any specific agency at State level to monitor Rehabilitation and De-Addiction Centres? Does the Government have any mechanism to create awareness to reduce drug abuse and addiction particularly among the youth of India?...

(*Interruptions*)

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हमारे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय सांपला साहब ने बताया कि सन् 2001 में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के बारे में एक सर्वे हुआ था। हालांकि, वह सर्वे संपूर्ण देश के लिए नहीं हुआ था। वह एक सैंपल सर्वे था, फिर भी उसमें 7 करोड़ 32 लाख

की संख्या आई थी। बाद में हमने मणिपुर, दिल्ली और पंजाब का सर्वे भी करवाया था। अब हमने देश के 36 राज्यों में इस सर्वे को कराने का कार्य हाथ में लिया है। एम्स से संबंधित एक संस्था है, जिसे हमने सर्वे एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। इस काम के लिए 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 18 करोड़ रुपए की राशि हम उनको दे चुके हैं। सर्वे कार्य गति पर है। मार्च 2018 तक जब यह सर्वे आएगा, तो उसमें जो आंकड़े आएंगे, उससे हम सभी को अवगत कराएंगे।....(ब्यवधान)

(Q. 42)

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने विंटर सेशन इसीलिए मांगा था, चिल्लाने के लिए!

...(व्यवधान)

SHRI M.B. RAJESH: Madam, we are witnessing much hype about 'Ease of Doing Business' today. But I would like to talk about ease of doing farming. The National Commission on Farmers had recommended MSP on the basis of a formula of cost of production plus 50 percentage... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: They are not worried about drug abuse. They are not worried about farmers

... (*Interruptions*).

SHRI M.B. RAJESH: This Government has not implemented the recommendations of the Swaminathan Commission. Yesterday, the Finance Minister has stated that the Gujarat result is a verdict on GST. If that is correct, will the Government accept that the Gujarat rural result is a verdict on their agricultural policies including MSP? So, my question is this. In the last three years the rate of growth of MSP has been low in 9 out of 11 crops. I would like to know whether the hon. Minister will assure the House that the Government will implement the Swaminathan formula on MSP in a time-bound manner. ... (*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, माननीय सदस्य का सवाल राजनैतिक भी है और गुजरात चुनाव से भी संबंधित है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप राजनैतिक उत्तर चाहें तो न दें।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, उसका उत्तर वहां की जनता ने दे दिया है। लेकिन जहां तक स्वामीनाथन जी की अनुशंसा का सवाल है, अपनी अनुशंसा में जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, सरकार मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रति वर्ष समर्थन मूल्य बढ़ाती है।...(व्यवधान) उनकी सिफारिशों में ए-2, एफएल, सी-2 इत्यादि कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं।...(व्यवधान) इसके लिए हमने कुछ नोट्स बनाकर स्वामीनाथन जी के पास भेजे हैं कि आप इस पर

स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य दें, चूंकि आयोग के बारे में कई प्रकार की सिफारिशें उन्होंने की थीं।... (व्यवधान) लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा होनी चाहिए तो इसके लिए लागत एवं मूल्य आयोग की जो सिफारिशें आती हैं, 16 राज्यों से उनके माध्यम से जानकारी ली जाती है और आयोग के द्वारा समय-समय पर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एमएसपी निर्धारित किया जा रहा है।... (व्यवधान) कई राज्य ऐसे हैं, जहां किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। मैं माननीय रामविलास जी को जरूर बधाई दूंगा कि वह लगातार प्रयत्न कर रहे हैं।... (व्यवधान) राज्य सरकारों के साथ वह मीटिंग भी करते हैं कि जो एमएसपी तय है, वह किसानों को मिले।... (व्यवधान)

SHRI M.B.RAJESH: Madam, my question was whether the Union Government will implement the promise of MSP on the basis of the recommendations of the Swaminathan Commission.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: The hon. Minister has said that they have sent it. He has replied to your question.

... *(Interruptions)*

SHRI M.B. RAJESH: Madam, my second supplementary is about doubling the income of the farmers. Doubling the income of the farmers was another important promise made by this Government. The real income of the farmers has been stagnating for the last three years.... *(Interruptions)*

In order to increase the income of the farmers MSP is very crucial. I would like to know whether the Government will introduce a legislation to ensure that farmers will not be forced to sell their products below MSP. I would like to know if the Government is ready to bring forth such legislation.... *(Interruptions)*

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है।... (व्यवधान) हमने बजटीय आबंटन भी बढ़ाया है। बजटीय आबंटन के अलावा कॉर्पस फण्ड भी बनाया गया है। जहां तक कानून बनाने का सवाल है, इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Ms. Susmita Dev.

... *(Interruptions)*

श्री अर्जुन लाल मीणा: महोदया, माननीय मंत्री जी ने एमएसपी के संबंध में जो जवाब दिया है, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ।...(व्यवधान)

मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार राजस्थान राज्य की विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चोला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अरण्डी, ग्वारपाठा तथा मेहंदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई विचार रखती है?... (व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, 22 मुख्य फसलों का इस समय एमएसपी तय है और जिन फसलों के एमएसपी तय नहीं हैं, उनका राज्य में दस फीसदी ज्यादा उत्पादन होता है और कीमतें गिरती हैं तो राज्य सरकार के प्रस्ताव आने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है।...(व्यवधान) मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले दो वर्षों में बाजार हस्तक्षेप योजना को राज्यों के प्रस्ताव आने पर बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इसके माध्यम से अभी किसानों को राहत दी जाती है। ... (व्यवधान)

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : मैडम, रसोई में आग लगी हुई है। पहले तो प्याज काटने में आंसू आ जाता था, अभी तो बाजार जाकर प्याज खरीदने में आंसू आ जाता है। मैं प्रश्न पूछना चाहती थी कि ... (व्यवधान)

Madam, the wholesale price inflation rose to 3.93 per cent last month mostly due to rise in onion and tomato prices among other vegetables. The price rise was upto 59.8 per cent, but in the case of onions, the price rise was the highest which stood at 178.19 per cent.

The hon. Minister has said that controlling onion price is not in his hand and also export of onions was restricted. My question through you Madam is whether onion is being imported from outside, how much of onions are being bought, at what price and from which countries. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Your supplementary does not come under this Question as it relates to only MSP.

Shri Sunil Jakhar, do you want to ask any supplementary?

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR: No, Madam. ... (Interruptions)

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वर्ष 2017-18 के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की है, उसके लिए पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो समर्थन मूल्य जारी होता है, मंडियों में उससे कम दाम पर किसानों की फसल

को खरीदा जाता है। उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू की। समर्थन मूल्य से कम दाम पर यदि मंडियों में कोई चीज़ बिकती है, तो उसके बीच की राशि को हमारी सरकार ने अपने खजाने से किसानों के खाते में देने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य से कम भाव पर यदि मंडियों में अनाज खरीदा जाता है, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने पहले भी कहा कि जो समर्थन मूल्य, जिन जिनसों को घोषित है उसमें जो राज्य सरकारें राशि देती हैं, वह फूड एण्ड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से विकेंद्रित व्यवस्था के द्वारा राज्यों की मशीनरी ही खरीदती है। इसके अलावा जो दलहन, तिलहन और कपास है, जिनका समर्थन मूल्य घोषित है। राज्य के प्रस्ताव आने पर पी.एस.एस. योजना के तहत खरीदारी होती है, लेकिन मशीनरी राज्य सरकार की होती है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दूंगा कि उसने एक नई व्यवस्था शुरू की है। भारत सरकार से अप्रूवल लिया है और हरियाणा में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव है। मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि जो समर्थन मूल्य है, वह किसानों को मिले। यह सुनिश्चित करें, भारत सरकार उनके साथ है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Madam, the question asked by the hon. Member is whether an increase in the Minimum Support Price of various agricultural produce has been considered by the Government of India while increasing the MSP of different commodities. He has not mentioned about paddy, and paddy is also one of the major crops produced by the agriculturists throughout the country. Various States and agriculturists have also been demanding and emphasising the need to increase the MSP of paddy. Why has the hon. Minister not mentioned about paddy? Madam, I request the hon. Minister to answer my question.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, सवाल में रबी फसलों के लिए पूछा गया था, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने बताया कि 22 फसलों के समर्थन मूल्य तय होते हैं जिसमें धान के भी समर्थन मूल्य तय होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि खरीफ के सीजन में धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। अब हम सब मिलकर राज्यों में सुनिश्चित करें कि जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, उसकी खरीदारी हो।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी चुनावी सभाओं में हुआ है, उसे लेकर प्लीज हाउस को डिस्टर्ब मत करो।

... (ब्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow all these things. आप पूरी सभा को डिस्टर्ब कर रहे हो।

... (ब्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. Please go back to your seats. अभी यहां कुछ नहीं होगा।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will not allow anything of this sort.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43.

(Q. 43)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस देश में जो आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं,...(व्यवधान) उनको रोकने के लिए और हमारी फोर्सों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ और सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ।...(व्यवधान) कल देश में दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो हमारी जीत हुई तो मैं अपोजीशन की हालत को समझ सकता हूँ और मैं यह भी कह सकता हूँ कि यदि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इस देश में बार-बार चुनकर आएगी तो आतंकवाद की घटनाओं में हमें गिरावट देखने को मिलेगी।...(व्यवधान)

मैं गृह मंत्री जी से पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जो यूथ हैं, वे हमारी फोर्सों को ज्वाइन करें, उन्हें मोटिवेट करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो कश्मीर का यूथ है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको सैकिंड सप्लीमेंटरी मिलेगा, उसमें पूछ लेना।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मेरा पहला सवाल यह है कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं और जो हमारा कश्मीर का यूथ है,...(व्यवधान) जो वहां विभिन्न वारदातों में लिप्त होता है, उन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री से एजुकेशन के साथ या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से खेलों में बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. Otherwise, I will name you. I am sorry. यह क्या है?

... (Interruptions)

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : देश में आतंकवादी हरकतों को रोकने में सरकार को सफलता मिली है, उस पर माननीय सदस्य ने अपने अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि देश के युवाओं को पुलिस फोर्सों, सुरक्षा बलों में भर्ती करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।...(व्यवधान) मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें एसपीसी, स्कूल पुलिस कैडेट के नाम से एक स्कीम चलाने वाले हैं, जिसे मान्यता मिली हुई है और इसे बहुत जल्दी लांच करके इसमें स्कूलों के बच्चों को पुलिस शिक्षण देने की योजना बनाई गई है।...(व्यवधान) इसके साथ ही कश्मीर के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए वहां एसपीओ की

भर्ती की गई। इस तरह से हमने वहां के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने का प्रयास किया है और साथ ही सीएपीएफ की भर्ती जारी की है और उसमें जम्मू-कश्मीर के युवाओं को भर्ती करने का सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मैडम, मैं सबसे पहले हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए देश के जवानों को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी दीवाली के मौके पर जवानों के साथ अपनी दीपावली मनाते हैं तो इससे जवानों का उत्साह और मनोबल बढ़ता है। ... (व्यवधान)

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोई जवान शहीद होता है तो हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके परिवार को राज्य सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है। हर राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग मदद दी जाती है। क्या कोई ऐसी एक योजना ला सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल कर उनके कल्याण के लिए कुछ करें? अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा को ले कर हमारी सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मिल कर एक अच्छी स्कीम जवानों के लिए ले कर आएँ, जिससे हम उनका मनोबल बढ़ा सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा हमारी फोर्सिज़ को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट हो सकें।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदया, सुरक्षा बलों के जो जवान शहीद होते हैं या पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उनके लिए हमारे गृह मंत्रालय से घोषित किया गया है, हमारे गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों ही घोषणा की थी कि ऐसे किसी भी शहीद परिवार को एक करोड़ रुपये से कम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ... (व्यवधान) इसी के चलते किसी भी जवान के शहीद होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रावधान दिया गया है। ... (व्यवधान) साथ ही साथ शहीद होने वाले जवानों के परिवार के सदस्य को नौकरी में भर्ती के समय भी प्रायोरिटी दी जाती है। ... (व्यवधान) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरीके से उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है।

महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों को भी भारत सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दिए जाने के बारे में विचार चल रहा है। ... (व्यवधान) पुरानी सरकार की तुलना में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो मदद नहीं दी गई, उससे कई गुना अधिक मदद हमारी सरकार द्वारा दी जा रही है। ... (व्यवधान) हम शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद, उनके बच्चों की स्कूल में पढ़ाई आदि के भी प्रावधान कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am requesting you again and again not to disturb the Question Hour.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सब प्रश्न काल को डिस्टर्ब मत कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नियम के अनुसार मैं आपको अलाऊ नहीं कर सकती हूँ और न ही करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी जो चाहे रिक्वेस्ट हो, वह नहीं मानी जाएगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक तरफ विंटर सेशन नहीं लगता है, इसलिए बाहर आप बातें करते हैं और अंदर आ कर सेशन को डिस्टर्ब करते हो?

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not do that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am requesting you again and again not to disturb the Question Hour.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको सेशन नहीं चलाना है, लेकिन बाकी सबको चलाना है और अपने प्रश्नों के उत्तर लेने हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल को डिस्टर्ब मत कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप सेशन नहीं चलाना चाहते हैं तो लिख कर दे दें कि हम सेशन नहीं चलाना चाहते हैं।

... (ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विंटर सेशन बुलाने की तो बात करते हो। This is not proper at all.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.33 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.01 hours

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair.*)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अनेक विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थगन प्रस्ताव डिस्कशन में भी आयेंगे, 193 में आयेंगे, जो आपने विषय दिये हैं, उनमें से कुछ ज्वाइंट कमेटी के बिल में हैं, ज्वाइंट कमेटी का समय बढ़ा दिया गया है। कुछ स्थगन प्रस्ताव ऐसे हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए मैंने किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

12.02 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

...(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 3176(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं० का०आ०371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7712/16/17]

12.03 hours

(At this stage Shri Deepender Singh Hooda and some other hon'ble Members came and stood on the floor near the Table.)

...(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): महोदया, मैं श्री राव इन्द्रजीत सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7713/16/17]

(ख) (एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2016-2017 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7714/16/17]

(ग)(एक) हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7715/16/17]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7716/16/17]

(दो) हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7717/16/17]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7718/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7719/16/17]

(2) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) issued under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-

- (i) The Delhi Development Authority Engineering Cadre Posts Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.953(E) in Gazette of India dated 26th July, 2017.
- (ii) The Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1385(E) in Gazette of India dated 14th November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7720/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7721/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri P. Radhakrishnan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Finance Accounts of Union Government for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7722/16/17]

(ii) Appropriation Accounts of Union Government (Civil) for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7722A/16/17]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 44 of 2017)- Accounts of the Union Government (Financial Audit), for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7723/16/17]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 39 of 2017)- Rejuvenation of River Ganga (Namami Gange), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

[Placed in Library, See No. LT 7724/16/17]

- (iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 37 of 2017)(Performance Audit)-Implementation of Food Safety and Standards Act, 2006, Ministry of Health and Family Welfare.

[Placed in Library, See No. LT 7725/16/17]

- (iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 32 of 2017)-Compliance of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 7726/16/17]

- (v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 35 of 2017)-Sharing of Revenue by Private Telecom Service Providers upto 2014-2015 (Communications and IT Sector).

[Placed in Library, See No. LT 7727/16/17]

- (vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 41 of 2017)-(Compliance Audit) Department of Revenue-Customs, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7728/16/17]

- (vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 42 of 2017)-(Indirect-Taxes-Central Excise), Department of Revenue, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7729/16/17]

- (viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 43 of 2017)-(Indirect-Taxes-Service Tax), Department of Revenue, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7730/16/17]

- (ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 40 of 2017)-Department of Revenue-Direct Taxes, for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7731/16/17]

- (x) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 36 of 2017)-Induction of bio-toilets in Passenger Coaches in Indian Railways for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7732/16/17]

- (3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the First Quarter of Financial year 2017-2018, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 7733/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7734/16/17]

... (ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जिनका नाम बोलूँगी, केवल उन्हीं की बात रिकॉर्ड में जाएगी। अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (ब्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (नगरपालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2016 जो 7 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं0एफ0 13 (126) यूडी/एमबी/2014/420 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7735/16/17]

- (3) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7736/16/17]

- (5) सिख गुरुद्वारा, अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उप-धारा (3) के अधीन सिख गुरुद्वारा बोर्ड निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017 जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 1005 (अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7737/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7738/16/17]

(2)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7739/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7740/16/17]

(2) (एक) स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See Nos. LT 7741/16/17 and 7741A/16/17]

(4) (एक) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) सेंट एन्स मनोविकास केन्द्र, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7742/16/17]

- (6) (एक) मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7743/16/17]

- (8) (एक) भैरवी क्लब, खुर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरवी क्लब, खुर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7744/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949:-

- (i) The Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Principal Private Secretary) and Assistant Commandant (Private Secretary), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.426(E) in Gazette of India dated 2nd May, 2017.
- (ii) The Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Ministerial) and Assistant Commandant (Ministerial), Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.247 in weekly Gazette of India dated 12th August, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7745/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Land Ports Authority of India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Land Ports Authority of India, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7746/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7747/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7748/16/17]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7749/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Society of Agricultural Statistics, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Society of Agricultural Statistics, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7750/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Society of Economics Statistics, Mumbai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7751/16/17]

12.05 hours**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING**
20th and 21st Reports

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : महोदया, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ -

- (1) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन तथा पावर सिस्टम आपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड मैनेजमेंट के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 18 के आधार पर)।
- (2) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

12.05 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON DEFENCE**
35th and 36th Reports

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त) (गढ़वाल): महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ -

- (1) 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना (मांग संख्या 20) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन।
- (2) 'रक्षा सेवाओं, अधिप्रापण नीति और रक्षा आयोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक

सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन।

12.06 hours

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
40th Report

SHRI GEORGE BAKER(NOMINATED): I beg to present the Fortieth Report on the subject 'Implementation of New Urea Policy – 2015' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers(Department of Fertilizers).

12.06 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
139th Report

श्री जनक राम (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'निर्यातों पर माल और सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 139वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ।

12.07 hours**STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY**
284th and 285th Reports

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उद्योग संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 280वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 284वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 281वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 285वां प्रतिवेदन।

12.07 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC**
GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
93rd and 94th Reports

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice:-

- (1) Ninety-third Report on the Action Taken on Ninetieth Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- (2) Ninety-fourth Report on the Action Taken on Ninety-first Report of the Committee on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Law and Justice.

12.08 hours**STATEMENTS BY MINISTERS****(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on `Functioning of Autonomous Institution - Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers***

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ -

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्था इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)' के कार्यकरण के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): माननीय अध्यक्ष महोदया, श्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ -

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7752/16/17 and 7753/16/17 respectively.

12.08 ½ hours

- (ii) **Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7754/16/17.

12.09 hours

**MOTION RE: 47TH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER
OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I beg to
move:-

“That this House do agree with the Forty-seventh Report of the
Business Advisory Committee presented to the House on the 18th
December, 2017.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Forty-seventh Report of the
Business Advisory Committee presented to the House on the 18th
December, 2017.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, we will take up ‘Zero Hour’.

HON. SPEAKER: Shri K. Suresh.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri K. Suresh, do you want to say anything?

... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, first Kharge Ji will speak.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava. Is he there?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava – not present.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल - उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया!...(व्यवधान) आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को सदन में उठाने के लिए खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान) भारत सरकार द्वारा 27 सितम्बर को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसके अंतर्गत मोटर व्हिकल एक्ट 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई।...(व्यवधान) इसके तहत नियम 2 उप-नियम ख के अंदर शब्द 'कृषि ट्रैक्टर' परिवहन वाहन है, एक नॉन-ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर वाहन है।...(व्यवधान) सरकार द्वारा उसको निकाल कर ट्रांसपोर्ट कैटिगरी में डाला जा रहा है, जिसके माध्यम से किसान के ऊपर और आज ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।...(व्यवधान) सरकार द्वारा इस नियम के माध्यम से ट्रैक्टर के ऊपर अलग तरह के टैक्सेज़ लगाए जाएंगे; जैसे- टोल टैक्स हो, रजिस्ट्रेशन में गाड़ी के बराबर की रजिस्ट्री हो, चाहे आज उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जिसे वह खेत से मंडी तक लेकर जाता है, उसके ऊपर लिमिटेशन बाँधने की बात है। जो सबसे खतरनाक चीज है, आज पूरे नॉर्थ इंडिया का लगभग पूरा हिस्सा, एन.सी.आर. रीज़न में हरियाणा का 57 पर्सेंट आता है, यू.पी. के लगभग 11 जिलें आते हैं, राजस्थान का एक जिला आता है!...(व्यवधान) अगर यह नियम लागू हो गया तो कोई भी किसान दस साल की अवधि से पुराने ट्रैक्टर को इस प्रदेश के अंदर नहीं चला पाएगा!...(व्यवधान)

मेरी सरकार से यह माँग है कि सरकार इस गज़ट को, जो पूरी तौर पर किसान विरोधी है, तुरंत प्रभाव से विज़ों करके किसान को दुबारा non-transport vehicle for agriculture use tractor को डालने का काम करें। ... (व्यवधान) अगर सरकार द्वारा इसको ट्रॉसपोर्ट व्हिकल बनाया गया तो आज पुलिस वाले, ट्रैक्टर पर किसान का चलान नहीं काट सकते, परंतु उसके बाद पुलिस वाले हावी होकर किसान के ऊपर अलग-अलग प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। ... (व्यवधान) फिर तो, अगर किसान चप्पल पहनकर भी ट्रैक्टर चलाएगा, उसका भी चलान काटने का काम पुलिस विभाग करेगा। ... (व्यवधान) अगर किसान एक टन से ज्यादा अनाज चालीस सीसी के ट्रैक्टर पर ले कर जाएगा तो उसके ऊपर भी पुलिस चलान काटने का काम करेगी। ... (व्यवधान) मेरी यही माँग आपसे है तथा आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों की पार्टी हैं, मैं तो यही माँग करता हूँ कि जो यह गजट है, सरकार उसे तुरंत प्रभाव से वापस करें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भगवंत मान, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. कुलमणि सामल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री उदय प्रताप सिंह तथा डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव की एन.एस.जी. की सुरक्षा हटाये जाने से इनके जीवन पर भारी खतरा बढ़ गया है, इनकी हत्या भी हो सकती है, मामले की गंभीरता को देखते हुए, सदन में तत्काल इसकी चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान) मैं माँग करता हूँ कि आदरणीय श्री लालू जी को देश के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं और वह लगातार देश में गरीबों की आवाज़ बन कर लड़ते हैं, उनकी हत्या भी हो सकती है। ... (व्यवधान) मैं केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि उनकी एन.एस.जी. की जो सुरक्षा वापस हुई है, उन्हें तत्काल मुहैया कराया जाए। ... (व्यवधान) आदरणीय श्री लालू जी इस देश के करोड़ों लोगों की ताकत है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए, उनका एन.एस.जी. की सुरक्षा वापस किया जाए। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Vijay Kumar Hansdak – Not present.

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं, देश में जो सरकारी एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) पिछले पचास साल में एजुकेशन का जो स्तर है, वह लगातार गिरता जा रहा है, सरकारी स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों का भी। ... (व्यवधान) आज आम आदमी के लिए मुश्किल यह है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में भेजता है तो

वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही खराब हो चुका है, उसका कोई लेवल नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन इतने महँगे हैं, चाहे वह स्कूल, कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हों, वह उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है।...(व्यवधान)

मैडम, मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इस वक्त पंजाब सरकार जो काम कर रही है तथा अभी सदन में जो लोग नारे लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में आठ सौ सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ...(व्यवधान) एक तरफ पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज़ेशन हुई है, तो दूसरी तरफ एक ही जगह पर बच्चे इकट्ठे होते हैं, चाहे वे सरकारी स्कूल में पढ़ें हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें हैं, जब वे एक जगह पर टेस्ट देते हैं, तब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अपने-आप को बहुत ही बौना महसूस करते हैं।...(व्यवधान) उनके पास एजुकेशन की वैसी क्वालिटी नहीं होती है, जो टेस्ट इंटरनेशनल लेवल के लिए लिये जाते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, मैं आपके जरिए यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो मिड डे मील है, मैं पंजाब का एग्जाम्पल दूँ, वहाँ मिड डे मील बंद हो गया है।...(व्यवधान) मिड डे मील के फंडिंग को पोलिटिक्ल कारणों के लिए कहीं अन्य जगहों पर डायवर्ट कर दिया गया है।...(व्यवधान) आज सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भी बंद हो गया है, खास तौर पर संगरूर के स्कूलों में, वहाँ टीचर अपने खर्च से मिड डे मील दे रहे हैं।...(व्यवधान) इस बारे में मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकारी स्कूल तथा सरकारी कॉलेजों के एजुकेशन को अपडेट किया जाए।...(व्यवधान) मैं आपके जरिए इतना ही आग्रह करता हूँ, धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भगवंत मान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

... (*Interruptions*)

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you Madam Speaker, kindly allow me to speak in Marathi. There is a district in Maharashtra called Yavatmal. Around 50 farmers have died in Yavatmal due to the spraying of pesticides. Can we monitor this spraying of pesticides? The people have died not because of their fault but just because of spraying of the pesticides and insecticides. A new kind of insect called “Bond Alee” has infested the cotton

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

crop. This pink coloured bollworm has attacked the cotton pods in the entire Vidarbha and Yavatmal region of Maharashtra. Due to this menace, maximum number of farmers have committed suicide in this area.

Hence, I would like to urge upon the Government to look into this problem seriously and a pesticide monitoring system should be evolved to check this kind of deaths. To avert the menace of this bollworm, a new research should be initiated to improve the cotton seed. We should come together to help these poor farmers. Thank you. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सहयोगी बनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप और अन्य सदस्य सहयोगी बनेंगे। आप लिखकर दे दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री ए.टी.नाना पाटील और श्री देवजी एम. पटेल को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देश के कुल कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का विदर्भ लगभग 30 फीसदी का योगदान करता है। अध्यक्ष महोदया, इस क्षेत्र में कपास की खड़ी फसल पर पिंक बोलवर्म की मार से कपास के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक कपास की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों की नाराजगी बीज बेचने वाली उन कंपनियों से है, जिनके साथ बेहतर बीज उपलब्ध कराने का एग्रीमेंट केन्द्र सरकार ने किया था। किसानों के पास बीज खरीद के रिकार्ड, खाली सीड पैक्स आदि जैसे दस्तावेज न होने के कारण अभी सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र की कपास की फसल को पिंक बोलवर्म की मार से बचाने और बीटी कॉटन के खराब बीज उपलब्ध कराने वाली दोषी बीज कंपनी व राज्य सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तत्काल पहल की जाए, धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत, श्री विनायक भाऊराव राऊत और श्री कृपाल बालाजी तुमाने को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दयाल राम।

...(व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। महोदया, मेरे पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो जिले पड़ते हैं पलामू एवं गढ़वा। इन दोनों जिलों के मुख्यालयों में यातायात की समस्या हमेशा बनी रहती है और इस समस्या से निजात पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बाईपास की स्वीकृति दी है। पलामू जिले के अंतर्गत जो बाईपास बन रहा है, वह बाईपास एनएच 75 के पास जाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। रेलवे क्रॉसिंग के उस पार पहले से ही पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन उस पुल के निर्माण का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे रेलवे क्रॉसिंग के पास आरओबी बनाने का कष्ट करें, ताकि उस पुल का भी उपयोग हो सके। उस सड़क का उपयोग होने के बाद पुल का जो उपयोग होगा, उससे पलामू जिला न केवल गढ़वा जिले से जुड़ेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जिलों से भी जुड़ जाएगा। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री विष्णु दयाल राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I request the hon. Members to go back to their seats. I am not going to allow you do this.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जो बाहर कई सारी बातें होती हैं, यहां नहीं कहेंगे।

...(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में जो प्रदूषण की स्थिति है, उसके कारण जितने हमारे देश के महानगर हैं, सभी उससे पीड़ित हैं। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार के माध्यम से सभी प्रदेश सरकारों को निर्देशित किया जाए कि जितने भी सरकारी वाहन खरीदे जाएं, वे हाईब्रिड वाहन खरीदे जाएं। विशेष रूप से उससे जो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं, वे स्कूल जाने वाले

बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास अपने स्वयं के पक्के घर नहीं हैं, जिनके पास कोई ए.सी. की व्यवस्था नहीं है। ऐसे जितने लोग हैं, वे 24 घंटे अपने घरों में भी प्रदूषण के शिकार होते हैं। जब वे सड़कों पर चलते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, तो उससे भी जो प्रदूषण होता है, उसके वे शिकार होते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी सरकारी वाहन हैं ... (व्यवधान) हर प्रदेश में हाइब्रिड वाहन खरीदे जाएं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आने वाले वाहन हैं, ... (व्यवधान) कम से कम प्रदूषण फैलाने वाले श्रेष्ठ मानक के वाहन खरीदे जाएं। ... (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री विष्णु दयाल, श्री प्रतापराव जाधव और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी की ओर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल से अपना विशेष महत्व दर्शाया है। ... (व्यवधान) सरकार द्वारा इन्हें रेल यात्रा और हवाई यात्राओं में छूट दी जाती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों टोल टैक्स लगता है, उसमें इन्हें छूट नहीं है। ... (व्यवधान)

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन और ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जो अर्जुन अवार्डी हैं उनको टोल टैक्स में छूट दी जानी चाहिए ताकि उनको सम्मान मिल सके। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राघव लखनपाल, श्री राहुल कारस्वां, श्री हरि ओम सिंह राठौड़, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री देवजी एम पटेल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) हमारा विधान हमें डेमोक्रेटिक राइट देता है, ह्यूमन राइट देता है। पंजाब में अमृतसर, जालंधर और पटियाला में नगर निगम का चुनाव हुआ है। ... (व्यवधान) वहां हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए गए। औरतों का दुपट्टा खींच लिया गया, हमारे मेयर का टरबन उतार दिया गया और गंगा स्टेशन पर एक वर्कर को गोली से मार दिया। ... (व्यवधान) वहां पुलिसवाले एक उम्मीदवार को उठा कर ले जा रहे थे। वहां मुख्यमंत्री का अपना शहर है ... (व्यवधान) हमारे बहुत सारे कैंडिडेट थे उनको उम्मीदवारी नहीं भरने दिया गया। ... (व्यवधान) जब हमने विरोध किया ... (व्यवधान) हमें दुख इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रूलिंग पार्टी

के इशारे पर कुंडिया लगाकर वहां वोटिंग की और उम्मीदवारों को निकाल दिया। ... (व्यवधान) उन पर लाठीचार्ज किया। पटियाला कॉरपोरेशन में 60 वार्डों में सत्ताधारी दल ने पुलिस की मदद से कब्जा करवाई। ... (व्यवधान) वहां का इलेक्शन रद्द होनी चाहिए और वहां की स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही है, इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ... (व्यवधान) जिन्होंने पांच-पांच किलोमीटर की दूरी पर पोलिंग बुथ बनवाई। ... (व्यवधान) सिख धर्म के सिम्बल का अनादर हुआ उन पर केस होना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी ... (व्यवधान)।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : स्पीकर महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। ... (व्यवधान) आज स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे वह मेडिसीन हो, ड्रग्स हो या मेडिकल के गैजट्स हों, वह बहुत महंगा होता है। ... (व्यवधान) मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि जनरल मेडिसिन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और कार्डिएक एसटेंट के प्राइस पर कैपिंग किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ... (व्यवधान) लेकिन कई ऐसे मेडिकल के डिवाइसेज होते हैं जैसे आई कैन्युअला होता है, इम्प्लांट्स होता है, इसके लिए भी प्राइस कैपिंग करना चाहिए। मैं अहमदाबाद से आता हूं, गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भारत सरकार का एक उपक्रम है ... (व्यवधान) वहां इस प्रकार के गैजट्स तैयार करने के लिए वहां विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि सभी जगहों पर इस तरह मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि गरीब मरीजों को उसको सुविधा मिले, ट्रीटमेंट एफोर्डेबल रहे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. कुलमणि सामल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 पारित कर दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने, उनके सम्मान की रक्षा व बराबरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया है। ... (व्यवधान) उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2016 के द्वारा दिव्यांगजनों की बीस श्रेणियां तय की गई हैं। ... (व्यवधान)

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यूनिट दिव्यांग आईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट आवश्यक है। ... (व्यवधान) जो कानूनी मान्यता तथा संबंधित लाभ देने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। यह भी सच है कि सभी दिव्यांगजनों को बीस श्रेणियों में वर्गीकृत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि भारत सरकार 26 जनवरी, 2018 को एक लक्ष्य तय करके सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसदों की अध्यक्षता में डी.एम और सी.एम.ओ के साथ एक समिति बनाए। जो लक्ष्य निर्धारित करके देश के सभी दिव्यांग जनों को 26 जनवरी, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक उचित प्रमाणपत्र एवं युनिट दिव्यांग आईडी उपलब्ध कराए ताकि भारत सरकार द्वारा पारित दिव्यांग जन अधिकार विधेयक 2016 का लाभ सभी दिव्यांग भाई-बहनों को मिल सके। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री लखन लाल साहू, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री रोड्डमर नागर, श्री सुधीर गुप्ता और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Thank you, Madam. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not proper.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Yes, Kirron ji.

... (Interruptions)

SHRIMATI KIRRON KHER: Madam, flourishing opportunities of prestigious education and better workspaces attract lakhs of migrants to the cities. ... (Interruptions) However, the problem of finding a residence coupled with the affording capacity of these migrants makes them take up Paying Guest (PG) accommodations, which may be unregistered. ... (Interruptions)

These PGs do not register with the Municipal Corporations to avoid paying commercial rates for water and electricity. ... (Interruptions) These

PGs take rent only in cash to evade taxes. ... (*Interruptions*) Out of 587 PG accommodations in Bangalore, 446 are unregistered. ... (*Interruptions*) Other major cities like Chandigarh and also Delhi have a similar culture of unregistered PG accommodations. ... (*Interruptions*)

The Municipal Corporations are responsible for monitoring health and living conditions here, but since these PG accommodations never apply for a license under the Corporation, they are not accountable for the facilities that they provide. ... (*Interruptions*) The security at these accommodations is not maintained, and many times, a single-person room is divided to house multiple residents depriving them of comfort and privacy. ... (*Interruptions*)

The migrants, especially students, are unaware of the registration status of their PG accommodations. ... (*Interruptions*) Many times, the PG owners lie about being registered. ... (*Interruptions*) This also deprives them a right to complain to the appropriate Municipal Authority when adequate facilities are not provided. ... (*Interruptions*)

The standardization of PG facilities and registration of all PGs needs to be prioritized. ... (*Interruptions*) Living conditions form a major part of an outstation student's life in a new city. ... (*Interruptions*) We need to increase resident awareness to facilitate grievance redressal if PGs are unregistered or lack compliance to norms for facilities. ... (*Interruptions*) Further, strict action must be taken against them to improve the living condition of migrants to the bigger cities. ... (*Interruptions*) Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Next is Shri Bheemrao B. Patil -- not present.

Shri Anto Antony does not want to speak.

Shri Naba Kumar Sarnia -- not present.

Shri B. Vinod Kumar -- not present.

Shri Ramchandra Hansdah.

... (*Interruptions*)

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): Thank you, Respected Madam. ... (*Interruptions*)

It is a welcome step that the Central Government has, in-principle, agreed to setup 12 special courts in different parts of our country to fast-track criminal cases against the law-makers. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं जिसका नाम ले रही हूँ केवल वही रिकार्ड में जाएगा।

... (*Interruptions* *)

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH: Madam, you know that the judiciary of the country is still accentuated more by the archaic British-era Criminal Procedure Code (CrPC) where traditionally, prosecution agencies are given more importance in the justice-delivery system than the defence. ... (*Interruptions*)

There are some anomalies in the CrPC of 1860 as well. Though, Section 167 has in a way mandated for time-bound completion of investigation by submitting charge-sheet of a case, Section 173 (8) on the contrary allows it to be open for further investigation, which is surprisingly not closed even after final verdicts of the cases come up in the trial courts. ... (*Interruptions*)

In such circumstances, when a people's representative is arraigned in a false and trumped-up case, and the judiciary being misled by the prosecution agencies becomes highly prejudicial against the accused for being a politician, he has to languish in jail for an indefinite period. ... (*Interruptions*) It not only

* Not recorded

curtails the fundamental right to life and liberty guaranteed under Article 21 of our Constitution, but also deprives the people he represents from their grievances being placed at the appropriate forums for redressal, which otherwise is required to be done by this elected representative. ... (*Interruptions*).

I would like to draw the attention of the Law Commission and the Ministry of Law and Justice to such anomalies in the British rule. The same should be done away with by tweaking appropriate laws of the criminal justice system so that irrespective of whether somebody is a lawmaker or a common citizen, justice could be ensured for all.

HON. SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is allowed to be associated with the issue raised by Shri Ramchandra Hansdah.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam, I thank you for allowing me to speak on the issue for which the Government of India has already approved for establishment of Cancer Institute in my parliamentary constituency. It is highly unfortunate that the work for setting up of the Cancer Hospital has not yet commenced leading to apprehensions in the minds of people. Already the people of Rayalaseema are disappointed for having lost the Capital status and also the All India Institute of Medical Sciences. I request the hon. Health Minister to direct the concerned authorities for setting up of a Cancer Institute in Kurnool. This concerns not only the people of Rayalaseema but also the people of bordering districts of Telangana and Karnataka. This measure will be a morale booster for the people of Rayalaseema and ensure balanced development of all regions in the State. A large tract of Government land is available in and around of Kurnool.

HON. SPEAKER: Shri Ramachandra Hansdah is allowed to be associated with the issue raised by Shrimati Butta Renuka.

... (ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हुड्डा जी, प्लीज आप अपनी सीमा में रहिये।

...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों, जो बार-बार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता ने इन लाइनों को स्वीकार कर लिया है कि “बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।” जब देश की जनता इसे स्वीकार करती जा रही है, मुहर लगाती जा रही है, तो कम से कम कांग्रेस के माननीय सदस्यगण इसे स्वीकार करते हुए सदन के समय को बर्बाद न करें।

अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर से संबंधित एक भाग कस्मैनी घाट है, जो नेपाल की सीमा को जोड़ता है। माननीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक वर्ष पहले उसकी स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन अभी तक उसकी डीपीआर बनकर नहीं आ पायी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसकी डीपीआर जल्द से जल्द बने और वह राष्ट्रीय राजमार्ग तत्काल निर्मित होना प्रारंभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Madam, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of External Affairs through you that Post Office Passport Seva Kendras at Zaheerabad and Kamareddy in my Lok Sabha constituency is a must considering various important developmental issues.

Zaheerabad is surrounded by a few important industries. Already sanctioned NIMZ is in the vicinity of both Kamareddy and Zaheerabad which would generate seven to eight lakh direct and indirect employment. As such, a good number of industries are also coming up in Zaheerabad, which is also a very important industrial hub. This has resulted in rise in visits of the representatives of international firms in the area.

I had written to the hon. Minister in this regard on the 24th July 2017. While I am happy that seven new Passport Seva Kendras for Telangana have been announced in the first two lists brought out by the Ministry, I would like

to plead for sanction of Passport Seva Kendras at Kamareddy and Zaheerabad in the forthcoming list by taking into consideration the development of the area and the need.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष महोदया, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत पिछड़े एरिया से आता हूँ। वहां बैंक, इंटरनेट और एटीएम की सुविधा बहुत कम है। मैंने पिछली बार भी इस बारे में बताया था, तो उसके बाद मलकानगिरी जिले में कॅश की कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मेरे नबरंगपुर जिले में महीने में 150 करोड़ रुपये कॅश की जरूरत है, लेकिन केवल 60 करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। वहां बहुत सारे एटीएम की जरूरत है। एक-एक बैंक ब्रांच में करीब 30 हजार अकाउंट्स होते हैं, जिन्हें देखने के लिए केवल दो क्लर्क होते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोसागुमड़ा, कुंद्रा और लमतापुट ब्लाक में बैंक ही नहीं हैं। इन ब्लाक्स में एक-एक बैंक की स्थापना की जाये और जहां बैंक हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में स्टाफ प्रोवाइड किया जाये। इसके साथ-साथ मैंने पिछली बार यह भी रिक्वेस्ट की थी कि मलकानगिरी जिले में एलआईसी का एक डिवीजन होना चाहिए। इस बारे में हमें मंत्री जी से उत्तर मिला कि जहां 75 हजार अकाउंट्स नहीं होंगे, वहां हम डिवीजन नहीं खोलेंगे। लेकिन यह बहुत पिछड़ा एरिया है और नियरेस्ट ब्रांच वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर है।

इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मलकानगिरी जिले में एल.आई.सी. की एक डिवीजन खोली जाए, नवरंगपुर में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जाए, वहां पर्याप्त स्टाफ दिया जाए, वहां एटीएम और बैंक खोले जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI):
Madam Speaker, I thank you for giving me the opportunity to raise the issue of Government stake in Dredging Corporation of India (DCI), Visakhapatnam. It is a profit-making company. It was set up in 1971 to serve the needs of the port sector and the Indian Navy.

Employees of the DCI have a dream to make it a 'Navratna' company by 2020. The company wants to increase its presence both in India and abroad. In fact, it has already signed an MoU for collaboration in Bahrain. It has a corporate vision. The employees have an apprehension that the move will only help the private and foreign players.

The financial health of the company was hit due to non-payment of Rs.300 crore by the Government which the DCI had invested in the Sethu Samudram Project. It is unfortunate that the recommendation of the high power committee of the Ministry to refund the amount nine years ago has not been heeded to. It is also unfortunate that dues owed by the Kandla, Kolkata, Goa and Cochin Ports to the DCI have not been settled for a long time affecting its cash flows.

The company proposes to set up the Dredging Training Institute at Antarvedi in East Godavari District at a cost of Rs.1,800 crore to train unemployed youth in the State. If the Government's stake is off loaded, then this proposal would hit a road block.

Already Andhra Pradesh is reeling under bifurcation impact. If the Government's majority share is off-loaded, then my State would lose a 'Navratna' company in the making.

Therefore, I would urge upon the NDA Government to defer this decision immediately and strengthen the DCI by getting its dues from the public sector port companies. I thank you for giving me this opportunity.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Muthamsetti Srinivasa Rao.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र का शिवहर जिला शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है। शिवहर बिहार का वह जिला है, जहां सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मैं अनवरत रूप से संसद में प्रश्न एवं वाद-विवाद के अंतर्गत आवाज उठाती रही हूँ।

अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के न्यु इंडिया विजन के तहत बिहार के 13 जिले एवं देश के कुल 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों का चयन किया गया, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक उन जिलों की कायाकल्प करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। मैं दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि शिवहर जिले को न्यु इंडिया विजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो

जिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आदि बुनियादी सुविधाओं के आधार पर सर्वाधिक पिछड़े हैं, उनको न्यु इंडिया विजन से वंचित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि न्यु इंडिया विजन के अंतर्गत उस सर्वाधिक पिछड़े जिले को शामिल किया जाए, जो वास्तव में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों में हर दृष्टि से विकास हो सके तथा बिहार के जिलों में फैली आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने में उक्त विजन को सहायता मिलेगी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिले को न्यु इंडिया विजन के तहत शामिल किया जाए, जिससे वहां पर बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री बलभद्र माझी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***Shri Dharam Vira Gandhi, (Patiala) :** I thank you Madam for giving me the opportunity to speak in my mother-tongue Punjabi. I wish to draw the attention of the Government towards a matter of urgent public importance.

Madam Speaker, NRI bridegrooms have wreaked havoc on hapless brides in Punjab. They have exploited the brides of Punjab financially as well as sexually. They come to Punjab and marry Punjabi women. They go back to foreign countries leaving these hapless women in the lurch. In the name of dowry, these NRI bridegrooms siphon off 20 to 30 lakh rupees from the bride's family, only to dump the women later. Twenty to twenty-five thousand such brides and their families are suffering in Punjab.

I urge upon the Central Government to extradite these criminal bridegrooms from foreign countries. They must be brought to book for their criminal activities. It will go a long way in checking this menace. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री धर्मवीर गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.40 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Kalyan Banerjee.

*... (Interruptions)... **

* Not recorded.

12.40 ½ hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re: Retention of Head Office of Hindustan Steelworks Construction Limited at Kolkata**

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I am rising for the issue that the retention of the head office of Hindustan Steel Works Construction Limited at Kolkata be kept. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Kalyan Banerjee.

... (*Interruptions*)... *

SHRI KALYAN BANERJEE: Hindustan Steel Works Construction Limited which (HSCL) is a Schedule-B construction sector. It is the CPSU under the Ministry of Steel which was incorporated in 1964. Its registered office and the head office are situated in Kolkata... (*Interruptions*). It has other twenty-six offices in different states.

Madam, there are contractual employees and more than 100 contractual employees are working there. Now, a decision has been taken that this Company would be merged with the NBCCI Ltd. Now, the decision has been taken to shift the Kolkata Head Office to Delhi. More than hundred employees will lose their jobs. ... (*Interruptions*) The Company is having about Rs. 38.5 crore profit there. Through you, I make an appeal to this extent that the Head Office of the Hindustan Reconstruction Limited should not be shifted from Kolkata to anywhere. Instead of 'Head Office', it may be called any office but the office and the entire infrastructure should remain in Kolkata.... (*Interruptions*)

* Not recorded.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): He has raised a valid issue. I will convey his feelings to the concerned Minister....
(Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोक महत्व के विषय पर बोलने की अनुमति दी है।... (व्यवधान)

12.42 hours

(At this stage Shri Mallikarjun Kharge came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में केन्द्र सरकार ने पूरे देश में धान की खरीद के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान की खरीद के निर्देश दिये हैं।... (व्यवधान)

12.42 ½ hours

(At this stage Shri Mallikarjun Kharge went back to his seat.)

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल की तुलना में इस बार 1470 रुपये से 1550 रुपये प्रति क्विंटल किसानों का धान खरीदने की बात कही गई है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो चावल की रिकवरी है, वह 66 प्रतिशत निर्धारित की गई है लेकिन धान की क्वालिटी में 62 से 63 प्रतिशत से अधिक रिकवरी नहीं हो रही है जिसके नाते खरीद प्रभावित हो रही है। ... (व्यवधान)

12.43 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के किसानों को जो खरीद केन्द्रों पर 1550 रुपये और 20 रुपये ढुलाई मिल सकती थी, वह उनको बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जो रिकवरी 66 प्रतिशत निर्धारित है, उसको

घटाकर 62 प्रतिशत से 63 प्रतिशत कर दिया जाए जिससे किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार द्वारा 1550 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर किसानों के खाते में उनकी खरीद सुनिश्चित की जा सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो भंडारण के लिए 3 प्रतिशत मार्जिन रखा है और जो पिछले वर्ष 4 प्रतिशत था, जिसके कारण भी वह भंडारण नहीं हो पा रहा है। ... (व्यवधान) मिल मालिक जो किसानों के धान के लिए अनुबंधित होता है, वह आज चाहे सिद्धार्थ नगर हो, बहराइच हो, गोंडा हो या पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हों, आज वह मिलर्स इस धान को 66 प्रतिशत की रिकवरी के लिए लेने के लिए तैयार नहीं हैं जिसके चलते उन किसानों की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1550 रुपये घोषित करने के बावजूद, खरीद के निर्देशों के बावजूद किसानों के धान की खरीद नहीं हो पा रही है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जो 66 प्रतिशत रिकवरी है, उसको घटाकर 62-63 प्रतिशत कर दिया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों के धान की खरीद सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री अजय मिश्रा टेनी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, this is with regard to the Saakshar Bharat Mission which was launched in September 2009. It was aimed to create a literate society and to achieve 80 per cent literacy in the rural areas which we have not achieved yet. Initially, the Planning Commission used to allot funds and subsequently, it was replaced by NITI Aayog.

This fund allotment was done only till September, 2017. The coordinators at the Mandal level, that is at the Block level, and at the Gram Panchayat level are paid Rs.6,000 and Rs.2,000 respectively. The honorarium to these coordinators, who are key to this ambitious initiative, has also not been paid regularly. I urge the Government of India to continue the funding for another five years at least till India achieves 80 per cent literacy. I would also request the Government to enhance the compensation being paid to the coordinators for their efforts and inputs. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri B. Vinod Kumar.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के स्वैंग क्षेत्र और कठारा क्षेत्र के मजदूरों से जुड़ा हुआ विषय सदन में रखना चाहता हूँ। वहाँ ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत लगभग 117 मजदूर, आज की तारीख में एक साल से बिठा दिये गये हैं और 42 प्लांट क्लिनिंग मजदूर 20 वर्षों से काम कर रहे थे, उनको भी बिठा दिया गया है। इससे वहाँ के कार्य-पद्धति में भी नुकसान हो रहा है। इस विषय पर हम ने माननीय कोयला मंत्री जी से आग्रह किया था और वहाँ के सीएमडी साहब को भी इस बात को बताया कि अविलंब ठेका मजदूरों को, जो 117 परिवार हैं, वे भूखे मरने की स्थिति में हैं। साथ ही साथ जो 42 मजदूर प्लांट क्लिनिंग का काम करते थे और जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो कार्यरत थे, सभी लोगों को अविलंब फिर से बहाल किया जाये। उनका जो बकाया है, उसका भुगतान किया जाये ताकि उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो। सरकार की योजना है कि हम सभी को रोजगार देंगे लेकिन दूसरी तरफ सीसीएल ने उन लोगों को बैठा दिया है। वहाँ के महाप्रबंधक के जिद्द के चलते ऐसी परिस्थिति बनी हुयी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Madam, I would like to draw the attention of the House to the recent deaths of manual scavengers. This can be categorised as one of the most serious violations of any law prevalent in the country.

According to Safai Karmachari Andolan, a total of 107 deaths have taken place this year. As per rules, civic workers are expected to wear proper safety gear before exposing themselves to toxic sewage. However, recent deaths signify the dehumanising conditions in which these individuals are

made to work. These deaths signify poor implementation of provisions of the Prohibition of Employment of Manual Scavengers Act, 2013.

The Government's flagship programme Swachh Bharat Abhiyan has also failed to tackle this issue. It focuses on toilet construction ignoring the dismal condition of manual scavengers. With no technology in place to clean toilets, Governments need to rely on manual scavengers to clean them. The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) also states that manual scavenging is an issue under Urban Development, but this stands merely on paper.

In answer to a question in Rajya Sabha on August 8, 2017, the hon. Minister of Social Justice and Empowerment stated that no such case of employment of manual scavengers had been brought to their notice since the passing of the 2013 Act. This is a blatant denial of the existence of manual scavengers. There is an urgent need to address this problem which plagues the lives of people belonging to backward and lower castes.

Madam, I would request the hon. Minister of Social Justice and Empowerment that the Government take up an initiative for bringing modern technology to clean septic tanks so that we could help save human lives as well as eradicate the caste system.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shrimati Meenakashi Lekhi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratima Mondal.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैडम, यह देश स्वास्थ्य और एजुकेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक सवाल लगातार उठता रहा है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, हरियाणा के हॉस्पिटल्स, बिहार के शिवा हॉस्पिटल, उदयन हॉस्पिटल में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं। बिहार के बाईपास में फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी नर्सिंग होम्स चलते हैं, जो बिहार के 11 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। एक हॉस्पिटल 98 डिग्री बुखार में 28 हजार रुपये की दवाई खिलाता है। ऐसे अस्पतालों में पैथोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट,

नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और एनेस्थिसिया के डॉक्टर नहीं होते हैं, इसके बावजूद पारस और शिवा हॉस्पिटल्स में 10-12 लाख रुपये के बिल बनाये जाते हैं। संजीत चौरसिया, गोल्ड मेडलिस्ट को पारस हॉस्पिटल ने मार दिया। प्रेशर के बाद उसे पाँच लाख रुपये दिये गये।

मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान में कौन सही डॉक्टर है और कौन गलत डॉक्टर है, कौन सही अस्पताल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी कोई सूची क्यों नहीं देता है ताकि लोगों को कहाँ इलाज के लिए जाना चाहिए, यह वे तय कर सकें। फर्जी डॉक्टर और फर्जी नर्सिंग होम्स हैं, जो प्रदूषण के सर्टिफिकेट की मापदण्ड तय नहीं करते हैं, गंदगी डेस्ट्रॉय करने के सर्टिफिकेट को, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको क्यों बैन नहीं किया जाता है?

ये सभी भारत को लूटने के लिए एक बड़े नेक्सस के रूप में हैं। यदि आज देश में सबसे ज्यादा लूट हो रही है, तो इसी से हो रही है। इसमें वहाँ के थानेदार-इंस्पेक्टर उनसे मिले रहते हैं, लोकल गुंडे, वहाँ के कई नेता मिले रहते हैं।

मैंने एक डॉक्टर को अरेस्ट करवाया था। उस डॉक्टर के पास कुछ नहीं था। उसके कारण सीतामढ़ी की एक दलित महिला की मौत हो गयी। वहाँ के एक इंस्पेक्टर ने 10 लाख रुपये लेकर मुझे पर धारा 353 के तहत केस किया है, जिस पर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे लगाया है। मुझे बहुत अपमानित करने की कोशिश की गयी है। इस संबंध में, मैंने एक प्रिविलेज नोटिस आपको दिया है। आप मेरे कस्टोडियन हैं, एक माँ की तरह हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कोई इस तरह से किसी को अपमानित न करें। इसके लिए आप मेरे प्रिविलेज मोशन को प्रिविलेज कमेटी में देने की कृपा करें। फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी नर्सिंग होम्स बंद हों। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सही डॉक्टर्स को लाए। इसके लिए एक कानून बनायी जाए। यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.51 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS Contd.

(ii) Re: Need to take up with China on the issue of contamination of River Siang in Arunachal Pradesh

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker Madam, I stand here to raise a very important issue relating to the contamination of water of river Brahmaputra. This has been raised not only by the students of Assam but also by the Chief Minister of Arunachal Pradesh and one hon. Member of this House who has also brought the attention of the Government of India to this issue. Recently, we were told through media that there has been a meeting between the hon. External Affairs Minister of India and the External Affairs Minister of China. What I would like to mention here is that the Brahmaputra is a source of energy and water, not only in the northeast or in Assam or in parts of Bengal, but it also caters to the irrigation facility of our neighbour Bangladesh. The Siang river which flows as Yarlung Psangpo from southern Tibet and becomes the Brahmaputra in Assam river has been contaminated for last three or four months. Siang is a tributary of the mighty Brahmaputra. I would like to understand from the Government of India what happened in China in a meeting held between the Foreign Ministers of both the countries. It is reported that the water of the river is contaminated by China and its water has become unfit for consumption. The reaction of China on the issue has not been made public despite the fact that the State Government of Arunachal Pradesh including the Chief Minister has repeatedly drawn the attention of the Union Government. That is a matter of concern. That is why the students of Assam University have lined up as human chain protesting why no action is being taken either by Arunachal Pradesh Government or Union Government. What has been mentioned by the Chief Minister of Arunachal Pradesh is that the Nephelometric Turbidity Unit in Siang river has gone up very high and it

should be consistently pursued by the Union Government and the matter should be taken up with China. I therefore urge upon the Government to make public the discussion that it had with China and what is the stand of the Government on the issue and apprise this august House what steps have been taken by the Government to avoid incident in future and thus to keep our bilateral relation with China healthy.

A large amount of cement, as it has been reported, has flown into the River Brahmaputra. That has caused great damage to the health of the river and also to the irrigation facility that is provided in Assam and Arunachal Pradesh.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Nishikant Dubey, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Kamakhya Prasad Tasa and Shrimati Meenakashi Lekhi are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, the issue raised by our esteemed colleague and veteran Parliamentarian Shri Bhartruhari Mahtab regarding the contamination of River Brahmaputra is a matter of serious concern.

He also narrated to this august House about the important meetings held at various levels and even about the contamination and NTU level in River Siang in China. This will definitely have a great effect in that place, especially in Assam and North-Eastern parts of our country. I will definitely be bringing this issue to the notice of the Government at the highest level.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, this is a very serious issue.

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूँ कि आप असम से हैं। आप इसमें सहयोगी बन सकती हैं। He has also already replied.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Madam, already the River Brahmaputra has been completely polluted for the last six months with some substance coming from China. I want to speak on this because the River Brahmaputra is a big international river coming from Tibet to China, and then to Arunachal Pradesh and Assam. It is contaminated right from the source. How has it been done? There is no international treaty so far as River Brahmaputra is concerned. So, the riparian areas like Assam and Arunachal Pradesh should be taken care of. We have met the hon. Minister of Home Affairs Shri Rajnath Singh. He has given an assurance that he would talk to Shrimati Sushma Swaraj who would talk to her counterpart from China. But the point is that if the River Brahmaputra is completely contaminated, all the other rivers will be contaminated as well.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Madam, for allowing me to raise this important issue. I would like to draw your attention to the delay in the release of minimum support price due to paddy farmers in the State for procurement made by the Kerala State Civil Supplies Corporation.

The Kerala State Civil Supplies Corporation is the implementing agency for procurement, processing and distribution through the public distribution system. It has procured 4.57 LMT from registered farmers in the 2016-17 season. An amount of Rs. 182.06 crore towards minimum support price is yet to be disbursed to the farmers. The proposal for the release of this amount is pending in the Ministry. As you would appreciate, the non-disbursement of the minimum support price for the procurement already made from the farmers would cause a lot of discontent among the farmers. So, I would request your kind intervention so that the Ministry would give necessary instructions to the authorities to release the amount of Rs. 182.06 crore without delay so that the beneficiaries of this scheme get their amount credited to their bank accounts.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Joice George, Shri Jose K. Mani, Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. A. Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

Do you want to say something about that?

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): With a very heavy heart, I want to say something in this august House.

कांग्रेस के सांसदों ने आज जो किया है, वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। वे सारे एक मुद्दे को उठाते हुए वैल में आ गए। उनका वैल में आना ही गलत था। कई बार हम सब ने आपके नेतृत्व में यह संकल्पना की है कि हम सदन में गतिरोध पैदा नहीं करेंगे और यह कि हम टोका-टोकी

करेंगे, लेकिन रोका-रोकी नहीं करेंगे और वैल में नहीं आएंगे। वे वैल में आए और उन्होंने वहां खड़े होकर मॉक-प्रोसिडिंग्स चलाने की कोशिश की।

13.00 hours

एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद बोलने लगे और चेयर की अवहेलना करने की और चेयर की अवमानना करने की उन्होंने कोशिश की। इतना ही नहीं, इस सदन की विपक्षी पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका बहुत ही लम्बा संसदीय अनुभव रहा है, उन्होंने आपकी अनुमति के बिना खड़े होकर पूरा भाषण पढ़ने और बोलने की कोशिश। इस तरह के कृत्यों की हम सब और यह पूरा सदन घोर निंदा करता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सालों-साल तक रूलिंग पार्टी रही है। पिछले 70 साल से इस संसद की कार्यवाही में भाग लेती रही है। इस तरह की मॉक प्रोसीडिंग के द्वारा मैडम स्पीकर और चेयर की अवमानना करने की हम सभी घोर निंदा करते हैं। मैं इतनी ही अपेक्षा करता हूँ कि भगवान उनको सदबुद्धि दे, ताकि वे फिर से इस तरह की हरकतें न करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अनन्तकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

13.02 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hours

*The Lok Sabha re-assembled at
Three Minutes past Fourteen of the Clock.*

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matter at the Table of the House within twenty minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to provide adequate human resource for public service in government departments in States particularly in Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आज हर विभाग में मानव संसाधन की घोर कमी दिखाई पड़ती है। फलस्वरूप अनावश्यक रूप से जनहित के कार्यों के संचालन में विलम्ब होता है। मैं अपने राज्य झारखण्ड के बारे में कह सकता हूँ कि वहां पर मानव संसाधनों की भारी कमी होने के कारण कार्य सम्पादन में विलम्ब होता है। आज स्थिति यह है कि एक ही व्यक्ति चार-पांच विभागों का कार्य सम्पादित कर रहा है। कार्यों में विलम्ब होने या लंबित रहने के कारण आम लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि झारखण्ड सहित अन्य राज्यों की मानव संसाधनों की कमी को दूर करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र इन विभागों में रिक्तियों को शीघ्र भरने संबंधी आदेश सरकार को देने की कृपा करें।

(ii) Need to ban pesticides harmful to humans in the country

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : हाल ही में महाराष्ट्र में जहरीले कीटनाशकों के कारण 30 से अधिक किसानों की मौत एवं 400 से अधिक किसान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, इनमें से एक कीटनाशक मोनक्रोटोफॉस 2013 में 23 बच्चों की मौत का कारण बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी हानिकारक कीटनाशकों की क्लास 1 श्रेणी में मौजूद इन कीटनाशक समेत कुल 18 कीटनाशक भारतीय खेती में धड़ल्ले से प्रयोग किये जाते हैं। हमारे देश में उपयोग किये जाने वाले कीटनाशकों में लगभग 30 प्रतिशत इस श्रेणी से है। एन.सी.आर.बी. के मुताबिक देश में पिछले साल जहरीले कीटनाशकों के कारण 7500 से अधिक जानें गईं।

2013 में भारत सरकार ने दुनियाभर में बैन 66 बेहद घातक कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी परन्तु इस कमेटी ने केवल 18 कीटनाशकों पर ही पाबंदी लगाई। अतः उर्वरक मंत्रालय से अनुरोध है कि बाकी 48 कीटनाशकों को भी तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।

(iii) Need to provide insurance cover for women who suffer from depression

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : मैं सरकार का ध्यान स्त्रियों में डिप्रेशन, मनोशाशरिक, अस्थिरता के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ।

10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी अपने देश में जब किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो बहुत मामलों में स्त्री को पागल करार कर दिया जाता है या उसे मानसिक बीमार कर दिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा, अत्याचार, अस्थिरता, मेनोपोज, वृद्धावस्था, एकाकीपन अपनी महत्वकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु आज लड़कियों की शादी की उम्र में देरी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। योग्य एवं अनुरूप जीवन साथी न मिला या कम पढ़े-लिखे परिवार में शादी होने से या ज्यादा पढ़े-लिखे होने के कारण ससुराल पक्ष द्वारा ज्यादा अपेक्षाएं रखना या फिर नौकरी की जगह पर शोषण जैसी समस्याओं से महिलाएं मानसिक तौर पर टूट जाती हैं और छोटे-छोटे कारणों को लेकर वे आपघात जैसे कृत्य कर लेती हैं। कई बार ऐसा मानसिक बीमारी का प्रमाणपत्र स्त्री को घर से निकालने हेतु एक शस्त्र बन जाता है।

मेरी सरकार से मांग है कि मानसिक बीमारी डिप्रेशन जैसी अवस्था के लिए बीमा व्यवस्था का प्रावधान करना चाहिए एवं शिक्षा व्यवस्था में ऐसा पाठ्यक्रम लाना चाहिए ताकि लड़की भविष्य में इस प्रकार की आने वाली समस्याओं की शरण में न जाते हुए उसका सामना करे।

**(iv) Need to exempt players and coaches from paying toll tax
on national highways**

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने एशियन या ओलम्पिक खेलों में पदक प्राप्त करके देश का मान बढ़ाया है उन्हें सरकार द्वारा रेल यात्रा व हवाई यात्रा में छूट प्रदान की गई है, खिलाड़ियों के सम्मान में सरकार का यह अच्छा प्रयास है। परंतु, राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल टैक्स में ऐसे खिलाड़ियों को छूट प्राप्त नहीं है। अतः सरकार से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन या ओलम्पिक खेलों में पदक प्राप्त खिलाड़ी एवं अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी तथा द्रोण अवार्डी कोच इन सबको नेशनल हाइवे टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाये। देश भर के खिलाड़ियों के लिए सरकार का यह अच्छा प्रयास होगा।

(v) Need to promote lichen-farming and research in the country particularly in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : दक्षिण भारत में रामेश्वरम में एवं सौराष्ट्र में ओखा, ऊना तहसील के गाँव में प्राथमिक स्तर (छोटे पैमाने) पर कार्ब की दरियाई कृषि होती है। कच्छ में कार्ब में से बिजली उत्पादन करने का वनस्पति वृद्धि वर्धक और खाद बनाने के प्रयोग यशस्वी हुए हैं। अगर बड़े पैमाने पर कार्ब की खेती की जाए, तो मछुआरे और महिलाओं को पूरक रोजगार मिलने की संभावना है। बिजली उत्पादन करके भी मछुआरे बिजली क्षेत्र में स्वनिर्भर बन सकते हैं। कार्ब में गोबर से 30 प्रतिशत से ज्यादा मीथेन गैस होने के कारण गैस प्लांट द्वारा बहुत आसानी से बिजली का उत्पादन हो सकता है। गुजरात में 1600 कि.मी. लंबी दूरी वाली दरियाई सीमा पड़ती है। इस किनारे पर अगर कार्ब की कृषि होती है, तो बिजली उत्पादन के साथ-साथ भूमि पर होने वाली फसलों के लिए वृद्धिवर्धक (हर्बोविटा-वनस्पति का एक प्रकार का हार्मोन्स) और अच्छी खाद भी मिल सकेगी। इसके उपरांत इससे ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी कम करने में मदद मिलेगी। अगर खेत में खड़ी फसल पर हर्बोविटा का छिड़काव किया जाए तो उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा इजाफा हो सकता है। हर्बोविटा पेलेट्स को जमीन में डालने से जमीन की उत्पादकता सुधरती है। कार्ब से उत्पन्न मीथेन गैस के द्वारा साढ़े तीन किलोवाट का जेनरेटर चलाकर सिंगल फेज बिजली पैदा की जाती है। कार्ब की खेती में और संशोधन किया जाए, तो यह बड़ा बायोगैस प्लांट लगाकर इसमें से बोटलिंग किया जा सकता है तथा इस बिजली का उपयोग मछुआरे/सेना के किचन में, कोल्ड स्टोरेज में या गाँव के विद्युतीकरण में किया जा सकता है। कार्ब की खेती किसानों के लिए दरियाई कल्पवृक्ष बन सकती है।

मेरी माँग है कि कार्ब की खेती को बढ़ावा दिया जाए तथा कृषि मंत्रालय इस पर और शोध करे और इस प्रकल्प को बढ़ाया जाए।

(vi) Need to construct ROB at Rafiganj and Guraru railway stations in Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्व-मध्य रेलवे के मुगलसराय मंडल अंतर्गत रफीगंज स्टेशन से पूरब और गुरारू स्टेशन से पश्चिम ग्रैंड कार्ड लाइन से क्रमशः राजकीय उच्च पथ सं. 68 और 69 पार करता है। यह रेल लाइन यात्री और मालगाड़ियों के लिए अति व्यस्ततम लाइन है और कोलकाता (दानकुनी) Dedicated Freight Coridor का हिस्सा भी है।

एस.एच. होने के कारण इस मार्ग पर बड़ी संख्या में मालवाहक और सवारी वाहनों का परिचालन होता है। रफीगंज और गुरारू स्टेशन पर ROB का निर्माण प्रस्तावित है। रफीगंज में ROB का निर्माण शुरू होकर बंद हो गया और गुरारू में कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ। ROB का निर्माण नहीं होने से आमजनों का काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

रफीगंज स्टेशन से पश्चिम कुछ दूरी पर इसी ग्रैंड कार्ड लाइन पर भीतरगामी पुल है, यह भीतरगामी पुल जर्जर स्थिति में था और इस पुल का मरम्मतकरण कार्य सम्पन्न होने के कारण यह पुल संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण सड़क उपभोक्ताओं को आवागमन में कठिनाई होती है। जबकि पुल के नीचे से गुजरने वाली सड़क गया-रफीगंज-बराही-पौथु-कोइलावां पथ, पथ निर्माण विभाग की है, MDR (Major District Road) जिसकी चौड़ाई 07 मी. प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन है।

आग्रह है कि जनहित में रफीगंज के दोनों स्थानों, एस.एच. और एम.डी.आर. सहित गुरारू स्टेशन के एस.एच. के समीप ROB का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा की जाए ताकि आमजनों को जाम, दुर्घटना और समय के अपव्यय से निजात मिल सके।

(vii) Need to establish a Passport Sewa Kendra/Post Office Passport Sewa Kendra in Latehar district of Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : झारखण्ड राज्य से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में एकमात्र पासपोर्ट सेवा केन्द्र राँची में स्थापित है। भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत झारखण्ड में देवघर एवं जमशेदपुर जिलों में पासपोर्ट बनने शुरू हो गये हैं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा के लोगों को पासपोर्ट के लिए राँची जाना पड़ता है। इसमें काफी समय एवं धन खर्च होता है। साथ ही कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के लातेहार जिला में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। यदि लातेहार जिला में पासपोर्ट बनने की सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी, तो आसपास के जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

अतः मेरी भारत सरकार के विदेश मंत्री जी से मांग है कि लातेहार जिला में पासपोर्ट सेवा केन्द्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की कृपा करें।

**(viii) Need to amend Environment (Protection) Act, 1986 to
save stone crushing industry in Jharkhand**

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : देश के विकास में मूलभूत संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है, सड़क सार्वजनिक हित के भवन, रेलवे, निजी भवन, ऐसे कार्य हैं जो निरंतर चलने वाले कार्य हैं ऐसे सभी कार्यों में पत्थर के उद्योग का उपयोग अत्यधिक है। वर्तमान में देशभर में पत्थर उद्योग क्रशर लाखों की संख्या में चल रहे हैं। जिसमें करोड़ों बेरोज़गार मजदूर कार्य करते हैं साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूर भी अप्रत्यक्ष रूप से पत्थर उद्योग से जुड़े हैं।

विशेषकर झारखण्ड प्रदेश का हर जिला एवं प्रखण्ड में इस कार्य में लाखों मजदूर कार्यरत हैं, किन्तु वन विभाग के दूरी संबंधी अव्यवहारिक कठोर कानून तथा प्रदूषण विभाग के अनावश्यक प्रतिबंध से लालफीताशाही प्रभावी है। वन विभाग जनहित के विरुद्ध एकांगी निर्णय ले रही है।

अतः जनहित में भारत सरकार वन प्रदूषण कानून की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करे।

(ix) Need to establish a Textile Park in Jalgaon in Maharashtra

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : महाराष्ट्र देश के सर्वाधिक कपास उत्पादक 10 राज्यों में से एक है। यहां का प्रतिवर्ष औसत कपास उत्पादन 7019 हजार टन है। इतना अधिक कपास उत्पादन के बावजूद यहां पर कपास के मूल्य संवर्धन हेतु जरूरी ढांचा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री जी की वर्तमान नीति के अनुसार कपास के उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण तक आवश्यक ढांचा एक ही जगह पर उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही साथ यहां आर्थिक समृद्धि भी आए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलगाँव में भारी मात्रा में कपास उत्पादन के साथ ही साथ बड़ी संख्या में जिनिंग व प्रेसिंग मिलें हैं परंतु उसके मूल्य संवर्धन हेतु आवश्यक ढांचा उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जलगाँव में शीघ्रातिशीघ्र एक टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जाए जहां कपास से वस्त्र निर्माण तथा सिले-सिलाए वस्त्र उत्पादन सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि भी आ सके।

(x)Need to continue operation of trains on metre gauge railway line from Mavli to Marwar in Rajsamand Parliamentary Constituency

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राजसमन्द (राजस्थान) की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण गोरमघाट रेल लाईन के विकास के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द, राजस्थान में मावली से मारवाड़ की वर्तमान मीटरगेज लाइन स्थापित है। चालू वर्ष के रेल बजट में भारत सरकार द्वारा मावली से मारवाड़ तक वाया पीपलीनगर, मण्डावर, सिरयारी होते हुए ब्रॉडगेज लाईन स्वीकृत की गई है। नवीन स्वीकृत ब्रॉडगेज लाईन की स्थापना के बाद मीटरगेज पर चलने वाली सवारी गाड़ी, जो कामलीघाट से गोरमघाट तक जा रही है, बंद हो जाएगी। ऐसे में मेवाड़ एवं मारवाड़ क्षेत्र में वन्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से भरपूर रमणीय पर्यटन स्थल पर जाना संभव नहीं हो पाएगा। वर्तमान में इस पर्यटन स्थल पर मेवाड़ एवं मारवाड़ क्षेत्र से हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, जिससे लोगों में पर्यावरण पर्यटन के प्रति न केवल आकर्षण विगत वर्षों में बढ़ा है अपितु राजस्व आय में भी वृद्धि हुई है।

अतः मैं ईको टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस पर्यटन स्थल की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक वन्य व मनोरम पहाड़ी स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु मीटरगेज लाईन को यथावत चालू रखते हुए ईको टूरिज्म को विकसित किया जाये, जिससे क्षेत्र की जनता के साथ ही मेवाड़ एवं मारवाड़ की जनता को ईको टूरिज्म का लाभ मिल सकेगा।

(xi) Need to provide compensation to farmers whose land falls beyond the fencing on international border

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : मेरा लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर भारत-पाकिस्तान सीमा पर है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों की घेराबंदी की गई थी, जिसमें स्थानीय किसानों की लगभग एक एकड़ जमीन सुरक्षा के घेरे में आ रही है। वहाँ पर किसान स्वतंत्र खेती नहीं कर सकता और न ही सिंचाई कर सकता है। कभी-कभार वहां स्थानीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है इसलिए वहां खेती करना बहुत ही मुश्किल है और इस कारण सीमावर्ती किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जिसके फलस्वरूप सीमावर्ती किसान गरीबी से और गरीबी की ओर अग्रसर हो रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिन किसानों की जमीन कंटीली तारों के नीचे आई है उन किसानों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए जिससे किसान किसी अन्य जगह पर जमीन लेकर खेती कर सकें और सुरक्षित अपना जीवन-यापन कर सकें।

(xii) Need to improve healthcare and nutritional services in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : देश, मोदी जी के नेतृत्व में विकास पथ पर चल रहा है और देश के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। आजादी के बाद जहां देश में प्रगति के लिए प्रयास हो रहे हैं परंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण बुंदेलखण्ड विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। भारत सरकार भी इसको आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र मानती है। परन्तु यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं और भोजन में पोषण की उपलब्धता में भी पिछड़ा है। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य का प्रथम गुरु माँ है। बच्चा माँ से ही सबसे पहले सीखता है और फिर वह देश का नागरिक बनता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। परंतु बुंदेलखण्ड में माँ, बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति शोचनीय है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 के अनुसार:-

	भारत	यू.पी.	हमीरपुर	महोबा
बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 में)	41	64		
बाल मृत्यु दर (5 वर्ष से कम) (प्रति 1000 में)	50	78		
महिलाएं जिनका बी.एम.आई. सामान्य से कम (%)	22.9	25.3	28.3	35
6-59 माह आयु के बच्चे जो एनीमिया से ग्रसित (%)	58.5	63.2	55.5	63.2
गर्भवती महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित (%)	50.3	51	51.8	74.3
महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं एनीमिया से ग्रसित (%)	53.1	52.1	51.8	64.3

कमोवेश संपूर्ण बुंदेलखण्ड की यही स्थिति है जिसको तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। देश को यदि तेज विकास करना है तो उत्तर प्रदेश को नंबर-एक बनाना होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में बुंदेलखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः मेरा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है

कि बुंदेलखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और भोजन में पोषण की समुचित व्यवस्था के लिए प्राथमिकता के आधार पर संयुक्त रूप से विशेष कार्य योजना बनाई जाए, जिससे बुंदेलखण्ड में मानव विकास सूचकांक में सुधार हो और विशेषकर माँ, बहनों और बच्चों की स्थिति बहुत अधिक बेहतर हो सके।

**(xiii) Need to provide financial assistance to drought affected
Madhya Pradesh**

श्री गणेश सिंह (सतना) : मध्य प्रदेश के 18 जिले भयंकर सूखे से प्रभावित हैं। प्रदेश के 17749 गांव की 07.52 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि पर सूखे का असर हुआ है। 2.46 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय अध्ययन दल जून-सितंबर, 2017 के दौरान सूखे से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 3705.95 करोड़ रुपये धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। किंतु अभी तक कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायता राशि स्वीकृत नहीं की। प्रदेश को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था उनका भी सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ, फसल बीमा में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों ने बीमा कराया था जिसमें जो फसल चिन्हित की गई थी उसका जो नुकसानी का क्षेत्र है व पटवारी हल्का है, जबकि किसान के खेत को इकाई बनाया जाना चाहिए, जो योजना के अनुसार 40 दिन के अन्दर नुकसान की राशि किसान के खाते में पहुँचना चाहिए, जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया। बीमा कम्पनियों का संबंधित क्षेत्र में कार्यालय भी नहीं खुला है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि सूखा प्रभावित मध्य प्रदेश राज्य को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाये तथा बीमा कम्पनी को कड़े निर्देश दिये जायें।

(xiv) Need to increase the honorarium of Aanganwadi workers in the country

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : देश के लगभग सभी जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यक्रम लागू हैं। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के पोषाहार योजना को संपूर्ण देश में लगभग 26 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पित भाव से लागू किया जा रहा है। उसके बदले में उन्हें मामूली मानदेय प्रदत्त किया जाता है। देश के सभी राज्यों में अलग-अलग दर से मानदेय दिया जाता है जबकि पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू है। पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा पुष्टाहार योजना के साथ-साथ प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं जैसे साक्षरता अभियान प्लस पोलियो, जनगणना, मतगणना आदि बहुत सारी सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इन्हें देश में लागू न्यूनतम मजदूरी की दर से भी मानदेय न दिए जाने से उनको अपने परिवार का भरण-पोषण करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनके मानदेय में वृद्धि कर इनको 10 हजार किया जाए।

(xv)Need to grant the status of 'Shaheed' of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and other revolutionaries of Indian Freedom Movement

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : एक आर.टी.आई. से हैरान करने देने वाला खुलासा हुआ है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आतंकी और कट्टरपंथी युवा बताया गया है।

आर.टी.आई. के जरिये पूछे गये सवाल के जवाब में यह भी बताया गया है कि भारत सरकार ने अब तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा नहीं दिया है। यह सवाल भारतीय इतिहास में अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) से किया गया था। सवाल परिषद की ओर से नवंबर में जारी एक किताब को लेकर पूछा गया था, जिसमें देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले इन तीनों युवाओं को आतंकी और कट्टरपंथी युवा बताया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आई.सी.एच.आर. के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार ही करती है। आर.टी.आई. के जरिये किये गये सवाल के जवाब से यह भी खुलासा हुआ है कि सत्ता में आई एक के बाद एक सभी सरकारों ने इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा देने की उपेक्षा की जिनकी कहानियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में प्रमुखता से लिया जाता है। 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी और इस तरह उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया।

अतः मैं सरकार से चाहूंगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एवं अन्य शहीद नामों को शहीद का दर्जा दिया जाये। इनके सहित और अन्य शहीदों को जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्यां टोपे, चन्द्र शेखर आज़ाद, अशफाकउल्ला खान, कुँवर सिंह, दुर्गा भाभी इत्यादि वीरों को भी शहीद का दर्जा दिया जाये।

(xvi) Need to extend the dam on river koshi in Supaul and Madhubani districts to Saharsa district in Bihar

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : कोशी नदी नेपाल के बराह क्षेत्र से शुरू होकर भीमनगर कोशी बैराज के पास भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए सुपौल, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा होते हुए कटिहार जिला के कुरसैला के पास गंगा नदी में मिलती है। उक्त नदी पर एक सुरक्षा बाँध सुपौल जिला के सिकरहट्टा मझारी से मधुबनी जिला सीमा तक बना हुआ है एवं इस सुरक्षा बाँध पर पक्कीकरण भी कर दिया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के साथ-साथ आवागमन भी होता है। यदि इस बाँध को मधुबनी सीमा के गढ़गांव, बसीपट्टी, महेसा, सोनबरसा होते हुए सुपौल जिला के गोनवा सिमराहा, सहरसा जिला के देवका, झरवा, परताहा बड़हारा, डरहार, नौला, लालपुर, सतौर, कुन्दह, बलिया, सीमर होते हुए प्राणपुर के पास राज्य उच्च पथ में मिला दिया जाता है तब इसके बीच में अवस्थित लोगों की जान-माल, बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ आमजनों को आवागमन की भी सुविधा मिल जाएगी एवं प्रति वर्ष हजारों एकड़ जमीन में लगी फसलों को भी सुरक्षा मिलेगी, जिससे यहाँ के किसान खुशहाल होंगे।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस अति महत्वपूर्ण सुरक्षा बाँध का विस्तार मधुबनी जिला सीमा के गढ़गांव से लेकर सहरसा जिला के महिषी प्रखंड के प्राणपुर के पास राज्य उच्च पथ तक करवाकर बांध का पक्कीकरण करवाया जाये ताकि बाढ़ से सुरक्षा के साथ-साथ आवागमन की भी सुविधा मिलेगी।

(xvii) Need to set up an AIIMS like institute at Kozhikode, Kerala

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The Government of India has left out Kerala for setting up an AIIMS like institute in the state. Many other states have been approved the same. The Govt of Kerala has already earmarked around 200 Acres for setting up the institute in the state at Kozhikode. The setting up AIIMS like Institute in Kerala will help in better accessibility. It will definitely revolutionise the health sector in the state especially the northern part of the state This will also help the availability of newer and innovative ways to provide health care. The Institute will have the potential to play a critical role in improving health care as well as undertake research. The institute can cater to the entire northern part of Kerala consisting of 7 districts from Kasargode to Trichur and even interstate areas like Coimbatore in Tami Nadu and Coorg in Karnataka.

Therefore, it is urged upon the Government to immediately consider setting up an AIIMS like institute at Kozhikode, Kerala.

**(xviii) Need to grant 'Shaheed' status to personnel of paramilitary forces
and also take welfare measures for them**

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : बड़े दुःख की बात है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सरकार तक अपनी जायज मांगें पहुँचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुछ जायज मांगें हैं जिनका संज्ञान लेते हुए सरकार को तुरंत उन्हें लागू करना चाहिए। उनकी प्रमुख मांगें हैं-सेना की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों को भी वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ देना, सेना की तर्ज पर दुश्मन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने पर "शहीद " का दर्जा देना, वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए जवान को पेंशन देना, सेंट्रल पैरामिलिट्री कैंटीन को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखना, लम्बी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में अर्धसैनिक बलों के लिए अलग बोगी की व्यवस्था होना। यह देश के लगभग दस लाख कार्यरत सैनिकों, लाखों सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के हितों से संबंधित है।

मौजूदा परिवेश में हमारे अर्धसैनिक बलों के सैनिक भी हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर-पूर्वी भाग तक देश के दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। इसी प्रकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हमारे अर्धसैनिक बलों ने वीरता और पराक्रम का परिचय दिया है।

इन परिस्थितियों में मेरी माननीय गृह मंत्री जी से मांग है कि वे अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें, उनकी मांगें सुनकर उनको पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं।

(xix) Need to continue Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, the National Research Centre for Banana, Tiruchirappalli and the Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai as the premier Research Centres under ICAR

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Sugarcane Breeding Institute (SBI) Coimbatore was established in 1912 with a 250 acre farmland to promote research efforts in sugarcane production. Sugarcane varieties introduced by the institute occupy more than 90% of total sugarcane cultivated area in India. More than 200 people, including 75 scientists are employed with SBI.

Likewise the National Research Centre for Banana (NRCB) was established in 1993 at Tiruchirappalli, with an aim to increase the production and productivity of banana and plantains and the Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai was established for catering to the needs of the brackishwater aquaculture research in India.

The move to merge the 105-year-old globally renowned Sugarcane Breeding Institute with the Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, is unjustified as SBI will lose its prominence and its identity. In the event of merger, SBI should be accorded the status of headquarters. Also the Government should defer any decision to shift or belittle the prominence of these premier Research Centres in Tamil Nadu at any point of time.

I urge the Government to desist from shifting the Sugarcane Breeding Institute (SBI), Coimbatore.

(xx) Need to discourage youngsters from playing 'Blue Whale' game

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Among the problems thrown up with the fast pace of technology in every sphere is the 'Blue Whale' game which has started taking its toll among youngsters. It has already become a humongous worry for the parents as more and more youngsters are falling prey to the Blue Whale game.

As per the news report of The Hindu dated 4 August 2017, 'Blue Whale' game worries Elders, already 130 suicides are linked to the game reported in US, Russia, England and Italy. In India one Manpreet had allegedly committed suicide by jumping from a building at Andheri in Mumbai in July 2017. Youngsters are drawn easily to 'Blue Whale' game which gives instructions such as watch horror movies, travel without ticket on trains, etc. and ultimately telling them to commit suicide.

Considering the seriousness of Blue Whale game among youngsters, I would request the Government to discourage youngsters from playing 'Blue Whale' game.

**(xxi) Need for improvement in BSNL services in Nabarangpur
Parliamentary Constituency of Odisha**

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): In spite of repeated request at the level of Hon'ble Minister of Telecommunication and Hon'ble Prime Minister and raising the issue in Lok Sabha, BSNL service in Nabarangpur Parliamentary Constituency, comprising Nabaranur, Malkangiri and part of Koraput Districts has hardly improved. There is requirement of at least 200 Mobile Towers in Koraput Telecom District. In spite of repeated request at various level no visible action is taken. In Malkangiri District, Government of Odisha has provided land free of cost at 15 locations, more than a year back but towers have been erected in only 3 locations.

Such neglect by the Government of India is pushing back this most backward area to further backwardness.

Shortage of staff and spare parts are further affecting the regular maintenance. Staff shortage is mostly on account of poor pay package in this inaccessible area.

**(xxii) Need to provide remunerative price of paddy and soyabean
to farmers in Maharashtra**

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : केंद्र सरकार ने धान उत्पादक किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए धान की 1550/-रु. आधारभूत कीमत तय की थी, लेकिन किसानों को यह दाम नहीं मिल पा रहा है और धान खराब न हो, इसके लिए किसान 920/- रु. में धान बेचने को मजबूर हैं। इसके कारण किसानों पर कर्ज का संकट मंडरा रहा है, साथ ही महाराष्ट्र में सोयाबीन की आधारभूत कीमत 3050 रु. है, लेकिन किसानों से 2000 रु. के भाव से सोयाबीन खरीदी जा रही है और किसान को खेती पर लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए और किसानों को धान एवं सोयाबीन की तय की गई आधारभूत कीमत दिलाए या किसानों से सीधे ही धान व सोयाबीन की खरीद करे, ताकि किसानों का यह संकट दूर हो सके।

(xxiii)Need to set up a CGHS dispensary at Kannur in Kerala

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Large representation in Central Government Services by Keralite needs no special mention. Due to the very nature of its transfer liability, personnel are serving at different places, including foreign postings. Presently, only two CGHS Dispensaries are located at state capital Thiruvananthapuram.

Since the Capital is geographically at the southern most part, officials of 13 Districts of Kerala remain virtually uncovered. The great inconvenience to an extent can be eliminated by provisioning a CGHS at Kannur. It will not only benefits Keralites, but also people from Mangalore/Coorg areas of Karnataka as well.

Keeping the above facts in view, I kindly request the Government to initiate the process of setting up of a CGHS Dispensary in my Parliamentary constituency Kannur for the benefit of Government Servants.

**(xxiv) Need to set up a railway Zone at Vishakhapatnam
in Andhra Pradesh**

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I wish to draw the attention of the Government towards important stipulation of the Andhra Pradesh reorganization Act 2014. The act provided for the establishment of Railway Zone for Andhra Pradesh which is pending for the past three years. Abundant Railway land, availability of Railway assets, huge demand for wagons for the movement of cargo from two ports in Greater Visakhapatnam Municipal Corporation limits to hinter land are the most essential benefits of the Visakhapatnam division. Visakhapatnam has all that is required to establish the headquarters and further this has become a sentimental issue for the people of north coast of Andhra Pradesh. Hence, I request the Union Government and the Hon'ble Minister of Railways to kindly speed up the process and take necessary steps to ensure setting up separate Railway zone for AP with Visakhapatnam HQ.

(xxv) Need to regulate use and sale of pesticides in the country

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): At least 48 farmers have lost their lives in Yavatmal district of Maharashtra after spraying mixture of multiple pesticides to control pests on the Cotton crop in the month of September, 2017. Also some 800 farmers had to be hospitalised for various ailments including temporary loss of vision, vomiting, diarrhoea, dizziness according to the report of The Indian Express. In Maharashtra, pesticides such as Monocotophos, Oxydemeton-methyl, Acephate, and Profenophos are believed to be responsible for the deaths and illness according to the Centre for Science and Environment. Thus, I would like to bring to the notice of the House the need for government intervention in regulating the use and sale of pesticides in India. Sale of banned pesticides should be disallowed and farmers need to be trained to use protective gears while spraying pesticides. I also urge the Government to provide adequate compensation to the grieving families.

(xxvi) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Mainpuri district, Uttar Pradesh

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी) : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की आबादी लगभग 20 लाख के आस-पास है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहां पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है।

जनपद की पांचों तहसीलों में आर्मी के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है जोकि बच्चों को अपने माता-पिता के पास रखे हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण वे निजी स्कूलों में महँगी फीस भरने को मजबूर है।

मैनपुरी जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों, शिक्षाविदों व जनप्रतिनिधि मैनपुरी में केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि मैनपुरी जिले के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने की मंजूरी दी जाए।

**(xxvii) Regarding Rural electrification in Hisar Parliamentary
Constituency of Haryana**

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to urge the Government to take necessary action for electrifying hamlets situated in Hisar constituency. Few schemes have been initiated to streamline electrification and power distribution in the country and accordingly, creation of village electricity infrastructure has been developed by the Government. However, still a number of households in villages remain un-electrified. There are about 2000 hamlets un-electrified even today in my Hisar constituency forcing the villagers to live in dark while the country is passing through the era of Information Technology. Further, the funds released under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana have been utilized exclusively for upgradation of existing transformers and not for electrifying hamlets. Therefore, I urge the Government to allocate a special package so as to ensure that all the hamlets of Hisar constituency get electricity connection without further delay.

**(xxviii) Regarding late running of train in Trivandrum Division
of Southern Railway**

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I would like to seek the intervention of the Ministry of Railways to address an urgent issue of chronic delay in running of the regular trains in Trivandrum Division of Southern Railways causing much hardship to a large number of daily commuters including women who travel between Kollam and Ernakulam via Kottayam to attend their offices.

Initially, the travelling public had taken it in their stride presuming track maintenance and upgradation of signalling systems were the reasons for the holdup of trains. The delay has become so chronic, that it now transpires that the real cause is the shortage of loco drivers and traffic controllers. The All India Loco Running Staff Association has alleged that there are more than 100 posts of loco-drivers and traffic controllers lying vacant in the division and the Railways is apathetic to absorb loco-drivers from other divisions of Southern Railways seeking transfer to their home division Trivandrum. The Confederation of All India Rail Users Association local chapter has appealed to regular travellers to bide for restoration and not to resort to violent agitations and blockade of traffic and destruction of railway property.

The situation has been compounded by the on-going Sabrimala Pilgrimage season which is at its peak. The festive season (Christmas) is nearing, it is imperative that the zonal railway authorities at Chennai take remedial measures on war footing to restore normalcy in the running of regular trains.

14.04 hours

**REPEALING AND AMENDING BILL, 2017
AND
REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON : Now we will take up Item Nos. 24 and 25 together.

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

“कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

आदरणीय उपसभापति जी, हम यहां पर दो महत्वपूर्ण कानून एक साथ ले रहे हैं। इसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में पुराने कानूनों को रिपील कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, आप तो बड़े अनुभवी रहे हैं, स्वयं भी आपका जीवन रहा है। भारतवर्ष में अभी भी ऐसे कानून हैं, जो अंग्रेजों के समय के हैं। कुछ कानूनों की सूची पर मैं चर्चा करूंगा। वर्ष 1950 में पुराने कानूनों में 1929 कानून को रिपील किया था। समय-समय पर यह काम होता है। वर्ष 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अंतिम बार हुआ था। उसके बाद से यह काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस सरकार के आने के बाद यह प्रयास शुरू हुआ कि हम पुराने कानूनों को समाप्त करेंगे। इसके लिए दो सदस्यों की एक कमेटी बनायी गई, जिसने सारे कानूनों का विश्लेषण किया, परखा, जांचा और संबंधित विभाग, प्रदेश और केंद्र से बातचीत की। उसके बाद ऐसा पाया गया कि 1824 कानूनों को रिपील करने की आवश्यकता है। हमें इस सदन को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब तक श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हम लोग 1183 कानूनों को रिपील कर चुके हैं, पिछले तीन वर्षों में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह इस सदन को बताना बहुत ही आवश्यक है। तीन प्रकार के बिल हम रिपील करते हैं। एक सब्सटेंशियल एक्ट है, जो आजादी के पहले के और आजादी के बाद के हैं, जिनकी उपयोगिता अब नहीं है।

दूसरा अमेंडिंग एक्ट, जिसके अमेडमेंट के कारण जो संशोधन होता है, वह प्रिंसिपल एक्ट में इनक्लूड हो जाता है तो अमेंडिंग एक्ट की आवश्यकता नहीं रहती।

तीसरा जो अंग्रेजों के समय के बहुत से आर्डिनैंस हैं, उनकी समाप्ति के कारण है। आज के दिन ये दो बिल हैं, इनको हमें समय-समय पर इसलिए लाना पड़ा कि हमें संबंधित मंत्रालय से चर्चा करनी पड़ती है और जब उनकी अनुशंसा आ जाती है कि हमें अब इस बिल की आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें यह कार्रवाई करनी पड़ती है। एक बिल हम जनवरी, 2017 में लाये थे और दूसरा अगस्त, 2017 में लाये थे। 105 कानून हम पहले बिल से रिपील कर रहे हैं और 140 कानून दूसरे बिल से रिपील कर रहे हैं। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि कैसे-कैसे पुराने बिल अभी तक चल रहे थे। कास्ट डिसेम्बलिटी रिमूवल एक्ट, 1850, मद्रास अनक्वारेन्टेड ऑफिसर्स एक्ट, 1857, कलकत्ता पायलट्स एक्ट, 1859, मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कलकत्ता पायलट्स एक्ट क्या है तो बड़े-बड़े लोगों के आगे गाड़ी में जो पायलट बैठता था, उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था। उसके बाद गवर्नमेंट सील्स एक्ट, 1862, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, 1876, हैकने कैरिज एक्ट, 1879, हमने जानने की कोशिश की कि हैकने कैरिज एक्ट क्या है। कल्याण बाबू को याद होगा कि कलकत्ता में पुराने समय में जब कैरिज चलते थे तो उन कैरिज को मैनेज करने के लिए हैकने कैरिज एक्ट बनाया गया था। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कानून आज भी हैं।

सभापति जी, अंग्रेजों के समय का एक बहुत ही रोचक कानून है, माननीय अनंत कुमार जी उसे रुचि से सुनेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सैडिशियस मीटिंग एक्ट, 1911, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि देशद्रोही जो मीटिंग्स करेंगे, उन्हें रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। यह एक पीड़ा की बात है कि ये सब कानून आज भी स्टेच्यूट बुक पर हैं, इनको समाप्त करने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

श्री तथागत सत्वथी (धेन्कानल) : इसे रखिये, काम आयेगा।... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : तथागत जी के अनुभव का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, चूंकि यह बात उन्होंने सदन में कही है, उसमें व्यंग भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली, माननीय मंत्री, श्री अनंत कुमार और रविशंकर प्रसाद तथा कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इमरजेन्सी का विरोध किया था, जेल गये थे, लाठी खाई थी, लेकिन विरोध किया था। उसमें श्री थावर चंद जी तथा संतोष गंगवार जी भी हैं। इसमें तीन चीजें इनवोल्व थीं, प्रैस की आजादी, व्यक्तिगत आजादी और न्यायपालिका की आजादी। आप क्षमा करें, हमारी सरकार में वरिष्ठ मंत्री बड़ी संख्या में हैं, जो आजादी के लिए संघर्ष कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं और लाठी खा चुके हैं। इसलिए आपकी यह अपेक्षा कि

यह कानून हमारे काम आयेगा, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है, यह बहुत विनम्रता से हम आपको कहना चाहते हैं। इमरजेन्सी लगाने वाले कौन थे, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने बाकी मित्रों के ऊपर छोड़ देते हैं। इमरजेन्सी की वह कहानी कौन लाये थे, कौन क्या कह रहे थे, यह अनुशासन पर्व है और क्या-क्या बातें हुई थीं,...(व्यवधान) हमारा केवल यह कहना है कि ये कानून इस प्रकार से हैं।

सभापति महोदय, बहुत से कानून ऐसे भी होते हैं, जो आज के संविधान के अनुसार राज्य की सूची में हैं। राज्य की सूची में जो कानून होते हैं, उसमें हम राज्य को आग्रह करते हैं कि आप इस कानून को रिपील करें क्योंकि हम सिर्फ भारत सरकार में ही सुधार का बदलाव नहीं कर रहे हैं, प्रदेशों में भी कर रहे हैं। हमें इस सदन को सूचना देते हुए बहुत ही संतोष हो रहा है कि हमने अपने विभाग की ओर से कई प्रदेशों को लिखा था। उसमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान एवं आसाम ने अपने कई एप्रोप्रिएशन बिलों को भी रिपील किया है और आगे की कार्यवाही जारी है।

महोदय, मैं इस सदन को बहुत ही विनम्रता से बताना चाहूंगा कि *this is a work in progress and this shows the commitment of Narendra Modi Government. If we are for reform, then we want to have reform in all the spheres of life and repealing old Acts which have become unnecessary burden on our Statute Books, which have outlived their utility and which have no relevance also need to go. Therefore, it is a progressive pro-reform commitment.*

अंतिम आग्रह मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव अभियान में कहा था कि प्रधान मंत्री बनने के बाद मैं एक पुराना कानून रोज समाप्त करूंगा। आज मुझे यह बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने 1183 कानूनों को रिपील कर दिया है। आज हम लोग 245 और करने आए हैं और आगे की प्रक्रिया लागू करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि यह पूरा सदन बहुत ही उत्साह के भाव से इसका समर्थन करेगा।

सभापति जी, अपने इन्हीं आरंभिक शब्दों के साथ I commend the Bills for the consideration of the House.

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration.”

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration.”

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairman Sir, swachhta is a virtue which we all know and every house needs Swachh Abhiyan. Unfortunately, for this House, there had been no swachhta and Swachh Abhiyan for many years.

In 2014, when the present Government took over, it undertook the exercise which was long pending and every now and then, there are complaints of 'U' turn. The complaint of 'U' turn is virtually true in this case because then, back in 1998 and now after 2014, the Swachh Abhiyan of this House has been carried out. Otherwise, the political system was suffering from policy paralysis which was so evident that even the very basic and necessary clean-up acts were not getting done. Hence in 2014, the Government brought Amendment and Repealing Act, 2014. In 2015, the Government brought out two Acts. In 2016, again it brought out Acts and in 2017, our learned colleague and Minister, Shri Ravi Shankar Prasad brought this Act on 7th February, 2017.

The Act seeks to get rid of archaic laws which have stayed on the Table of the House and in the law books only to cause confusion to many legislators and other researchers. The Law Commission, in 2014, recommended repealing and amendment of certain Acts which were of such a nature. Actually, the Law Commission prepared four Reports in 2014, namely, 248th, 249th, 250th and 251st Reports, which sought to get rid of old statutes which were archaic in nature. The Ramanujam Committee which was set up by the present Government identified many Central Acts which had to be repealed and 2781 Central Acts had turned irrelevant which had existed on 15th October, 2014. Out of these, repeal of 1741 Central Acts was recommended and 340 of these Central Acts were on State subjects where respective State Legislatures had to pass their respective laws. About 1741 Acts could be repealed and in 2014, about 36 Acts in the first phase were repealed. Under the second Bill, the Government repealed about 90 such Acts and two Amending laws.

Then, the whole matter was sent to a Select Committee. It suggested that there should be an automatic repeal clause because there are many Bills which are of repeat nature, like the Appropriation Bills, and that all those Bills should actually carry a clause within that Act. When the consequent changes are incorporated in the Principal Act, these laws should automatically have a sunset clause. Based on that Report of the Select Committee a further amendment to Section 6 (a) of the General Clauses Act was also suggested. That Report said that there should be an automatic repeal clause in all the Bills which are going to be changed.

It further noted all the repeal actions should happen every five years. This has not happened because we are carrying out the Swachhta Abhiyan every year or may be twice or thrice in a year to get rid of all such Acts. Around 125 laws have been repealed. The 2015 Bill repealed about 295 laws; Appropriation (Repeal) Bill repealed about 758 laws. Once these two Bills are passed, the present ones, a close to 1178 Acts would be made redundant.

Ordinances are often treated as laws which have also been very predominantly described. These ordinances replace a statute in the absence of a law on a particular subject. For example, the Currency Ordinance of 1940 was finally replaced by Coinage Act of 2011. In the absence of a specific law, these ordinances remain laws. In the present circumstances, as ordinances do not have a permanent nature under the Constitution, it is also in violation of the Constitution when we keep repeating the ordinances and each ordinance finally needs to be replaced by an enactment. In the present Bill also, certain ordinances are being got rid of.

These colonial practices need to finally be removed from the present Parliament and all ordinances should be replaced soon by enactments. The fact is that the legal definition of an ordinance, as per the Constitution, mandates that it will last only for six weeks after the re-assembly of the Parliament or the

Session. So, under those circumstances, since they do not possess permanent nature, we have to think aloud on how this needs to be worked out.

Our learned colleague and Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, has already given a brief about the number of enactments. On the minus side, I will only say that this Bill seeks to repeal about 104 Acts. One law has a partial amendment and other three laws have minor amendments. They are all attached with the Schedule. Schedule I describes all the amending Acts and repealing Acts.

With these words, I support the Swachhta Abhiyan which is being carried out now. It was started by our hon. Prime Minister. It is swachhta in every sense of the term. It is a house keeping exercise for this House as well. Thank you very much.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, Sir, today these two Bills, the Repealing and Amending Bills, 2017 have been brought forward. They seek to repeal the statutes given in the Schedule. Our hon. Minister of Law is a very erudite lawyer also.

If you repeal it or not, it is not significant because the doctrine of destitute applies. In a number of cases, the Supreme Court has declared a number of Acts as false within the category of the doctrine of destitute.

The doctrine of destitute means that if a Government does not take any action under the Act for decades together, then it is said that this Act is nothing but false under the doctrine of destitute. Therefore, I agree that all these Acts which have been referred to here have no relevanc today. So it is a good thing to take them away from the Statute Book so that nobody will remain under any confusion. It is correct that since 2014 a good number of statutes have been repealed by your Government.

But today's problem lies somewhere else. Just simply repealing the Acts will help in providing speedy justice. Today we are talking about Digital India. But you could not provide WiFi facility even in the Supreme Court of India or in any single High Court, leave aside the District Courts and other courts. If a lawyer is having SCC app or any other journals online, in the absence of WiFi facility in the court, he cannot use it. The hon. Minister was a practising lawyer before he became the Law Minister. So he knows it very well that if a point comes to his mind while arguing a case and he knows that there is a judgement regarding the matter, facilities are available today to find out that particular judgement. But if there is no infrastructure in the court, then it does not help the lawyers in any way. If I have a private mobile connection like Vodafone etc., once I enter the court room, it does not work there because the signal is not available. But, if WiFi facility is provided in the courts, it would really help the lawyers. So, I request the hon. Minister to pay attention to this aspect.

Sir, later on, when the time comes I will speak about other things also. But the point is, still there are many vacancies in various courts in our country. The Minister may not like it, but I do not mind. He may give me an answer that कल्याण जी, हमने तो हाई कोर्ट में छः अप्वायंटमेंट्स दे दिए। You may be right. आठ जजों की रिटायरमेंट भी हो गयी। But at the same time, you have not taken into consideration that within three months some judges have retired also. एक स्टोरी थी कि पानी है, लेकिन, उसके नीचे होल है। पानी डालते रहते हैं, पर होल से वह बाहर निकल जाता है। वह ही हो रहा है।

Fill up these vacancies. I will not talk much. Incidentally, you have raised this issue of Emergency. I have no interest in talking about Emergency. You had gone to jail. I had to leave my education too. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Please, have some patience.... (*Interruptions*) Even not at the age 18 years, I had to do some employment leaving aside my education. उसी वजह से मैं वकील बन गया; नहीं तो वकील नहीं बनता, हो सकता था कि मैं कुछ और होता। सभी लोग इमरजेंसी के इम्पैक्ट्स को जानते हैं, उसमें कोई नयी बात नहीं है, सिर्फ उसी साइड ही नहीं, बल्कि बहुत से आदमी अफैक्टेड हुए थे। That is an old story. Now, the question is this. Is there any internal Emergency existing today in India without declaring Emergency under Constitution? That is the question. The question is not about the effects of Emergency. The question is whether there is any internal Emergency going on or not. If you are an Opposition party, your space would be in jail. The whole of India is under threat and under pressure. That is the kind of Emergency which is going on in India without declaring Emergency under the Constitution. There was an Emergency declared under the Constitution. Now, there is an undeclared Emergency. This is the basic distinction between 1977 and post 2014 in this country. ... (*Interruptions*) Please, have some patience. ... (*Interruptions*) You are talking about corruption or no corruption or who is corrupt. Why are you not commencing the trial? If one politician has committed any corruption, why has

the trial not yet been commenced for three long years? Can you give this answer? How can the CBI officers enter into the residence of an Odisha High Court judge in midnight? Can you give the answer? All Odisha lawyers have gone on strike. ... *(Interruptions)* Therefore, do not say as to what you or your CBI is doing. ... *(Interruptions)* Mr. Law Minister, with due respect, I am telling you this and you can take this information. It was just before five or seven days back, in the Court of Justice ... * – I am not taking the names – one gentleman in a party, who is lending support to your party ... *(Interruptions)*

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, hon. Member is a very eminent lawyer himself apart from me. I hope, he knows very well that court proceedings, what happened in the Supreme Court or any other court, should not be referred here. ... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE: No, I have not referred it.... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: No, leave it and continue.

... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, the person has been discharged by the Criminal Court where CBI initiated the proceedings. CBI did not prefer any appeal but the Supreme Court has asked the question as to why CBI has not preferred any appeal. They asked for the report. This is what the CBI is doing. ... *(Interruptions)* You do not understand what I am talking. You will not understand it. ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: It would not go on record. Please sit down, Madam.

... *(Interruptions)*... *

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I have not invited this discussion in respect of Emergency. The Law Minister has invited discussion in respect of emergency. I have to speak on that.

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON : Banerjee *ji*, please come to the point.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, one after another, I am coming to the point. It is not that I am not coming; I am doing my job. ... (*Interruptions*) Kindly allow me to speak.

HON. CHAIRPERSON: Madam, please sit down. What is this?

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : I have, at least, crossed that stage to tolerate any passing comments hither and thither. That does not matter to me. Remaining for 35 years in a profession, I do not care about any passing comments whoever makes it, whether it is having sense or no sense at all. ... (*Interruptions*)

So far as the Repealing and Amending Bill, 2017 is concerned, I have nothing to say. It is a good step. But the hon. Law Minister may kindly concentrate on the problems where I have said about this. At least, being a Law Minister, kindly introduce now the infrastructures. Earlier, you were there in the telecommunications. Now, kindly also make arrangement of WiFi in the Supreme Court and in all the High Courts and even in the District courts. ... (*Interruptions*)

Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: His speech is already over. Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, this is the time allocated not for 'Zero Hour'; this is the time allocated for discussion on a Bill. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is already over.

... (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given the Biju Janata Dal an opportunity to place its views on these two important Bills that have been brought to the House by the hon. Law Minister. The hon. Prime Minister in 2014 had given a clarion call for cooperative federalism which essentially means a partnership between the Centre and the various State Governments in this country in a federal polity. I think the Treasury Benches will be the first to concede that ours is the one Chief Minister in this country who has actually participated in the spirit of cooperative federalism wholeheartedly, despite a very bitterly adversarial State unit of the BJP, despite certain actions by the Central Government which have hurt and affected the interest of Odisha direly, and very very adversely, the hon. Chief Minister has always directed us in Parliament to support the Government when beneficial pieces of legislation are brought to the House. In that spirit, today, I rise on behalf of the Biju Janata Dal to support the Government in the passage of these two Bills which have been brought by the hon. Minister.

Every Government which does good work, according to my Chief Minister, ought to be praised for the good work. We find that 1301 obsolete laws could be abolished in 65 years before this Government came in. This Government, in a passage of three years, has already attempted or rather done away with 1824 obsolete laws. That is a heartening feature. We hope that this Government will accelerate the process even faster.

There are still far too many obsolete laws on the law books which unfortunately continue to clog and clutter our system.

Shri Kalyan Banerjee spoke about the Roman principle of "desituede". Now, that Roman principle of desituede unfortunately, I do not think will *stricto sensu* apply to India because we follow the UK system. We follow a system of enactment and repeal. That is a system where there is a legislature, then this system of desituede really ought not to be resorted to, except perhaps

as a last resort which the hon. Supreme Court has said. But that is not an advisable thing because then that leaves it to the courts to decide which law enacted by the Parliament ought to be applied or not applied, and which law is in existence or not in existence. It is the right of Parliament to enact laws and to repeal them. So, therefore, we have already ceded far too much legislative territory to the courts. Now, to allow the courts to decide which laws must remain on the statute books and which laws apparently do not remain on the statute books ought not to be allowed. Therefore, I commend the Government for having taken a positive step of repealing. At the same time, I would request the Government that today there are thousands of laws which require active repealment. Perhaps, going forward the Government must follow the UK's system which is the system of automatic repeal or the sunset clause in which case you will not have to come to Parliament everytime you wish to repeal these laws. There can be an automatic sunset clause. Once the law has served its purpose, it is repealed.

The other thing we find is that in 2014-15 and 2015-16, repealment that was brought to the House were really to do with the appropriations and the maximum number of laws in this country which continue to clog our system are appropriations which are easiest to be settled through the sunset route. The moment they have finished their purpose, they should automatically cease to be on the books. So, going forward perhaps this Government in its wisdom, this Law Minister who is a very eminent, erudite, senior advocate, a jurist in his own right, so, therefore, going forward one of the seminal things this hon. Law Minister could do is to advise the Law Ministry in future, that at least for appropriations, there should be an automatic sunset clause so that we do not have to keep coming back to Parliament for their replacement once they have served their purpose.

Of course, the Law Minister has to be reminded that there are still laws dating back to 1836 which are on the statute books which need to be repealed.

I mean it is bizarre, today, almost 200 years later, there are laws which have not been in use for the last 200 years, that continue to be on the statute books which needs repealment. Therefore, this process has to be hastened. This process at the moment, according to me, is not proceeding at the pace at which I think a Law Minister like you would like it to go forward.

Now, I come to a very important issue. Mr. Banerjee has also mentioned this. It is about the digital era but I want to say it in a different context. Digital era means why does not the Law Minister consider putting everything online because the moment you have all your acts and rules online, which is not the case today, then we will be able to actually get a lot of feedback as to how many acts and rules today are so obsolete that they should actually be done away with. You will get very important, positive feedback from the public as well, from jurists as well, from lawyers as well rather than what is left to the Law Commission along today which is seriously handicapped because of lack of staff etc. You will then get a far more wide ranging feedback and be able to therefore, act far more faster and decisively.

Coming to my last point, hon. Law Minister, this is something I think that affects hundreds and thousands of people in this country, it is not just enactments, there are provisions in enactments which are very archaic and completely obsolete and totally out of tune with the times. One such provision clearly this House will agree with me is Section 377, for instance, in the IPC which criminalises sex between consenting adults of different orientation.

Now the Supreme Court has repeatedly said that it is really up to the Legislature to set things right. The 2012 judgement, by which the Delhi High Court in a very bold move struck down 377, was set aside by the Supreme Court in the 2013 judgement on the ground that it is the job of the Legislature to do away with it, and it is not the job of the courts to legislate. Whether you wish to read it down, whether you wish to do away with it, you must give succour to crores of people. Now the number is not in lakhs. The number is in

crores. We are a country of 125 crore people. So, when you are looking to the fact that crores of people in the privacy of their bedroom feel they are criminals, I think a forward looking Government, I think an enlightened Government, ought to come to terms with the fact of 2017 and the facts that we are in the 21st century. The facts that obtain at the ground level now ought not to be wished away. At least you profess yourself to be a progressive Government of progressive people with progressive laws. According to me, a serious initiative should be taken and we should not leave it again to the courts. Everything should not be left to the Supreme Court. The Government should not put up its hands and say we leave it to the court; let the courts decide. No. It is the job of this Parliament. Let us debate it in this House. Let us do what is our duty. Let us do what is our job.

I seriously and sincerely wish that somebody of the eminence of Mr. Ravi Shankar Prasad, who is an eminent Senior Advocate, who is holding the charge of the Law Ministry today, it is during your tenure we hope that we will see an end to this absolutely pernicious and completely archaic provision of 377 in the IPC. It is the job of the Parliament to do something. The Parliament ought to do it.

I thank you once again hon. Chairperson for having given me this opportunity. I hope the Government takes my remarks in the right spirit. I wind up my speech by once again supporting and expressing my Party's stand on your Bills. Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय सभापति जी, आज माननीय विधि मंत्री जी निरसन और संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश को आजादी मिले 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी 167 वर्ष पहले 1850 के कानून का लोकतांत्रिक देश में अमल हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें सुधार करने की कोशिश माननीय विधि मंत्री जी ने की है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। पुराने जमाने और ब्रिटिश के जमाने के ऐसे कई और कानूनों को स्कैप करने की जरूरत है क्योंकि जब प्रशासन कुछ न कुछ काम करने के वक्त पुराने कानूनों का आधार लेते हैं तो लोगों के हितों को बाजू में धकेला जाता है। मेरा मानना है कि लोगों के हितों को अच्छी तरह से देखने के लिए पुराने कानून को दूर करके और अच्छा कानून बनाने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है, यह अच्छी बात है।

सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से करीब 245 पुराने कानून रद्द करने की कोशिश की है जो कि इससे पहले भी हो चुकी है। 1850 के कानून रद्द हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री का महोदय का अभिनंदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2002 के रिफ्यूजी रिलीफ टैक्सेस रिपील एक्ट को स्कैप करन का काम किया गया है। सिर्फ रिफ्यूजी की बात नहीं, उसके नाम पर टैक्स कलेक्ट करना, गरीबों की जेब में हाथ डालकर टैक्स लेना और लोगों को तकलीफ देने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, 2010 में वास्तव में दखल देने की जरूरत थी, ध्यान देने की जरूरत थी। माइनोरिटी के नाम पर एजुकेशन सैक्टर में जो धंधा चल रहा था, बाजार चल रहा था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जगह एजुकेशनल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। शिक्षा जगत में व्यापार का रूप आ गया था। इस पर पाबंदी लगाने का काम इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने किया है। माननीय मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया है।

मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि आप वर्ष 1850 से चलते हुए सब कानून खत्म कर रहे हैं, यानी जो कानून आवश्यक नहीं हैं, उन्हें आप रद्द करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ धारा 370, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान के दो भाग हो रहे हैं, उसे भी आप स्कैप करें और आपका जो अखंड हिन्दुस्तान का नया रास्ता है, उसका निर्माण करें। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity. We fully support the Repealing and Amendment Bill, 2017 on behalf of the Telugu Desam Party. But, I have a small suggestion for the hon. Minister of Law. Instead of us doing the scrutiny of the redundant, infructuous and irrelevant Acts, can we not leave it to some judicial scrutiny? They will be in a better position to scrutinize these laws.

I feel it strongly that whenever an Act is legislated upon in the House of Legislature, there must have been a strong theory behind that Act; there must have been very compelling reasons to enact that Act. When that Act comes for repealment by us, maybe because of its losing relevance with the passage of time, the Parliament may not be in a position to analyze those factors correctly. If it is left to some special court or the High Court or the Supreme Court to see as to what the archived laws are, which are redundant and not useful in the present socio-economic scenario and on the recommendation of the Supreme Court, these laws are taken up for repealment and amendment, whatever may be required, by the Parliament.

Without going into the merits or demerits of the particular Acts, which have been enacted long back, maybe 100 years or so, repealing them under the sweeping provisions may not give the correct results. This is what my personal feeling is.

The hon. Minister is a well-known lawyer and is well-versed with all the legal procedures of jurisprudence. I expect that the scrutiny of these redundant and archived laws can be done by the Court, at least, to save the precious time of the Legislature.

There are many such Acts that have been made, for example, the Delhi Police Act from which the Central Bureau of Investigation (CBI) derives its powers to investigate. The CBI has become the most powerful investigating agency. But, unfortunately, it does not have the original Act to act upon any crime or issue. They will have to derive these powers from the Delhi Police

Act. I do not know whether the Delhi Police Act needs to be amended to separate the CBI or it can be made as a separate Act. I have no idea about it. The hon. Law Minister must have been in a correct position to say that. Like this, there are many other Acts, which are precursor to the present Acts and those Acts need to be repealed or amended. It also needs to be probed as to what the circumstances were in which these precursor Acts were enacted. By doing so, we will at least be able to know the history so that we may not repeat those mistakes during the present time.

Therefore, my fervent appeal to the hon. Minister is, let us go into those factors which were responsible for enactment of these Acts and let us not repeat those things so that we will be safe in future and a lot of time of this Legislature is saved.

Again, on behalf of the Telugu Desam Party, I sincerely appreciate the efforts of the hon. Minister. There have been a lot of attempts during the 16th Lok Sabha to repeal many other irrelevant and redundant laws. This trend is continued. This is a good attempt. But let there be a judicial scrutiny before they are repealed by the Legislature. On behalf of the Telugu Desam Party we fully support this Bill. Thank you.

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Hon. Chairperson, Sir, I rise in support of the legislations which have been moved by the hon. Law Minister.

In fact, we are celebrating 70th year of our Independence. We have noticed that there are various archaic laws which are obsolete and redundant, but still they find a place in the Statute Book. Many a time, there arises a confusion in the minds of the jurists, academicians, researchers and even, to some extent, the courts while arguing the matters and while settling the law that there are various provisions, which they need to refer to, of the old laws, archaic laws. Therefore, the decision which this Government has taken is a welcome one.

After having taken over in 2014, hon. Prime Minister constituted a two-member committee in which it was decided that laws which are archaic, which are obsolete, which are redundant and which should not find a place in the Statute Book should be removed. As a result, for last two years, we find that there have been legislations which are being moved to repeal and amend the laws. Now, the hon. Minister has moved two Bills to repeal nearly 245 laws which still find a place in the Statute Book and which are otherwise redundant and archaic in that sense.

Hon. Chairperson, Sir, it is always said that the laws should change with times. It is also said that a law should be progressive. We say that 65 per cent of population in India is young and they look out for various avenues. They have challenges in their minds. They look out for growth and development. In such a situation, in fact, the laws, which are existing but are obsolete and redundant, should be replaced.

I would like to draw the attention of this House to some of the steps that this Government has taken with regard to the new legislations which have been introduced. They have brought amendments to the maritime law, Arbitration

and Conciliation Act, the National Waterways Act and the Merchant Shipping Act. Since I come from a State like Goa, these laws may be relevant or more specific to my State, but these laws do matter. This Government, in two to three years of its existence, has taken initiatives to amend these laws which otherwise should have been amended in the past 70 years, which was not done.

Sir, we always say that laws should be changed, laws should be amended and there should be repeal of laws. At the same time, there is a need for simplification of the language which is being used in our laws. The poor person, the common person should understand the language which is being used in the law. Therefore, my humble submission is that as we repeal the law, as we amend the law and as we introduce the law, it is also the duty of the Legislature to see to it that the language of the law is simplified.

Secondly, I also join the issue which has been raised by Shri Kalyan Banerjee. So far as the issue of introduction of new technologies, like wi-fi, in the court system is concerned, it would be better if the hon. Law Minister could consider this aspect of the matter because this is an important issue.

Finally, since I come from the State of Goa, I would like to inform the House that today, we are celebrating 56th year of our liberation. I, on my personal behalf, extend greetings on Goa's Liberation Day. I would also like to make a mention that Goa is the only State in India which practices a Uniform Civil Code, I think, without going into the debate on it.

With these few words, I support this legislation which has been moved by the hon. Law Minister.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Law Minister.

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि इन दोनों विधेयकों पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। इस बहस की शुरुआत मीनाक्षी लेखी जी ने की, आदरणीय कल्याण बनर्जी जी, पिनाकी मिश्रा जी, विनायक जी, रविन्द्र जी एवं अंतिम वक्ता आदरणीय नरेन्द्र केशव सावईकर जी, इन सभी के प्रति मैं अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सार्थक तरीके से इस पूरी बहस को रुचिकर बनाया। विशेष रूप से कई मित्रों ने मेरे बारे में जो टिप्पणी की, उनके प्रति मैं हृदय की गहराई से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

Sir, I would make some general points. Questions were raised as to why you cannot have some Special Judicial Commission to examine these matters; why are you coming to the House; and some others said that the principle of destitute should be followed. Shri Kalyan is a very eminent lawyer and he is not present here today who mentioned it. Others have their own things to observe.

First of all, I would like to mention about Shrimati Meenakashi Lekhi, who is no more present here. She had raised a very valid point कि यह स्वच्छता अभियान है। जो पुराने कानून बने हुए हैं, उनको स्वच्छ करने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जो देश के व्यक्तित्व का है, उसको भी मैं उठाना चाहता हूँ। हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गये हैं और अगर हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं तो आज़ादी के 70 साल बाद यह कानून क्यों होना चाहिए Prevention of Seditious Meetings Act, 1911 आज़ादी के 70 साल बाद यह कानून क्यों होना चाहिए The Sheriff of Calcutta (Power of Custody) Act (1931) जो कानून देश की आज़ादी के आंदोलनों को दबाने के लिए बनाये गये थे, वह हमारे औपनिवेशिक विरासत का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंग है। इसलिए इसको समाप्त करना जरूरी है। यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिपील बिल नहीं है, यह समझना चाहिए। कहीं-कहीं यह हमारी विरासत की बात है। Therefore, I feel very strongly that as a proud Indian when I see these Acts cluttering our statute books, it also gives me a sense of revulsion that they need to go.

एक बात जो मुझे लगी कि बताना जरूरी है और दूसरी बात कही गई कि संसद के सामने आना क्यों जरूरी है? मैं अपने माननीय तेलगुदेशम के मित्र को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि देश

के कानून को बनाना संसद का काम है और कोई कानून चलेगा या नहीं चलेगा, यह भी संसद का काम होना चाहिए क्योंकि देश की जनता ने हमें इसीलिए चुनकर भेजा है।

We cannot outsource our power of law-making to even a Judicial Officer or to the courts. Sovereign law-making must be the prime responsibility of the Parliament. I thought that I need to tell you that, but even before that what have we done? We went through all the process, namely, we constituted a two-Member Committee. Mr. Ramanujam was a former Secretary of the Prime Minister; there was Mr. Bhasin, the former Secretary of Legislative Department; the Law Commission examined it and they identified these Bills. But I hope that it is very important to be noted that mere Bill identification is not enough and the concerned Administrative Ministry must also be consulted whether the Bill is required or not. If certain laws concern the State, then स्टेट से पूछना जरूरी है। वे हमें बताएंगे कि यह हमारी जरूरत है या नहीं। इसलिए हमने यह पूरा काम किया है और पूरा काम करने के बाद हमने विस्तार से यह फैसला किया कि इन कानूनों को समाप्त करना जरूरी है। इसलिए यह एक बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया है।... (व्यवधान) मैंने आपकी तारीफ भी की है। आप अपनी तारीफ सुने बिना बाहर चले गये। ... (व्यवधान) मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। यही तो दिक्कत है कि जब आपकी तारीफ करते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। ... (व्यवधान)

मैं यह बता रहा था, चूंकि आपने लॉ ऑफ डैस्टीट्यूट की बात की तो मैं उसी को डिसकस कर रहा था। Sir, I need your indulgence because Shri Kalyan, my distinguished friend, has come. Therefore, I need to speak a little about the law of destitute, which he mentioned about me.

With your wide experience, you are very aware that the law of destitute is not conventionally practiced in India's jurisprudence.

SHRI KALYAN BANERJEE : Yes, it is done. I will give you 10 cases tomorrow.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Okay. The law of destitute deals with law, which has become otiose, where the court takes a call. You are right there, but the law of destitute does not impinge upon the sovereign right of the Parliament to delete / repeal a law. I am only on that particular finding.

SHRI KALYAN BANERJEE: I have also made it clear in my speech during the discussion.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: All right. Sir, what is important is that when a person of the eminence of Shri Kalyan, a senior lawyer, does not agree with an opposing lawyer even if he is the Law Minister, but today he has agreed, then it is also a very great thing.

SHRI KALYAN BANERJEE: I had also agreed with you on the Bill, which you had brought and for that reason I had been criticized in the Supreme Court also as I was supporting you. Please do not forget it.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: All right. It is greatly appreciated!

15.00 hours

Therefore, this issue is very important. All the procedural requirements for repeal, namely, a two Member Commission, Law Commission consultation and thirdly, consultation with administrative Ministry and the State Governments have been done. Therefore, all the procedural requirements have been done.

Two, three other issues have also been raised. Hon. Kalyan Babu raised a point about particular facilities in the Court. That point is fairly well taken.

सभापति महोदय, आप एक दिन चर्चा कराइए, हम ने ज्यूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए क्या-क्या काम किया है, हम बतायेंगे। हम चाहेंगे कि सदन में ज्यूडिशियरी के संबंध में एक दिन व्यापक चर्चा हो, हम आपका स्वागत करेंगे और बाकी सदस्यों का स्वागत करेंगे कि ज्यूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और क्या काम करना चाहिए। हम आपके सुझावों का भी स्वागत करेंगे, लेकिन जब एक बात कही गयी है तो सभापति महोदय में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने लगभग 14,000 कोर्ट्स को ई-कोर्ट्स कर दिया है, सारे हाई कोर्ट्स को ई-कोर्ट्स कर दिया है और एक नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड बनाया है। You can access online more than six crore cases pending or decided. इसमें और भी काम करने की जरूरत है, हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? Access to justice is an important part of digital India, लेकिन आपने जो बताया है तो आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं कि, we have no executive control over the Supreme Court and we should not have. लेकिन आपने जो बात बतायी है कि वहां वाईफाई फौसिलिटी और ज्यादा होनी चाहिए, इस बारे में आपकी चिंता को औपचारिक रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा, वहां की एक कमेटी है कि उन्होंने एक बात कही है, इसलिए इस बात को देखने की जरूरत है।

One issue of automatic repeal came. Why should it not be there? Shri Pinaki Babu perhaps mentioned about automatic repeal. Automatic repeal is a question which can be considered. But, the plea of automatic repeal must be left to the collective judgment of the House. We must understand that in a democratic polity like India, the House is all supreme. When the collective wisdom of the House is pooled into passing of a law, even if there is an

administrative view to have automatic repeal, the House can take a contrary view for legitimate reasons. Suppose, a particular legislation is referred to a House Committee, it can take a collective view, for good reasons that that Bill must continue. Therefore, I am willing to take his suggestion on record about automatic repeal in respect of appropriation. But, having a provision of automatic repeal in case of all the laws would be difficult.

SHRI PINAKI MISRA : I have only made it for appropriation.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Then your point is well taken.

Now, coming to the larger issue of other provisions, section 377 of the Penal Code is a debatable question. I do not deny that there are merits on one side and there are equally opponent views on the other. I am willing to take the suggestion of hon. Pinaki Babu on board that there is a deepening concern of decriminalizing it. There is a merit in that argument. But, other people have equally different views. I am afraid, I am not the Minister in-charge of the Indian Penal Code. It is handled by hon. the Home Minister. But, what is important is that we need to have a proper national consensus on that. We will debate it. That is what democracy is about. We need to debate, discuss and decide.

हमारे शिवसेना के मित्र ने आर्टिकल 370 की बात की है। पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा और जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, हम वह भी कहते हैं कि संसद का एक कानून है कि वह भारत का अंग है और रहना चाहिए। जहां तक 370 की बात है तो बिल्कुल सामने स्पष्टता से हम कहते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है, कभी चर्चा होगी तो हम बतायेंगे कि किस तरह से आज हम पूरे कश्मीर में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सख्त कार्रवाई से आज हुरियत के लोग शांत हो गये हैं। बाहर से आने वाले पैसे पर सख्ती लगायी गयी है और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और हम यह करते रहेंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग है, हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं।

एक बात और आई है, जो बात पिनाकी बाबू ने कही है कि ऑनलाइन होना चाहिए। That suggestion is quite welcome. हम ऑनलाइन में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में कानून ऑनलाइन पर चले आये हैं। More than 800

laws are online. Others are being worked out. At the click of a button, you can see the existence of those Acts which have come online.

Sir, there is one issue which I must clarify. In the Schedule section, the last Schedule is a mere grammatical and clerical correction. कहीं ऐक्ट की जगह बिल टाइप हो गया है, कहीं ईयर गलत हो गया है, उसे भी हम सही करेंगे। It is basically a clerical correction.

My concluding request to this hon. House is that this particular Repeal (Amendment) Bill is a great initiative in the quest for making our country reform-oriented. Secondly, it is a Swachata Abhiyaan in the case of repealing those laws which have become irrelevant. तीसरी सबसे बड़ी बात है, जिसे मैंने आरम्भ में कही कि ये अंग्रेजों के जमाने की विरासत के कानून हैं, जो देश की आजादी के आन्दोलनों को रोकने के लिए बनाये गये थे, उनको भी समाप्त करने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास है।

जिन सम्मानित सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं आग्रह करूँगा कि सर्वानुमति से इस बिल का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

Repealing and Amending Bill, 2017

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

Repealing and Amending (Second) Bill, 2017

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

15.11 hours**CENTRAL ROAD FUND (AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up Item No.26 - The Central Road Fund (Amendment) Bill.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, वहां पानी नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. Hon. Minister, please go ahead.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF SHIPPING AND MINISTER OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI NITIN GADKARI): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Central Road Fund Act, 2000, be taken into consideration.”

Hon. Chairman, Sir, I place the Central Road Fund (Amendment) Bill for consideration of this august House and request that it be passed unanimously.

सभापति महोदय, आपको पता ही होगा कि हमारी सरकार ने इनलैण्ड वॉटरवेज़ को प्राथमिकता दी है। इसी सदन ने 111 इनलैण्ड वॉटरवेज़ को जलमार्ग में रूपांतरित करने वाले बिल को पास किया है। यह काम करने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे डिपार्टमेंट का बजट बहुत कम है। सेंट्रल रोड फंड - केंद्रीय सड़क निधि सन् 1929 से अस्तित्व में है। यह सन् 1988 में संसद द्वारा पारित संकल्प के द्वारा शासित था।

माननीय सभापति महोदय, दिनांक 27.12.2000 को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 प्रभाव में आया है। पहले इसमें पेट्रोल और डीजल पर सेस 2 रुपये प्रति लीटर था। इसके बाद जनवरी, 2015 में पेट्रोल और डीजल पर उप-कर बढ़कर 4 रुपये प्रति लीटर हुआ था। इसके उपरांत मार्च, 2015 से उसे 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह जो पैसा आता है, इस पैसे में से रूरल रोड्स के लिए करीब 33.50 परसेंट 16,994 करोड़ रुपये जाते हैं। इसमें से 41.50 परसेंट करीब 38,824 करोड़ रुपये नेशनल हाइवेज़ के लिए जाते हैं। इसके साथ ही रेलवे को 7.2 परसेंट और 14 परसेंट यानि 10,668 करोड़ रुपये इसमें से जाते थे।

15.13 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं स्टेट रोड्स अंडर सी.आर.एफ की बात करता हूँ। हम राज्य सरकारों को सी.आर.एफ. में जो मंजूरी देते हैं, उसके लिए भी करीब 8 हजार 83 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, जो कि 17.1 परसेंट है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाइवेज़ मिनिस्ट्री का मंत्री हूँ। हमने इसके 2.5 परसेंट कम किए हैं। इस 2.5 परसेंट को कम कर के यह करीब 2,339 करोड़ रुपये का अमाउंट आता है, जो कि 2,500 करोड़ रुपये से कम का अमाउंट है। हम यह अमाउंट अब हर साल इनलैण्ड वॉटरवेज़ के लिए देंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह देश में एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा। लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है कि यह कैसे होगा। आपने सुना और देखा होगा कि कुछ समय पहले पानी पर हवाई जहाज उतरा था। मैं यह बहुत बार कहता था कि हम पानी के क्षेत्र में काफी विकसित करेंगे। हम गंगा में 5 हजार करोड़ रुपये का कार्य कर रहे हैं। इन कामों में 3 मल्टी मॉडल हब्स हैं, 40 वॉटर पोर्ट्स हैं, 9 फेरी सर्विसिज़ हैं, 8 रोड सर्विसिज़ हैं और 17,500 करोड़ रुपये की हम ड्रेजिंग कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र का काम भी शुरू हो रहा है। हम बांग्लादेश में भी ढाई सौ करोड़ रुपये का ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं। बराक में भी काम शुरू हो गया है, बंकिघम कैनल का काम भी शुरू हो गया है। यह काम इतना बड़ा है कि अब से हमारा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट डायरेक्ट नदियों के द्वारा होगा। अगर रोड से ट्रांसपोर्ट करने पर डेढ़ रुपये का खर्च आता है और रेलवे से एक रुपये खर्च आता है तो पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट करने से 20 पैसे ही खर्च आएगा। मैं कुछ दिन बाद संसद के सामने एक नई नीति लेकर आ रहा हूँ जिसमें यह सब बार्ज मिथेनॉल पर चलेंगे, जो कोयले से तैयार होगा। यह 20 पैसे कीमत फिर 10 पैसे ही आएगी। इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ग्रेप्स और ऑरेंजेस महाराष्ट्र के मुम्बई से रेलवे से लाकर साहिबगंज मल्टीमॉडल हब बन रहा है, वाराणसी मल्टीमॉडल हब बन रहा है, वहां से डायरेक्ट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों का और देश का फायदा होगा। इसके अलावा गंगा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्रूज़ सेवन स्टार, फाइव स्टार आएंगे, हवाई जहाज उतरेंगे, पानी पर चलने वाली बसें और रोड पर चलने वाली बसें चलेंगी और एक बड़ा रेवॉल्यूशन देश में होगा। इस काम के लिए मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि पैसा नहीं था, लेकिन रोड मिनिस्ट्री का मंत्री होने के नाते मैंने अपनी मिनिस्ट्री का सीआरएफ का शेयर कम किया है। यह रोड को जाने वाला शेयर है, रेलवे का नहीं काटा है, स्टेट सीआरएफ का पैसा नहीं काटा है, बल्कि अपने विभाग के रोड के पैसे को कम किया है। मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ कि 2339 करोड़ रुपये हर साल इसके माध्यम से मिलेंगे, जिस प्रकार से हम सीआरएफ में काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वर्ष 2018 समाप्त होने के पहले इन 111 में से दस जलमार्गों का

काम पूरी तरह से चालू होगा, अच्छे तरीके से चालू होगा और आने वाले समय में देश में जैसे रोड का नेटवर्क बना है, वैसे ही जलमार्गों का नेटवर्क बनेगा। यदि आप पटना जाना चाहते हैं तो अगली बार ऐसी स्थिति आएगी कि आपको एयरपोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यमुना के फ्रंट से आपका हवाई जहाज उड़ेगा और पटना में गंगा नदी में उतरेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज इसके माध्यम से आएगा। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पटना से वाराणसी, पटना से हल्दिया...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : यमुना नदी इटावा से होकर भी जाती है।

श्री नितिन गडकरी : सर, इटावा भी उतरेगा। मैं मुलायम सिंह जी को आश्वासन देता हूँ कि उनको देखने को मिलेगा कि अगले साल यहां के यमुना फ्रंट से लेकर आपको इटावा में प्लेन उतार देगा।

महोदय, इस बिल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह से हल्दिया से पटना रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू हो चुका है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देश में पुराने ज़माने में नदी के रास्ते व्यापार होता था, लेकिन धीरे-धीरे सब बंद हो गया। अब आप सभी के सहयोग से देश में एक नये युग की शुरुआत होने जा रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी का इसमें बहुत योगदान है। 2339 करोड़ रुपये हमें मिलेंगे तो हम 111 पर और अधिक काम कर पाएंगे और पोर्ट से उनको जोड़ देंगे। पोर्ट से जो प्रॉफिट होगा, वह भी इसमें डालेंगे तथा कुछ फॉरेन से लोन लेंगे। इससे देश की तस्वीर बदलेगी, इसलिए आप सभी इसका बहुमत से समर्थन कीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Central Road Fund Act, 2000, be taken into consideration.”

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, माननीय गडकरी जी ने वर्ष 2000 के सेंट्रल रोड फण्ड एक्ट में संशोधन करने के लिए सदन के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसमें करीब ढाई फीसदी सेस का पैसा इनलैंड वॉटर वैज़ में जाएगा और उसके बिल में जो परिवर्तन करना है, उसमें नेशनल हाइवेज़ के साथ इनलैंड वॉटर वैज़ को जोड़ना है।

महोदय, बहुत सी बातों को मंत्री जी ने रखा है और आगे भी रखेंगे, लेकिन नीतिगत तौर पर देखा जाए तो ऐसी सरकारें जो नीतिगत आधार पर फैसला करती हैं, उनका परिणाम देश को मिलता है। हमें यह याद करना होगा कि वर्ष 2000 के समय कौन मंत्री थे, जो इस बिल को लेकर आए थे और उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, जिन्होंने सेंट्रल रोड फण्ड का बिल बनवाया। वर्ष 2000 में जब यह बिल आया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और सेंट्रल रोड फण्ड का आज पूरे देश में जाल बिछा हुआ है। वह एक ऐसी सोच का था। चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना का पैसा इससे निकलकर गया हो या राष्ट्रीय उच्च पथ का पैसा निकलकर गया हो या आर.ओ.बीज़ बनाने के लिए रेलवे लाइन के फाटकों पर फाटकों का निर्माण करने के लिए या बॉर्डर पर रोड बनाने के लिए, एक सोच ने उस समय से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष में सड़कों का आंदोलन बना दिया। ये हमारी सरकारों के लिए है। उस समय जनरल खंडूरी ने यह बिल पेश किया और आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा है। यह आज नितिन गडकरी जी देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिस तरह से हमारी सरकारें बनती हैं और चलती हैं, उसके बारे में इस नीतिगत फैसले पर परिणाम दिखे।

महोदय, यह एक पूरा विषय जिसके बारे में चर्चा की गई है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इसमें आज हमें जो सेंट्रल रोड फण्ड में लगभग 82 हजार करोड़ रुपये आएंगे, इसमें से एक छोटा अंश, और यह अंश बहुत छोटा है, क्योंकि आपका ही विभाग था और अपने ही विभाग से दूसरे विभाग में लाना था। वर्षों से आजादी के बाद जिस सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसमें आपने एक अच्छी शुरुआत की है। इससे प्राइवेट सेक्टर को व वित्तीय संस्थाओं को ताकत मिलगी। इस पैसे के आधार पर इस पर निवेश करें। आपने इस काम को बड़ी खूबसूरती से किया है। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे प्रतिपक्ष के सांसद इस बात को कुबूल करेंगे कि एक ऐसा मंत्री भारत सरकार में है, जिसकी जुबान पर न नहीं है और अगर न नहीं है तो साथ-साथ काम करने की वह क्षमता भी है और काम कर के दिखा देना और उस सम्मान को हमारे पास रखने का अधिकार है। अब लगभग एन.एच.डी.पी. के जो प्राजेक्ट थे, जिस प्रकार से आपने सड़कों का काम किया है और पिछले 13-14 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में उस काम की गति बहुत ढीली हो गई थी, फिर भी उसको माननीय नितिन गडकरी जी ने देश के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब एन.एच.डी.पी. फेज़

6 लगभग समाप्ति की ओर है और हम लोगों ने भारतमाला सड़क निर्माण योजना की बात की थी। जो गैप्स हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज नेशनल हाईवेज़ पर कंजप्शन हो रहा है, जिस प्रकार से सड़कों पर दबाव है, चैनल रूट्स पर दबाव है। एक नई योजना के तहत पैसे खर्च करके उसका निर्माण करना है। लेकिन आज पहली यह योजना, उस समय का भी यह नीतिगत फैसला था जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रीलैट्रल शुरू किया, नॉर्थ-साउथ, ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर शुरू किया। आज उसी परिकल्पना के साथ हम देश में अगले कदम में इनलैण्ड वाटर वेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं।

महोदय, जब हम इनलैण्ड वाटर वेज़ की बात कर रहे हैं, एक समय जिस तरह वाजपेयी जी ने कहा था कि नेशनल हाईवेज़ भाग्य रेखा की तरफ पूरे देश की तकदीर बदलेगी। उसी तरह से हमारी सरकार ने फिर से एक बार सागरमाला की चर्चा की। हम लोगों ने सागरमाला में चर्चा की कि किस प्रकार से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो और पोर्ट्स के साथ-साथ यह निर्णय वर्ष 2015 में हो गया कि पोर्ट्स की कनेक्टिविटी हो और पूरे देश के चारों तरफ पोर्ट्स का निर्माण हो और इसकी कनेक्टिविटी हो। नेशनल हाईवेज़-रोड्स कनेक्टिविटी पोर्ट्स और उस श्रृंखला में एक चीज़ बची थी जिसे आज हम लोगों ने इस बिल के माध्यम से टेकअप कर लिया है। वह नदियों का लगाव और जुड़ाव है। मुझे लगता है कि इसके बाद सरकार के बड़े नीतिगत फैसलों में से यह अंतिम फैसला है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करके देगा। जब हम नदियों के बारे में कहते हैं, हमें आज भी याद है कि इसके साथ सिर्फ नदी का ही निर्माण नहीं, उसकी सफाई नहीं है। हम उसी प्रांत से आते हैं, जिसमें से 111 नए इनलैण्ड वाटरवेज़ लेक हैं। कुछ ऐसे प्रांत हैं, जिनमें बाढ़ नहीं आती है, लेकिन हमारी दायीं और बायीं तरफ कुछ ऐसे सांसद बैठे हैं, जिन्होंने बाढ़ को देखा है और पिछले 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बाढ़ को देखा है। यह निर्णय अगर 30 वर्ष पहले हो गया होता तो शायद आज भारत की जो त्रासदी बाढ़ पीड़ितों की है, ऐसा न होता। अगर उस समय के निर्णायकों ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया होता तो शायद ये चीज़ें आज न होतीं जो आज हम देखते हैं। कोसी की बाढ़, गंडक की बाढ़ और गंगा की बाढ़ है।

महोदय, आप भी उसी जगह से आते हैं, जहां से हम आते हैं और 10 बिलियन डॉलर का प्रत्येक वर्ष नुकसान होता है, इसमें प्रत्येक वर्ष 80 फीसदी बाढ़ का प्रकोप रहता है। यह पैसा तो बहुत छोटा है। अगर इसी तरह प्रत्येक वर्ष इस देश में 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है और यह काम अगर हमने 50 साल पहले कर लिया होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता और हम कितने गरीबों के पेट की भूख की आग को बचा पाते।

महोदय, टूरिज्म की तरफ देखें। हमारे यहां बात हो रही है। यदि हम अंडमान-निकोबार आईलैण्ड्स को देखें और वहां के वाटरवेज़ को देखें तो हमें ध्यान आता है कि अगर हम आज नक्शे पर

देखें, मंत्री जी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि अंडमान-निकोबार आईलैण्ड चेन्नई के पोर्ट से 1000 किलोमीटर दूर है। यानी जितना दिल्ली से पटना होगा और उसमें पहले आइलैंड से लेकर एक हजार किलोमीटर के बाद कार-निकोबार जो इंदिरा पाइंट है, वह 1200 किलोमीटर है। अगर कोई अमरीका गया होगा तो फ्लोरिडा के पास कीवैस्ट देखा होगा, यह अमरीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। वहां एक हजार छोटे-छोटे आइलैंड हैं और उस पूरे इलाके का टूरिज्म जिस प्रकार से इन आइलैंड्स पर बना हुआ है, भारत में आज पहली बार देश के प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद से हम लोगों ने टूरिज्म की जो परिकल्पना नहीं की थी, इस बिल और इस धनराशि के बाद उस परिकल्पना को हम पूरा कर पायेंगे, जो कभी किसी ने नहीं सोची।

महोदय, इसमें लगभग 2400 किलोमीटर कोस्ट लाइन है और इनलैंड वाटरवेज हैं, जिसमें नदियां भी हैं और कोस्ट भी हैं, लेकिन एक चीज यह हुई और हम सब लोग इसी पार्लियामेंट में बैठकर नीतिगत फैसला करते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले हजारों वर्षों से जो कुछ व्यापार होता था, जो कुछ मूवमेंट होता था, जो युद्ध होते थे, जो भी राजा-महाराजा होते थे, वे दस फीसदी सड़कों पर जंगलों से निकलते थे और 90 फीसदी इन्हीं नदियों का उपयोग अपने कारोबार और अपने अभियानों के लिए करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनके लिए बड़ा जरूरी था, नील की खेती करना, गन्ने की खेती करना और फलां-फलां काम करना। उन्होंने रेल रोड बनाना शुरू कर दिया, सड़कों का भी थोड़ा निर्माण होता गया, रेल रोड का निर्माण होता गया और परिणामस्वरूप अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जितने इनलैंड वाटरवेज थे, उन्हें निग्लेक्ट किया गया। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, दुनिया की जितनी बड़ी सभ्यताएं आई हैं, जब से इस धरती का अवतरण हुआ होगा, जब से मानव जाति आई होगी, दुनिया भर में सबसे पहली जगह जहां मीठा पानी मिलता था, जहां नदियां बहती थीं, जहां जंगल किनारे पर होते थे, चाहे वे भारत के भीतर इलाहाबाद शहर, लखनऊ शहर, पटना शहर, कोलकाता शहर तथा आप दक्षिण के शहरों को भी देखें, आप पूर्वोत्तर के शहरों को देखें, अहमदाबाद को देखें, दुनिया भर में जहां नदियां हुई हैं, उन्हीं को देखते हुए, उन्हें अपने सामने रखते हुए सभ्याएं आईं। लेकिन वर्षों से हम इस चीज को भूलते चले गये और परिणाम हुआ कि नदियों के प्रति जो नीति-निर्धारकों की सोच होनी चाहिए थी, वह नहीं रही। दुनिया के इतिहास में भी देख लें, 3500 बी.सी. में जो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की आई, वह टिगरिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में आई, जिसे हम वैस्ट एशिया में देखते हैं। दूसरी 3000 बी.सी. के आसपास आई, वह इजिप्ट में नाइल वाली सिविलाइजेशन के पास आई। तीसरी 2600 बी.सी. के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके पार्ट हम लोग हैं, वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखी गई और जो सिविलाइजेशन 1700 बी.सी. में आई, वह ह्वांगहो रिवर जो चाइना में है, वहां आई। इस तरह से जो चार बड़ी

सभ्यताएं धरती पर आईं, वे सब नदियों के किनारे आईं हैं। हम लोगों ने इतिहास के पन्नों को पलटा, लेकिन नदियों के महत्व को नहीं समझा।

देश में पिछली सरकारों ने इनलैंड वाटरवेज बनाए, उसे 29 साल हो गये। हम लोग भी स्टैंडिंग कमेटी में उनसे सवाल पूछते रहते थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जैसा कि हमने कहा कि इनलैंड वाटरवेज अगर दुनिया से कम्पेयर किये जाएं तो चीन में 8.7 प्रतिशत जो उनका ट्रैफिक है, वह वाटरवेज में हैं, यू.एस. में लगभग आठ फीसदी है, लेकिन भारत में मात्र 0.4 प्रतिशत है, यानी कि लगभग नगण्य है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इसकी जो ताकत है, अगर एक हार्स पावर हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी पर एक जगह से दूसरी जगह पर चार हजार किलोग्राम उठाकर डाल सकते हैं। रेल में एक हार्स पावर में मात्र पांच सौ किलोग्राम है और रोड में सिर्फ डेढ़ सौ किलोग्राम है। इस तरह से अगर पांच हार्स पावर की गाड़ी हो तो लगभग सात सौ किलो हम रोड पर चला सकते हैं, लेकिन लगभग बीस हजार के.जी. हम नदी में खींच सकते हैं। इनमें इतना ज्यादा फर्क है। इसी प्रकार से उसके बहुत सारे आंकड़े भी हैं। क्योंकि भारत में अभी लगभग 65 फ़ीट है, ये सामान रोड से जाता है, रेल से 27 प्रतिशत जाता है और पानी से मात्र 0.4 प्रतिशत जाता है।

महोदय, अगर हम विश्व युद्ध में देखें यानी वर्ल्ड वार -1 और वर्ल्ड वार-2 में देखें तो दोनों युद्धों में चाहे वह कोयला, तेल, आयरन, सल्फर हो या बारूद हो, ये सब उन दोनों युद्धों में मात्र नदियों के माध्यम से पहुंचाया गया था, इसका इतिहास साक्षी है। लेकिन दुनिया के इतिहास के साक्षी होते हुए भी शायद भारत में कभी किसी ने यह महसूस नहीं किया कि इसे हम लोग आगे लेकर चलें। आज पहली संस्था जिसने नदी का उपयोग कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में किया और 560 किलोमीटर सागर आइलैंड से फरक्का वैस्ट बंगाल से एनटीपीसी की प्रोजैक्ट में कोयला पहुंचाया जा रहा है तथा आने वाले दिनों में कोयला पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा किया जायेगा। उस काम को करने के लिए देश की सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। लेकिन इसमें जो पहले से वॉटरवेज है, गंगा-हल्दिया-इलाहाबाद से जो गंगा पर है, वह 1620 किलोमीटर है। 811 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र-हुबली पर है। कोल्लम से कोटपुरा, यह दक्षिण का है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में नैशनल वॉटर वेज-4 है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नैशनल वॉटर वेज-5 है। ये तमाम ऐसे वॉटरवेज हैं, जो वर्षों से, जब से धरती की संरचना हुई होगी, तब से हैं, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया।

सभापति जी, आज सचमुच वॉटर फ्रंट पर क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमें अहमदाबाद में साबरमती नदी पर हुआ काम देखना चाहिए। हम यूरोप जाते हैं, वैनिस जाते हैं, लंदन जाते हैं और दुनिया भर का 80% टूरिज्म इन्हीं बैंक्स पर है, जो हम पूरी दुनिया में देखते हैं, लेकिन भारत में पहली बार इस सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। माननीय नितिन गडकरी जी ने माननीय

प्रधान मंत्री जी की सोच के तहत उसकी शुरुआत की है। ये सब अपने आप में ऐसी ही परिकल्पनाएं हैं। हम में से कुछ लोगों को अपने जीवन में बड़े-बड़े क्रूज़ लाइनर्स पर जाने का मौका मिलता है। यूरोप में, रोम में, फ्रांस में, आइसलैण्ड में, अंटार्क्टिका में एक से एक बड़े-बड़े जहाज़ हैं। आज अगर हम भारत के भीतर क्रूज़ लाइनर्स को ही देखें तो मुश्किल से मुंबई के पोत पर या कोचीन के पोत पर ही मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म सैक्टर है। क्रूज़ लाइनर और इंटरनल क्रूज़िस के माध्यम से टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपने पहले कहा, शायद यह संदर्भित इसलिए होगा कि यह अपने आप में एक रैवल्युशन है और हम इसको रैवल्युशन इसलिए कहेंगे कि आपको याद होगा कि हमारी सरकार जो नीतिगत फैसले करती है, जब सन् 2003 में हम लोगों ने हवाई सेवाओं के बारे में इसी प्रकार की शुरुआत की थी, सौभाग्य से मैं उस दौरान उस सरकार में मंत्री था तो उस समय मात्र 70 लाख डोमैस्टिक पैसेंजर्स हवाई जहाज़ पर उड़ते थे और जब से इस देश में हम लोगों ने लो कॉस्ट एयरलाइंस चालू की हैं तो आज आठ करोड़ पैसेंजर्स हवाई यात्रा करते हैं। यह उस समय का निर्णय है। चाहे वह सड़क के क्षेत्र में है या हवाई यातायात के क्षेत्र में है, लेकिन विलंब से हुआ कुछ निर्णय क्योंकि हमारी सरकार सन् 2000 में चली गई थी। आज सौभाग्य है कि देश को ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जो आगे सौ वर्षों के बारे में सोचता है और इस काम को पूरा करने के हमारा सौभाग्य है कि आज प्रथम बेंच पर माननीय गडकरी जी बैठे हुए हैं। हमारी आस्था इनकी कार्यशैली में है और देश भर में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, वह सराहनीय है। अभी इन्होंने भारत माला में जिस प्रकार से सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया है, हम लोगों ने देखा है, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, अब 42% जो ट्रैफिक है, वह नैशनल हाइवेज़ यात्रा करता है। जिस प्रकार से गडकरी जी ने पूरी सोच बना कर, पूरे भारतवर्ष का एक जो नक्शा बनाया है और जिस गति से काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि उसी गति से इनलैण्ड वॉटरवेज़ का काम होगा।

महोदय, मैं माननीय गडकरी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए दो हज़ार करोड़ रुपये कम हैं। गडकरी जी, आप कभी भी इसी प्रकार का बिल किसी हफ्ते हमारे पास ले कर आएँ, सभी लोग आपका समर्थन करेंगे। आप दो हज़ार करोड़ रुपये ले जाना चाहें या दो लाख करोड़ रुपये ले जाना चाहें, हम सभी का आप पर बड़ा भरोसा है। आप जो भी कदम उठाएंगे, यह पूरा सदन आपके साथ रहेगा।

सभापति महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सभापति महोदय, हमारे मंत्री गडकरी जी सेंट्रल रोड फण्ड (अमेण्डमेंट) बिल, 2017 लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। गडकरी जी ने पहले ही बता दिया है कि इसके लिए अलग से कोई रूपया नहीं लेना है। पहले ऐसा था कि सेंट्रल रोड फण्ड एक बिल था सन् 2000 का, वह केवल रास्ता बनाने के लिए था और उसमें बता दिया गया कि कैसे रूपया दिया जाएगा। 41.5 per cent cess for development and maintenance of national highways. अभी गडकरी जी इनलैण्ड वाटरवेज के लिए रूपये देने लगे तो वह नेशनल हाइवेज से ढाई पर्सेंट कम कर के उसको इनलैण्ड वाटर वेज के लिए दिया है। जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने अपने दफ्तर से अपने दफ्तर के अन्दर ही पैसा ट्रांसफर किया और इसमें 2,345 करोड़ रुपये हमारे इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एक कानून वर्ष 1985 का था। गडकरी जी वर्ष 2016 में एक नेशनल वाटरवेज बिल लाये, जिसमें 111 वाटरवेज को उन्होंने नेशनल वाटरवेज करके एक घोषणा की और वह कान्सिक्वेन्ट अमेंडमेंट जो होता है, वह इस बिल में लाया गया, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। गडकरी जी ने बताया है कि पहले रोड फंड के लिए कितने रुपये दिये जाते थे और अभी कितने रुपये आ रहे हैं। उसमें नेशनल हाइवेज के लिए था, रूरल रोड्स के लिए था, रेलवे ओवरब्रिजेज के लिए था और यह नेशनल वाटरवेज जो हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं दो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से पहले रूडी जी ने यहाँ पर भाषण रखा और वे बहुत अच्छा EUPHRATES, TIGRIS, मेसोपोटेपियन रिवोल्यूशन, सिविलाइजेशन से लेकर वाजपेयी जी तक चले आये। जब वे वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, वहाँ तक वे आये। वे बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्हें क्यों मिनिस्ट्री से बाहर किया जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। वे अच्छा बोलते हैं, अच्छा जानते हैं, वाजपेयी जी के जमाने में भी इन्होंने अच्छा काम किया और इन्होंने स्किल डेवलपमेंट में भी अच्छा काम किया। रूडी जी को बाहर क्यों निकाला गया, यह बात मुझे साफ नहीं होती है।...(व्यवधान) बड़े भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि यह किसानों से सम्बन्धित बात नहीं है, वीरेन्द्र सिंह जी आप मेरी बात सुनिए।

महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि गडकरी जी का बहुत नाम है कि वे विकास पुरुष हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, जो नरेन्द्र मोदी जी से उनकी तुलना करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत डेवलपमेंट करते हैं।...(व्यवधान) गडकरी जी, अभी चले गये हैं, यह अच्छा ही है, उनको अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। वे थोड़ा खाकर आर्ये और उनकी तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ दिन पहले उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है। उन्हें अपनी तबियत की देखभाल करनी चाहिए।

महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गडकरी जी विकास पुरुष हैं। उनके बारे में बोला जाता है, जब वे महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वह जो बॉम्बे-पुणे हाइवे बना, वह हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा हाइवे है, उसे बनाने के लिए वे जिम्मेदार थे। अभी तक उसको लेकर उनकी प्रशंसा होती है कि उन्होंने कितना अच्छा हाइवे बनाया है। उसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन कहा जा सकता है। यह अच्छी बात है। आजकल मुझे लगता है कि गडकरी जी विकास पुरुष न रहकर सपनों के सौदागर बन गए हैं। वे लोगों को सपना दिखाते हैं। वे कहीं भी जाते हैं, पूछते हैं कि इसमें कितना पैसा लगेगा, बताया जाता है कि पाँच हजार करोड़ रुपये, वे बोलते हैं कि हो जायेगा। यहाँ पोर्ट लगाना है, कितना पैसा लगेगा, दस हजार करोड़ रुपये, वे बोलते हैं कि हो जायेगा। उनसे पूछते हैं कि रुपया कहाँ से आयेगा, बजट में तो उतना पैसा नहीं है, तो वे बोलते हैं कि उसका इंतजाम मैं कर लूँगा, फॉरेन से मँगा लूँगा, वर्ल्ड बैंक से मँगा लूँगा, आई.एम.एफ. से मँगा लूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वह सब रुपया नहीं आया है। मैं गडकरी जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्हें मंत्री बने हुए साढ़े तीन साल हो गए हैं, वाजपेयी जी ने जो गोल्डन क्वार्टीलैटरल किया था, जिसके बारे में रूडी जी ने जिक्र किया, उसे तो हमने आँखों से देखा कि रास्ता बना, इन्टरनेशनल टेंडर हुआ और वह रास्ता दिखाई देता है। आजकल वह कंजेशन हुआ, टोल को लेकर प्रॉब्लम हुआ, मेन्टिनेंस को लेकर प्रॉब्लम हुआ, वह दूसरी बात है। गडकरी जी ने कहाँ नया रास्ता बनाया, मुझे एक हाइवे वे दिखाएं!...(व्यवधान) हाउस के सामने एक व्हाइट पेपर पेश किया जाए कि मैंने यहां पर एक नया रास्ता बनाया, मैंने एक नया पोर्ट यहां पर बनाया!...(व्यवधान) यह केवल सपना दिखाया जाता है। अभी तक ज़मीन पर हिन्दुस्तान के हाईवे की क्या हालत है, जो कोई भी हाइवे से होकर जाता है, उन्हें यह पता है।

सर, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि वे यह बताएं कि कहाँ पर नया नेशनल हाईवे बना और कहाँ रास्ते का इम्प्रूवमेंट हुआ, कहाँ रास्ते का अच्छा मेन्टेनेंस हुआ, कहाँ रास्ते पर डकैती होना बंद हुआ, यह सब बताएं। हाउस को यह जानना चाहिए कि इस विकास पुरुष ने क्या किया है।

हाउस यह भी जानना चाहता है कि रोज़ यह बोला जाता है कि नया पोर्ट बनेगा, सागरमाला बनेगा, भारतमाला बनेगा, अच्छे-अच्छे नाम हैं 'स्वच्छ भारत' जैसे। भारतमाला कितना बना है और कितना सागरमाला बना है। पोर्ट में कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना रियलाइजेशन हुआ है, इसके आंकड़े हम देखना चाहते हैं।

महोदय, मैं जहां से आता हूँ, मेरा क्षेत्र गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी उत्तर भारत की लाइफलाइन है। आज से बीस साल पहले, शायद पच्चीस साल पहले, जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे, गंगा के ऊपर फरक्का में एक लॉक गेट बनाया गया, ताकि इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाज जा सकें, बंगाल से कोयला उत्तर भारत में लिया जा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने जहाज लॉक

गेट का इस्तेमाल करते हैं और वे हल्दिया से या कोलकाता से उत्तर भारत तक जाते हैं। वाजपेयी जी ने साढ़े तीन सालों में क्या किया। यह मेन नेशनल वाटरवेज नम्बर-1 है। इसमें क्या डेवलपमेंट है, यह मैं देखना चाहता हूँ।

गडकरी जी विकास पुरुष हैं, इसलिए उमा भारती जी से पोर्टफोलियो छीन कर उन्हें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी बनाया गया।... (व्यवधान) उनके मिनिस्टर बनने के बाद मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि मेरे इलाके में गंगा के किनारे घाट है, उसे थोड़ा मरम्मत किया जाए, वहां रोज इरोज़न हो रहा है, रोज गंगा का किनारा टूट रहा है। उसका जवाब एक बार आया था कि *the matter is being looked into*. पर, आज तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मैं जब यह कहता हूँ कि सपना देखा है सपना, तो ये सपना ही लगता है।

सर, आपको शायद पता होगा, आप तो पुराने सोशललिस्ट हैं।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : अभी भी हैं।

प्रो. सौगत राय: नहीं, अभी तो संघ परिवार में शामिल हो गए हैं।

सर, आप जानते हैं कि कछाड़ है, त्रिपुरा है और हमारे नॉर्थ-ईस्ट से हमारे ये भाई लोग आते हैं। वहां रोड से कोयला ले जाना मुश्किल है। पहले यह था कि हमारे कलकत्ता बन्दरगाह से कोयला लेकर रॉयल इंडियन नैवीगेशन के स्टीमर्स गंगा से होते हुए फिर समुद्र में जाकर फिर असम से होकर कुशियारा रिवर में जाते थे। आप लोग जानते होंगे कि कछाड़ में करीमगंज को जाता था। यहां ये दोनों माननीय सदस्य त्रिपुरा के हैं। ये इसे जानते हैं। वह लाइन बंद हो गयी। बाद में सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. हुआ और अभी कोलकाता से कछाड़ तक कोयला नहीं जाता है। गडकरी जी इसके बारे में बताएं। मांडविया जी उनके राइट हैंड हैं और मोदी जी के भी। वे बताएं कि उसके बारे में क्या हुआ।

सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का क्या डेवलपमेंट हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। नेशनल वाटरवेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक साल हुए, उसके कानून को हमने यहां पर पारित किया, उसकी क्या डेवलपमेंट है। उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है। हमारे पोर्ट की क्या स्थिति है। मैं अपनी आँख के सामने देखता हूँ कि गंगा के ऊपर कलकत्ता पोर्ट मर रहा है। इसको बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है। हमने हल्दिया में नया पोर्ट बनाया है, उसका एक ही चैनल है, वह ईडेन चैनल है। वह भी सिल्टेड होता जा रहा है। उसके ड्रेजिंग के लिए क्या किया गया है। हमारी आँख के सामने कलकत्ता का बंदरगाह मर रहा है। यह हिन्दुस्तान का एक नंबर का बंदरगाह था। इसके बारे में क्या किया गया है। हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं।... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : श्री गडकरी जी तो वहाँ नया पोर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार जमीन नहीं दे रही है।... (व्यवधान) इस संबंध में पाँच मीटिंग हो चुकी है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: नहीं-नहीं, आप सुनिए। मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ, आप मुझसे सुनिए। श्री निशिकान्त जी, आपका जरूरी सवाल है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: अब मेरा यह अंतिम सवाल है।... (व्यवधान) सर, आप भी मधुबनी से हैं। गंगा नदी तो उधर से भी जाती है। गंगा आपकी, हमारी तथा पूर्वी भारत के सभी लोगों की नदी है। हमारे यहाँ थर्ड पोर्ट बनाने की बात चल रही है, वह डीप सी पोर्ट है। श्री गडकरी जी चाहते हैं कि वह सागर आईलैंड में बने। वहाँ पोर्ट बनाने के लिए एक रोड-कम-रेल ब्रिज बनाना है। हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया कि आप समुद्र पर ताज़पुर में एक पोर्ट बनाएं। श्री गडकरी जी, उसकी स्वीकृति क्यों नहीं देते हैं। इसलिए, मैं कहता हूँ कि श्री गडकरी जी जमीन पर कुछ करके दिखाएं, लोगों को बचाएं, सपना मत दिखाइए।... (व्यवधान) सपना देखने के लिए हम सिनेमा जाएंगे और यहाँ पर काम देखने के लिए हाउस में आएंगे।... (व्यवधान) अब, मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

DR. RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, thank you for permitting me to speak on the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017.

I stand here in support of this Bill. In the Bill it is said that 2.5 per cent of the cess on high speed diesel oil and petrol will be allotted for the development and maintenance of national waterways. On the face of it, it looks to be a simple Bill. But as we move along, we will find that there are much larger issues which are associated with this Bill. In the olden days we used to shape our boats to suit the river. But today the situation is just the reverse. We are shaping the rivers to suit the requirements of large vessels. So, there is a sea change in our approach towards our rivers and waterways. Having said that, I would like to say that in a country like ours the logistic cost accounts for about 14 per cent of our GDP which is nearly double of what it costs in many developing countries across the world. So, that is the level of seriousness being shown towards these river and national water issue.

Now, inland waterway could be the largest and the biggest intervention in water, post-Independence. That is how I describe it. We must congratulate the hon. Minister for bringing out this amendment which is the need of the hour. I will just elaborate on more what the hon. Minister has rightly said, 'One litre of oil can move about 24 metric tonnes of cargo by road whereas it can move about 105 tonnes by waterway'. So, this is the kind of significance this waterway has got. While these are the positive points about this issue, there are several critical issues which we need to look into. There are several areas of concern which we like the hon. Minister to look into so that the issues can be handled in its entirety.

The RITES has come out with a Report which said that due to this inland waterways, 40 per cent of the cargo will move from railways to waterways, meaning thereby the road will not be much disturbed as road will lose cargo only to the extent of 16 per cent. So, the benefit is just marginal.

We need to look into this. Most of the new national waterways included in this are fresh water rivers. Post-monsoon the fresh water rivers get dried up. So, when we move the water towards navigation, we need to look at what its consequential impact will be on irrigation and drinking water. That is another critical area which we must look into.

Sir, I will now come to the ecological aspect. I come from Odisha and it is a burning issue there. Unless we do a proper Environment Impact Assessment, the ecological aspect is going to be a big problem which is the case in Odisha in respect of National Waterway 5 and National Waterway 60 where the Bhitarkanika National Park is put in great danger.

Having said that, let me come to one or two important issues with regard to the Ministry of Road Transport and Highways. The Ministry has allocated just Rs. 3,100 crore for the maintenance of road infrastructure under National Highways which is just five per cent of the total expenditure whereas in developed countries it is about 40 to 48 per cent. What is the consequence of this poor allocation? The consequence is that we have bad, unsafe roads where innocent people are getting killed everyday. This is something which I would urge upon the hon. Minister to look into.

Then, as per Section 4 of the Central Road Fund Act, 2004, whatever cess that gets collected and deposited in the Consolidated Fund of India, it must be sent for the Central Road Fund after adjusting the collection expenses. The C&AG Report is very clear and it says that in the last five years, the amount that has been given to the Ministry is less by about Rs. 1,200 crore. The point is, when we are talking of Rs.2,500 crore, why is this amount of Rs. 1,200 crore lying in the Consolidated Fund of India which is a clear violation of the provision of the Central Road Fund Act of 2004? This needs to be looked into and this money should be given to the Ministry of Road Transport and Highways so that the requirement of money can be met.

Sir, since I come from Odisha, I would like to inform that we have always been the victim of neglect of the Central Government, whether it is the Mahanadi issue or the Polavaram issue or the issue of financial allocation. This is also becoming very transparent in the case of Central Road Fund. So, I would like to make a submission to the hon. Minister Nitin Gadkariji. In 2016-17, our State Odisha has been allocated only 12 projects under the Central Road Fund whereas another State has been allocated 562 projects. I do not want to name that State because I do not want to hurt the sentiments of hon. Members here. What is the logic of allocating 562 projects to a particular State? When some other State could get 562 projects under the Central Road Fund, why should Odisha get only 12 projects? What is the logic behind it? There is no logic that Odisha will get only 12 projects and some other State will get 562 projects. So, I would urge upon the Minister to do justice to Odisha because our State has been a victim of Central Government's neglect for long. The hon. Minister Shri Nitin Gadkari has got a very good reputation and so I request him to do justice to Odisha as he is doing to other States.

Coming to my parliamentary constituency, NH 49, NH 60 and NH 80 are passing through my area. These three National Highways have become deathbed, if I may say so. Several accidents are happening on these three National Highways due to road fault and design fault. So, I would urge upon the hon. Minister to look into these three National Highways so that innocent people do not get killed day in, day out.

Lastly, Odisha Coast Canal is passing through my constituency. I have written to the hon. Minister in this regard and so I would request him to include this canal in the next phase of development of National Waterways so that the people of my constituency also get benefit from this revolutionary initiative which he is taking.

With these words, I thank the hon. Minister for this effort and urge upon him to take into consideration some of the concerns which I have enumerated during my speech. Thank you.

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण) : सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी साहब जो बिल लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, खास कर नितिन गडकरी साहब जब भी कोई बिल लेकर आते हैं तो वे एक कदम नहीं दस कदम आगे जाते हैं। लोग एक कदम की बात करते हैं, वे दस कदम आगे चलते रहते हैं। ... (व्यवधान) यह जो वाटरवेज की बात आई, इनके दिमाग में वह बहुत दिनों से चल रहा था। जब भी मैं बात करता था कि क्या चल रहा है, तो बोलते थे कि अरविंद जी, मेरे दिमाग में वाटरवेज चल रहा है। कुछ लोग कुत्सित भावना से टीका-टिप्पणी करते थे। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इसके लिए एक बिल आएगा क्योंकि हाईवेज के साथ वाटरवेज शब्द नहीं था। आपने इसके ऊपर बिल लाकर कानूनी तौर पर एक शक्ति दे दी है। हमारे चुनाव क्षेत्र मुंबई जैसा शहर है, जहां समुद्री तट है, सागरमाला की भी बात है, वहां एक बड़ा बंदरगाह भी है। उसे लेकर हमने बार-बार मांग की है, यहां मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का ज्यादा एरिया है, उनके मन में भी एक सपना है। उसे साकार करने के लिए मैं भी अपने तौर पर बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मैं उसका समर्थन करता हूँ।

हाल ही में ससून डॉक में मछुआरों को नया विजन दिया, जिसके बारे में जिन्दगी में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ससून डॉक इस तरह से खूबसूरत बन सकता है। वहां इतनी गंदगी थी, उसको अच्छी तरह से साफ किया, बहुत सारे देशों जैसे मलेशिया, आस्ट्रेलिया और हालैंड से पेंटर आए, यंग जेनरेशन आई और खूबसूरत पेंटिंग की, रास्तों को साफ किया। अब मछुआरों के लिए एक नया सेंटर खोलने की बात है और आगे चलकर उसमें वाटरवेज की बात आती है।

मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं बचपन में कोंकण के गांव में जाता था, मुंबई से गोवा नहीं मुंबई में देवगढ़ में उतरते थे, मालवण में उतरते थे, वहां जेटी की जरूरत थी, आज वह वाटरवे बंद है। अभी एक महीने पहले इसे मुंबई-गोवा में किसी प्राइवेट पार्टनरशिप से शुरू किया गया है इससे न केवल टूरिज्म बल्कि लोगों को भी आने जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। आप मुंबई-गोवा रोड बनाने जा रहे हैं लेकिन उसके ऊपर जो हादसे होते हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेटर है कि वाटरवेज से जाएं। इससे डीजल सेविंग भी है जबकि पेट्रोल पर इतना खर्च आता है। एक हॉर्स पॉवर में अगर हम अगर 500 टन उठाते हैं तो यहां 4000 हजार टन उठाकर लेकर जाएंगे। That is again an advantage in case of a country also. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इलाके के लिए आपने जो सपना देखा है, उसे साकार करने में मैं प्रधान मंत्री जी से आपके माध्यम से खास मांग करता हूँ। इन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में बीपीटी के लैंड पर बहुत बड़ी इन्फ्रैस्ट्रक्चर है, वाटरवेज के लिए जब जेट्टी बनेगी तो आने जाने के लिए बीच में झुग्गी-झोपड़ी हैं उनका अगर पुनर्वास नहीं हुआ तो फिर यह नहीं बन पाएगा, अगर वाटरवेज बनेगा तो ये लोग कहां जाएंगे, इसे भी देखने की

आवश्यकता है। मुंबई के नजदीकी अलीबाग, मांडवा, मरूड जंजीरा हैं, वे कोकण में भी जाएंगे, इस वाटरवेज में उसका ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए।

मैं आपसे एक छोटी मांग करता हूं। इसे जब आप करने जाएंगे तो इसमें बीपीटी में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुंबई के दोनों किनारों के बारे में कीर्तिकर साहब भी बोलेंगे। आपको ड्रेजिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हाल ही में नदियों में दो-तीन हादसे हुए, महाराष्ट्र के बाहर भी हादसे हुए। नदियों में जो नौकाएं चल रही हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन है, क्या कानून प्रावधान करता है कि ये छोटी नौकाएं लोकल लोगों को लेकर इस किनारे से उस किनारे पर लेकर जाएं, नौकाएं स्कूलों के लिए भी जाती हैं, उनके बारे में कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं। वह डूब जाती हैं, दो-चार हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों की जानें गईं। यह मालूम नहीं कि वह जिस नौका से जा रहे हैं क्या वह नौका इतने लोगों को ले जाने के लिए शक्तिशाली है। उसके बारे में भी कानून में प्रावधान करना होगा, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। ऐसे कोई भी नौका बनाकर वहां चलाता रहेगा, यह नहीं होना चाहिए। मैं आपका सहेदिल से समर्थन करता हूं। मुंबई का किनारा जल्द से जल्द टूरिज्म का एक सेंटर बने जिसका इस्तेमाल वाटरवेज में हो। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

सभापति महोदय : वक्ता समय सीमा का ध्यान रखें।

16.00 hours

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Thank you, Sir. The transportation system of any country is like the nervous system of human body. For rapid growth of any economy or country, a robust network of roads, railways, ports and airways is needed. Hence, it is a crucial system which has to be given special attention. I laud the efforts of the Prime Minister, Shri Narendra Modi *ji* and especially the Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari *ji* towards identifying its importance and giving utmost priority to the sector.

I appreciate the efforts of the Government to pass the National Waterways Act. The National Waterways Act envisages comprehensive policy to develop 111 waterway plans for pan India coverage. A project of this magnitude will require a matching amount of funds. Hence, I welcome the Government's proposal to allocate two-and-a-half per cent of the road fund for development and maintenance of waterways.

The collections under the Central Road Fund have increased from about Rs. 26,000 crore in 2014-15 to about Rs. 81,000 crore in 2016-17. Increase in collections means that the Ministry has more resources to implement various projects, but it is also necessary to see that the amount is actually utilized.

The Central Road Fund Act provides specific percentage based allocation to five areas – National Highways, rural roads, State roads, border roads and railway bridges and safety works. This ensures availability of funds for building transport infrastructure. However, the distribution of funds has not been uniform. For example, my State of Andhra Pradesh has a National Highway density of 31.6 kms per 1000 sq. kms. When compared to the 36 States and the Union Territories, Andhra Pradesh occupies a dismal 26th position, whereas in terms of area we are the eighth largest State in the country. In terms of density of State highways, we are better placed than both the

national parameters at 16th place in the country. We, as a State, despite a deficit budget, have performed admirably.

Hence I would request the Ministry to designate newer National Highways and increase the allocation of funds to Andhra Pradesh.

The scenario for rural roads is even worse than the National Highways. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Andhra Pradesh is the sixth most efficient State in the usage of Central Road Fund. The cost per kilometre of road constructed is less than the national average of 25 per cent. A measly three per cent of the total expenditure till date has been in the State of Andhra Pradesh, whereas the first five States account for 50 per cent of the total expenditure.

As a newly reorganised State, Andhra Pradesh, with a deficit budget, requires a greater allocation of funds. I would request the Government for a more equitable distribution under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana with greater allocation to Andhra Pradesh.

The key challenge in the deficiency of funds is the difference between allocation and actual disbursement under the Central Road Fund. Rural roads have been allocated 33.5 per cent under the Act. As per 2016-17 figures, 33.5 per cent allocation translates to Rs. 27,000 crore. Sadly, however, the Rural Development Ministry itself requested for only Rs. 14,000 crore.

Such a huge divergence will act as barriers to our dreams of an economically better India. These rural roads provide the 'last mile connectivity'. To ensure that development actually reaches each and every one, it is absolutely imperative that we do not neglect development of rural roads and give them their due importance and their due funds.

I urge upon the Minister to scrutinise the utilisation of the Central Road Fund and ensure that the allocation is on par with what is mandated by the Act. I would request him to put into place a system to make sure that two-and-a-half

percent which is earmarked for National Waterways is actually allocated and disbursed.

One of the National Highways, NW-4 is under construction in my State, Andhra Pradesh. A substantial portion of the project is in my constituency, that is Vijayawada. The first phase of the National Waterway-4, Muktyala to Vijayawada has been initiated with a completion target for 2019. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the National Waterway-4 project has suffered numerous delays. I thank the hon. Minister, Shri Nitin Gadkari *ji* for personally coming to Vijayawada to lay the foundation stone of the Muktyala-Vijayawada Waterway on 3rd October this year.

Our State, under the leadership of our beloved Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu, was the first State to complete the inter-linking of rivers. Similarly, we would like to lead the country in the successful execution of the National Waterways Project. I would like to make two specific requests to the Minister.

One is about fast tracking the creation of the SPV proposed between the Inland Waterways Authority of India and the Government of Andhra Pradesh and increase in the allocation of funds for the early completion of the project.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to speak on the Central Road Fund (Amendment) Act, 2017.

Sir, the Objects and Reasons say that the National Waterways provide cost effective, logistically efficient and environmentally friendly mode of transportation. So, it is very important to develop this. In fact we have been talking about this in the Parliament for the last two years. This is one of the first few steps being taken and we do welcome this Bill on behalf of TRS Party, we do support this Bill.

However, this Bill is not sufficient to promote waterways. There are so many other things that the Transport Ministry has to look into.

Firstly Sir, the Britishers built the Buckingham Canal connecting Chennai, the then Madras to Kolkata. No work has been done on this so far. It is a great opportunity because in inland waterways, although there is a sea route, for inland waterways, you do not require ports, you can transport short distances and long distances and you do not need big vessels.

Secondly, in the North East, even as we speak today, the power plants there, instead of using coal, they are using bamboos Sir and by burning bamboo, I think the bamboo farmers and the forest department is getting less than a thousand rupee a ton. If these waterways are provided, the value of bamboos will become five times higher if it is transported. Of course, this always requires talking with Bangladesh, the Brahmaputra Waterways and the access of North East to the Bay of Bengal. Once again, not much work has been done in this area.

Also Sir, across almost all our rivers, there are dams and barrages. Some of them are insurmountable dams and barrages. To transport goods across these rivers, we require sluices and gates. Once again, no work has been initiated or project work has been developed on transporting goods across the barrages. But, that is okay Sir. We inherited these dams and barrages but

whatever the new dams being built, huge dams are being built where they are insurmountable, you cannot transport goods across these dams. So, while giving permissions to new dams, this has to be taken into cognisance. Our Government of Telangana has particularly taken this into cognisance and are building small barrages with low height so that waterways can be enabled across Godavari river. But more importantly, if I buy a new car, I know where to go and register it. If I am a new car manufacturer, I know where to get permissions. But if I am a boat builder, who gives me the permission? There is an organisation under the Directorate of Shipping who gives permission. But it is the same organisation which gives permission for Rs. 10,000 sea going ship as well as two seater boat or a tourism boat. We need appropriate authorities to give sea-worthiness and water-worthiness certificates for smaller crafts. We have nothing of that sort.

16.09 hours

(Shri Ramen Deka *in the Chair*)

How do you register these boats? If I do buy a new boat, I can go to an office in Hyderabad or whichever State and I can register this boat. But when we recently look for permissions, somebody said to go to the Tourism Department and get permissions. Somebody else said to go to the Fisheries Department and get permission. Is there any place in any State when we buy a boat, we can get it registered? That should also be made easier. But something even more important, recently, hon. Kesineni Garu, the former Speaker who talked about the Bill, I think it is in his Constituency, there took a big accident. More than 25 to 30 people died and all of them belonged to another constituency, I think they belonged to Shri Y.V.Subba Reddy constituency.

I cannot blame the State Government. I cannot blame anyone. But I think there is not a single safety standard in India for lifejackets. There is no ISI standard for lifejackets in the entire country. So, we need to look into this.

Then, we have the Make in India Programme. The boats, especially, smaller boats and mid-size boats, require outboard engines. The outboard engines are not manufactured in India. They are all made by Hondas and Yamahas outside the country and they are imported. So, we need to focus on local manufacturing of outboard engines for boats. But even more important is cars. We have Euro-II and Euro-III standards for cars, and there are two types of outboard engines. One is a two-stroke outboard engine which is a little more polluting, which is an older technology engine. Just like two-stroke motorcycles are banned--now all are four-stroke engines--for outboard engines also, they banned two-stroke engines and only four-stroke outboard engines are there..... (*Interruptions*)

Please give me two more minutes. But while two-stroke engines are banned, what we really, in fact, need is to get those standards up. Last time Ganpat Sawant Ji was talking about *Murud Janjira*. Last time I went on *Murud Janjira*. What they have is, old diesel engines running some propellers. So there is no standard for the outboard engines or the motors, and I think just like we have Euro-II and Euro-III, we need to get those standards up.

So, all these are extremely important issues. Merely bringing the issues will not make any difference. I think all these have to be taken into cognizance. Like Prof. Saugata Roy said, it is not selling dreams. Then, the waterways will become a reality. Thank you.

DR. P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, this is one of the important Bills because the Government is now going to introduce inland waterways into the ambit of Central Road Fund. I congratulate the Ministry on having taken this decision. It is a timely intervention.

As we know, we are ahead in road penetration in our country. The road network in India is more than 5,472,144 kilometres. It is the second largest road network in the world. Also, we are ahead of Japan, USA and China in providing road connectivity with 1.66 kilometre road per square kilometre of land but in Japan, it is only 0.91 and in the USA, it is 0.67. China is very far behind with 0.46 road per square kilometre of land. But our main problem is that out of these roads, 61 per cent of the roads got damaged or not being used properly.

This Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017 was introduced in the Lok Sabha on 24th July, 2017 by hon. Minister, Nitin Gadkari Ji. This Act regulates the CRF that is credited with the cess collected on high speed oil and petrol. This collected amount is then released to the National Highway Authority of India, to the State Governments and to the Union Territories for development of national and State highways. Also, we have used this money for improving roads. We have given it for constructing express highways and toll roads. We have collected cess from the people and constructed a road. Again we are collecting money through tolls and other means. What is this? I would like to ask the hon. Minister how much amount we have collected so far and how much we have distributed for the development of State roads, national and express highways in our country.

Sir, in the State of Kerala, we have been using these inland waterways for long. We have sufficient waterways. In 1498, as we know very well, Vasco Da Gama came to this great country and stepped in Kappad in the State of Kerala.

Sir, we have declared 111 waterways throughout the country under the National Waterways Act, 2016. In the list of 111 waterways, four national waterways of Kerala have been included. One is Kollam-Kozhikode stretch of West Coast Canal. It is 365 km long. The second is, the 28-km Alappuzha-Changanassery Canal, known as the National Waterway-8. Third is, the 38-km Alappuzha-Kottayam-Athirampuzha Canal as the National Waterway-9 and the fourth is, 28 km-long Kottayam-Vaikom Canal as the National Waterway-59.

Sir, the hon. Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan has declared that we will complete these waterways by 2020. So, we have started working on it.

Sir, there is one more thing that we should keep in mind while discussing this Bill. As we know we are suffering with air pollution in Delhi. It is not only in Delhi but in all the metros we are facing this problem because we are using the fossil based fuels like petrol and diesel for transportation. Our hon. Minister has now declared that we are going to introduce electrical vehicles after 2030. It has also been mandated for the vehicle manufacturing companies to start producing electrical vehicles. All the European countries have already started it. They have decided that by 2040 they will reduce 50 per cent vehicles running on fossil based fuels. We are going on the same path.

Sir, we are going to heavily depend for our transportation and logistics on the rivers. So, the issue of water pollution is of very much importance. We have to take very strong measures, from the beginning itself, to have a check on it. Otherwise, we will go on the same path and face water pollution issues as we are facing the air and environment pollution.

With these words, I conclude my speech.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017.

Sir, I wholeheartedly congratulate the hon. Minister of Road Transport and Highways, and of Water Resources, for bringing this Bill before the House. It is going to provide sustainable fund availability for the development of waterways. Development of waterways is a very essential thing in this country because it provides alternative transport which is the cheapest also, as hon. Minister said in his opening remarks. While the rail traffic costs one rupee per kilometre and road traffic costs Rs. 1.50 per kilometre, waterways cost 20 paise per kilometre. Hence, it is a very advantageous mode of transport and has to be developed. So, I wholeheartedly congratulate the hon. Minister for taking up this subject in a big way. He is going to develop throughout the country 111 waterways.

One among them is the Waterway No. 4 from Kakinada in Andhra Pradesh to Puducherry which they are going to develop. That is going to be a very important subject in Andhra Pradesh. It is almost 800 kilometres. It is going to be the cheapest mode of transport in Andhra Pradesh as well as in Tamil Nadu up to Puducherry.

Sir, though it is out of way, I am mentioning one subject here. In order to provide the required water in the canal, you have to complete the Polavaram Project. In the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, it has been mentioned that the Central Government will complete the Polavaram Project in all respects. This project is a multi-purpose project which is going to stabilize the Godavari anicut and the Krishna anicut. It is also going to provide irrigation to seven lakh acres of land. So, that is a very important project and is going to be the lifeline of Andhra Pradesh. It has to be developed by the Central Government. There is some confusion. That is why, people of Andhra Pradesh are very much agitated about this project.

I would request the hon. Minister that while developing these waterways, he has to complete the Polavaram Project also. He is the Waterways Minister also. So, I would request him to complete the Polavaram Project. There is some confusion about who is to bear the escalated cost and the cost of other things. It is the duty of the Central Government to provide the required funds. We do not know through which agency the Central Government is going to complete that project, but it is the duty of the Central Government to complete this project. They have to complete the waterways and they have to complete the Polavaram Project as well. That is why, I request the hon. Minister to complete the Polavaram Project and these waterways also at the earliest.

Thank you.

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया है। जब केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 पारित किया गया था, तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के गांव सड़कों से महरूम थे। गांव में सड़कें नहीं थीं। हिन्दुस्तान में विकास हो रहा था, लेकिन गांव विकास के नाम पर अधूरे थे। उस समय महाराष्ट्र में माननीय नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिन्होंने मुंबई-पुणे हाइवे बनाया और प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 'प्रधान मंत्री सड़क योजना' का जो ढांचा तैयार किया था, उस कमेटी में भी माननीय नितिन गडकरी जी थे। वर्ष 2000 में इस बिल के माध्यम से देश के अंदर सड़कों का जाल फैला और वर्ष 2017 में आज हम एक नया अधिनियम ला रहे हैं। यह अधिनियम इस देश में एक नये युग की शुरुआत करेगा। हमारे माननीय सदस्य राजीव प्रताप रूडी जी ने जिस तरह से बताया है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे आवागमन के साधन, हमारी उत्पत्ति, सभी जल मार्गों से हुई है, जल के आस-पास हुई है। इतने वर्षों के बाद एक विजन के आधार पर वर्ष 2017 में जब इस देश के अंदर हम देखते हैं कि हाइवेज और रेल, आवागमन के साधनों के कारण, रोड कनेक्टिविटी बेटर होने के कारण भी, आज मैं कह सकता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी के बारे में भी हमारी सरकार ने, जहां पर तीन किलोमीटर रोड हर रोज बनती थी, हमारी सरकार आने के बाद 14 किलोमीटर रोड रोज बनती है। रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर होने के कारण आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तीन किलोमीटर प्रति दिन सड़क बनती थी, हमारी सरकार के आने के बाद प्रति दिन 14 किलोमीटर सड़क बन रही है। 'भारतमाला' प्रोजेक्ट के माध्यम से सात लाख करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है। इतना ही नहीं, इस सरकार ने तीन वर्ष के अंदर पाँच लाख करोड़ रुपये की लागत से एनएचएआइ के माध्यम से सड़क निर्माण का काम शुरू किया है। सीआरएफ में राज्य की सड़कों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस देश में पहली बार 550 जिलों को एनएचएआइ से जोड़ने का काम हुआ है। माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने देश के सभी जिलों को एनएचएआइ से कनेक्टिविटी देने के लिए कहा है। जो एनएचएआइ टू-लेन की थी, उसे 'भारतमाला' प्रोजेक्ट के माध्यम से फोर-लेन करने का काम किया है। इन सबके बावजूद इस देश में जिस तरह से हाइवे, एक्सप्रेस हाइवेज और रेलों पर बोझ बढ़ रहा है, जब हम विश्व की चर्चा करते हैं, तो हमें लगता है कि चीन और यूएसए के बाद भारत में बड़े जलमार्ग होने के बावजूद हम जलमार्ग से परिवहन का काम मात्र 0.5 प्रतिशत ही कर पा रहे हैं। जबकि चीन और यूएसए हमसे कहीं ज्यादा जलमार्गों से परिवहन का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस बिल में एक छोटा-सा संशोधन किया गया है। सेक्शन 9(ए) के तहत हमने एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय जलमार्ग को डालने का काम किया है। सेक्शन 9(बी) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह राष्ट्रीय जलमार्ग डाला। हमने कोई नया फेज नहीं लगाया है, नया

टैक्स भी नहीं लगाया है, उसी टैक्स और उसी रेवेन्यू से देश के अंदर एक नये जलमार्ग को डवलप करने का काम किया गया है, जो देश के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है।

यह बात सही है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, सड़कों के मनटेनेंस में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, हमें नये विकल्प की तलाश करनी होगी। ऐसा विकल्प तलाशना होगा, हम जिस नये भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसके माध्यम से उस नये भारत के उदय का रास्ता आज के इस बिल के पास होने से बनेगा। इस बिल के पास होने के बाद हम इस देश में 14500 किलोमीटर, जिसमें 5200 किलोमीटर नदी और 4000 किलोमीटर नहरों को डवलप करने का काम करेंगे। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम में हमने 111 जलमार्ग बनाये हैं, जबकि आजादी से लेकर वर्ष 2015 तक केवल पाँच जलमार्ग थे।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : वह अभी नहीं बना है।

श्री ओम बिरला: नोटिफिकेशन हो चुका है। अब उसके बनाने का काम होगा। माननीय सदस्य कह रहे थे कि गडकरी साहब बहुत सपने दिखाते हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय गडकरी साहब ने इसी सदन में कहा था कि हम इस देश में पानी में हवाई जहाज उतारेंगे। माननीय सदस्य महोदय, वे सपना नहीं दिखाते हैं। वे देश के ऐसे मंत्री हैं कि जो भी सदन में और सदन के बाहर कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। वे जिस तरह से शिलान्यास करते हैं, उसी तरह से लोकार्पण भी करते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में हवाई जहाज पानी में उतरेंगे और आप सबने देखा होगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी उस जहाज में बैठकर पानी में उतरे थे। ऐसा कोई सपना नहीं है, जिसके बारे में माननीय गडकरी साहब ने बताया हो और वह पूरा न हुआ हो। मैं एक सपना और एक बात यहां सदन के समक्ष दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस कमिटमेंट के आधार पर माननीय गडकरी साहब फैसले लेते हैं और निर्णय करते हैं, उसके बारे में भारत की संसद और 125 करोड़ जनता जानती है। माननीय गडकरी साहब के निर्णयों और फैसलों के बारे में आज सारा देश जानता है।

माननीय सभापति महोदय, हमने बहुत कम पैसा डवलप किया है। हमने केवल 2,000 करोड़ रुपए एवं 2.5 प्रतिशत पैसा इस निधि के लिए उपलब्ध किया है। हमारी कोशिश है कि हम इन जलमार्गों को और बेहतर तरीके से डवलप कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, जलमार्ग डवलप होने से बहुत लाभ होंगे। हम जहां न्यूनतम ईंधन से काम कर पाएंगे, वहीं अन्य अपेक्षित भूमि की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। हमारे माननीय सदस्यों के समक्ष मेरा इतना ही कहना है। हमारी पार्टी के पास टाइम बहुत है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन जलमार्गों के डवलप होने से भारत में जहां आर्थिक रूप से परिवर्तन होगा, वहीं गांव-खलिहानों और नदियों के किनारे बसे वे लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके लिए वहां पर्यटन

डेवलप होने के कारण रोजगार के नए अवसर भी डेवलप होंगे। इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। हमें मार्गों के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए कम खर्चा करना पड़ेगा और हम यातायात को भी बेहतर और सुगम बना पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने इसी संसद में यह कहा था कि हम गंगा में बेहतर तरीके से जलमार्ग डेवलप करने का काम करेंगे। आज हमने वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में 5,000 करोड़ रुपयों की लागत से मल्टी मॉडल हब बनाने का काम किया है, जिससे वहां रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और जलमार्गों की कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह बिल अपने आप में इस देश में एक नए उदय का मार्ग डेवलप करेगा और उस नए उदय के मार्ग के साथ ही हम यह चाहते हैं कि जैसे हमने रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, वैसे ही जलमार्ग कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह है कि कोटा में चंबल नदी है, जो कि बारहों-मासी नदी है। उसके लिए भी अनुच्छेद-111 के तहत नोटिफिकेशन जारी करने की कृपा करें, ताकि कोटा की चंबल नदी में भी हवाई जहाज उतारे जा सकें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि आर्थिक युग में यह बिल एक नए परिवर्तन की शुरुआत करेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, केंद्रीय सड़क निधि संशोधन विधेयक, 2017 इस सदन में आया है। मैं आदरणीय गडकरी जी का आदर करता हूँ। वे एक अच्छा बिल लेकर सदन के सामने आए हैं, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ प्रकृति ने इस देश को अपार उपहार दिया है। यह उपहार प्रकृति ने जलमार्गों और कई बड़ी नदियों के रूप में दिया है। प्रकृति ने हमें बड़े-बड़े संसाधन दिए हैं। हम इन संसाधनों का कैसे उपयोग करते हैं और प्रकृति की गोद में हंसते हुए हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कैसे करते हैं, इसके लिए तरीके बनाना हम सभी का फर्ज और कर्तव्य है।

सभापति महोदय, हम देश की आबादी को वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से कवर करते हैं। इस माध्यम से हम यात्रा भी करते हैं और अपने माल की दुलाई भी करते हैं।

लेकिन धीरे-धीरे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। हम सड़क मार्ग से जितनी माल दुलाई करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। जितनी आबादी को हम एक जगह से दूसरी जगह यातायात की सुविधा देना चाहते हैं, नहीं दे पाते हैं। रेल से भी नहीं दे पाते हैं और अब तो हवाई जहाज में भी बहुत भीड़ होने लगी है, जिससे परेशानी बढ़ रही है। जलमार्ग बहुत ही सुविधाजनक है और इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जो बिल आया है, वह बहुत अच्छा है। जलमार्ग के माध्यम से व्यापार भी बढ़ेगा, यातायात की सुविधा भी बढ़ेगी, पर्यावरण की रक्षा होगी और पर्यटन भी विकसित होगा। हम बाँका संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुल्तानगंज में गंगा उत्तरायण है, वहाँ से प्रति वर्ष लाखों कांवाड़िये गंगा जल लेकर हर-हर महादेव करते हुए देवघर बाबा के धाम जाते हैं। मेरी मांग है कि सुल्तानगंज को बंदरगाह का दर्जा दिया जाए। मुंगेर, भागलपुर, साहबगंज से हल्दिया तक के मार्ग को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे। इससे वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुल्तानगंज में पुल भी बन रहा है, जिसका काम जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि विद्यापीठ किउल, चांदन-लक्ष्मीपुर से लेकर बेलहर-बाँका तक जोड़ने का काम हो और जमुई-समुलताला-कटोरिया और ढाका मोड़ तक बनाने का काम हो। इसी के साथ मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदय, मैं सेंट्रल रोड फण्ड (अमेंडमेंट) बिल, 2017 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

यह सच है कि देश में श्री नितिन गडकरी जी को एक विकास पुरुष और विज्ञानी पुरुष के तौर पर जाना जाता है। यह भी सच है कि सड़क की आवाजाही में, रेलवे की आवाजाही में और हवाई जहाज से आवाजाही में बहुत रश हो चुका है। दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। गडकरी साहब ने वाटरवेज के बारे में जो सोचा है, इससे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया है। आज यह जो बिल लेकर आए हैं, उसमें इनके विभाग का ही पैसा है, जो 2.5 परसेंट वाटरवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेवीगेशन, टर्मिनल और जेटी के लिए मांगा गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। अगर और भी मांगें तो उसके लिए भी इनको ना नहीं करना चाहिए क्योंकि यह भी किसी को ना नहीं कहते हैं। मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस भी सांसद ने अपने क्षेत्र के लिए कोई भी मांग की है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा इनके विभाग का खर्च हुआ है। पिछली कांग्रेस सरकार ने तो पंजाब के साथ बहुत विक्टमाइजेशन किया। लेकिन इन्होंने पिछले चार वर्ष में पंजाब के लिए जितना किया है, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं कि बॉर्डर स्टेट्स के लिए एक परसेंट का टैक्स रखा है। जब टैक्स चलते हैं, हेवी व्हिकल्स चलते हैं तो सड़कें टूट जाती हैं। अगर इसे एक परसेंट से बढ़ाया जाए तो अच्छी बात होगी। इसी तरह से हिल स्टेट्स हैं या सेमी हिल स्टेट्स हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री आनंदपुर साहब में भी कम पैसा जाता है। इसकी एलोकेशन की जानकारी प्रत्येक सांसद को दी जानी चाहिए क्योंकि कई बार राज्य सरकार उस पैसे को डायवर्ट कर देती है। मेरा अपना तजुर्बा है कि मंत्री जी ने सेंट्रल रोड फण्ड से पैसा दिया।

नई सरकार आ गई, चलता-चलता काम रोक कर पैसा कहीं और ले गए। ऐसे ही मेरे बेटे की कॉन्स्टीट्यूएंसी सनौर थी। मैंने सेंट्रल रोड फण्ड से पैसे लिए, काम कर रहा था। सरकार बदल गई तो काम रुकवा दिया। कम से कम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स कमेटी बनी है, उसमें रोड्स सेफ्टी के लिए और सेंट्रल रोड फण्ड के लिए जो एलोकेशन आया है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो प्रदेश ज्यादा डीजल कंज्यूम करते हैं, उनको उसमें ज्यादा शेयर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि वाटरवेज का स्कोप पंजाब में कम है। इनको पैसा लेना चाहिए पर कम से कम जिन प्रदेशों में वाटरवेज नहीं है, उनके फण्ड के एलोकेशन पर असर न पड़े। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से केंद्रीय सड़क निधि संशोधन अधिनियम का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और मंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने बेहतर प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी पिछले साढ़े तीन साल से और उससे पहले आपके चुनाव घोषणापत्र से हम लोग सुनते रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने आज नहीं, 50-60 के दशक में कहा था कि जब तक देश की नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक देश के अंदर बहुत सारे जो तमाम संकट हैं, बाढ़, सूखा, यातायात और जल यातायात का भी सवाल है। इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक योजना की चर्चा आपने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी की थी। लेकिन मंत्री जी मुझे अफसोस है कि साढ़े तीन साल के बाद भी उस योजना पर अभी तक कोई गंभीर प्रयास आपकी और आपकी सरकार की ओर से नहीं हुआ है। यद्यपि यह सच है कि माननीय मंत्री जी ने जिन विभागों में काम किया है, उन पर लोगों को भरोसा है। लेकिन मंत्री जी आपको यह विभाग बहुत पहले ही संभालना था। देर हुई तो हुई, लेकिन कम से कम अब जो बातें आपने चुनाव घोषणापत्र में उस समय कहीं, उन घोषणापत्रों को जरूर पूरा कर दें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। जहां जल यातायात का केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से आपने फण्ड लेने की बात की, मैं समझता हूँ कि इस पर पूरा सदन सहमत है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं आज भी जल यातायात की हैं, नदियों की हैं, सूखा की हैं और बाढ़ की भी हैं। जब तक डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पर चलते हुए नदियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी, आपने बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आप ही के मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे काम पड़े हैं, जो पेंडिंग हैं। मैं दूर नहीं जाना चाहता। मैं खुद अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूँ के लिए बताता हूँ कि हमने एक बदायूँ लिफ्ट कैनल योजना बनाकर भारत सरकार में तीन साल से भेज रखी है। आज तक सेंट्रल वाटर कमीशन के तमाम डायरेक्ट्रेट ने साढ़े तीन साल से आज तक क्लीयरेंस नहीं दिया है। जब साढ़े तीन-तीन साल तक एक-एक योजना रुकी रहेगी तो माननीय मंत्री जी जो सपना आपने देश को दिखाया है, मैं समझता हूँ कि वह सपना, सपना ही रह जाएगा। वह सपना कभी भी हकीकत में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह की योजनाएं चाहे मेरे क्षेत्र की हों या अन्य तमाम क्षेत्रों की हों, हमारे बहुत सारे साथियों ने, बंगाल के साथियों ने और बिहार के साथियों ने चर्चाएं की हैं। मैं इस बात से अपनी सहमती जताते हुए आपसे अपील करूंगा कि ये चर्चाएं और ये आश्वासन केवल आश्वासन तक न रह जाएं। कम से कम आपके कार्यकाल पूरे होने तक, वर्ष 2019 तक ये योजनाएं जमीन तक उतरें। मैं समझता हूँ कि आप की भी विश्वसनीयता...(व्यवधान) फिर की बात नहीं, वर्ष

2019 तक के जो वादे हैं उनको पूरा कीजिए। ... (व्यवधान) फिर की बाद बात में करेंगे। वर्ष 2019 में जनता तय करेगी। फिर के सपने दिखाना बंद कीजिए। पहले जो वर्ष 2019 तक की बातें चुनाव घोषणापत्र में की हैं, पहले उन घोषणापत्र की बातों को पूरा करके दिखाइए। मैं अपनी व अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Respected Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Central Road Fund (Amendment) Bill. I appreciate the Government's initiative in introducing this Bill and I support it.

One of the major amendments in this Bill is the inclusion of inland waterways in the Central Road Fund. The Bill provides that in addition to National Highways, State and rural roads, the Fund will also be used for the development and maintenance of National Waterways, which is a commendable job.

The Bill seeks to decrease the allocation of cess towards the development and maintenance of national highways from 41.5 per cent to 39 per cent and allocating 2.5 per cent to the development and maintenance of waterways.

Sir, I would like to give my comments on this Bill very briefly. I am happy to note that the new Bill will open avenues to address most of the infrastructural facilities required for navigation and also address the problems of night navigation, ship building and warehousing facilities, which, at present, are major lapses of country's inland waterways.

While supporting the Bill, at this juncture, I would like to bring to the notice of the Government about scope, advantages and problems of Inland Waterways in the State of Assam. Sir, Assam is endowed with a large number of navigable rivers. Out of 111 number of national waterways, Assam alone contributes 14 waterways. All the major rivers including Brahmaputra, Barak, Aai, Beki, Dehing, Dhansiri, Dhikou, Doyang, Gangadhar, Kopili, Lohit, Puthimari and Subansiri have inland waterways in the State. These waterways can be extensively used for ferry and commercial services. Starting from Sadia to Dhubri, the Brahmaputra River alone has thousands of cross river par ghats along the banks. Several thousands of country boats are in service for carrying

ferries. This implies that there is an enormous scope of employment as well as investment in organized inland waterways.

Now, I will come to the problems of waterways in Assam. The basic problem that threatened the navigability in Assam is the neglect of maintenance and conservancy of waterways. The waterways in Assam suffer from seasonal fluctuations of water.

Sir, I am speaking about Assam. Lack of training facilities for navigation, ship repairing facilities and absence of modern ships are other major problems. Another drawback of waterways is that it cannot provide door-to-door services and that the speed of service is very slow. Sir, my very personal suggestion is this. The most important measures necessary are to intensify the conservancy, conduct regular survey, construct dry port and improve the workshop.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Dushyant Chautala Ji.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: You gave me three minutes. It is just two minutes. One minute is left. It is suggested that the water transport should obtain modern speedy ships and modern lighting facilities for night navigation so as to enhance its competitive capacity with rail and road transport.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: Yes, Sir. Inland water transport should be regarded as complementary to rail and road transport.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस अहम् मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सड़क, वायु, रेल और जल इस देश के ट्रांसपोर्ट के तंत्रिका तंत्र हैं, अर्थात् नर्वस सिस्टम हैं। आज हम वाटरवेज की बात कर रहे हैं, सरकार कंसोलिडेटिड रोड फंड का 2.5 प्रतिशत वाटरवेज के लिए डाइवर्ट करना चाह रही है, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। आज हम यदि यूरोप को देखते हैं तो नीदरलैंड जैसे कंट्री के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रिवर और कैनाल्स के माध्यम से होता है। अगर सरकार ऐसा निर्णय ले रही है तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में भारत में भी जो ट्रांसपोर्ट होगा, वह ट्रक और सड़कों से ज्यादा रिवर के माध्यम से होगा।

इसमें दो प्रमुख सवाल हैं, पहला सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में हमारे देश के अंदर पानी की उपलब्धता इतनी रहेगी? आज हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, परंतु चाइना ने उस पर डैम बनाकर कहीं न कहीं पानी रोकने का काम किया है। यह आपके प्रदेश में देखने को मिला, बंगाल में भी देखने को मिला कि वहां पानी की कमी हुई। आज यमुना दिन-प्रतिदिन सूखती जा रही है। क्या सरकार इस फंड से वाटर रिसोर्स डैवलपमेंट की ओर तथा इंटरलिकेज ऑफ रिवर की ओर भी ध्यान देने का काम करेगी?

महोदय, जब हम रोड फंड की बात करते हैं तो माननीय डिफेंस मिनिस्टर भी यहां मौजूद हैं, आज इस रोड फंड का एक परसेंट हिस्सा हम बॉर्डर रोड्स के डैवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। चंदूमाजरा जी ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया। हमें इसमें से कम से कम पांच परसेंट पैसे से बॉर्डर रोड्स को डैवलप करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप चाइना को देखें तो वह डोकलाम जैसे इम्पोर्ट एरिया में मोटी-मोटी सड़कें लेकर आ रहा है। लोक सभा में मंत्रालय द्वारा जवाब दिया गया है, जहां यह क्लियर कट डिफाइन है कि आज भी पैसे और परमीशन की कमी के कारण इंडिया की मेज्योरिटी ऑफ रोड्स, जो बॉर्डर को लिंक करती हैं, उन्हें हम डैवलप नहीं कर पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री जी ने अपने शुरुआती भाषण में एक बात कही थी कि आज छह रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीज़ल में से रोड फंड के लिए सैस के नाम पर डाइवर्ट किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर इस देश का नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी या कच्छ से कोलकाता जाना चाहे तो कोई एक सड़क ऐसी है, कोई एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर टोल न देना पड़े। आज जब मैं अपने लोक सभा क्षेत्र हिसार से निकालता हूँ तो जगह-जगह टोल टैक्स के बैरियर्स मिलते हैं। एनएचएआई एक्ट के अंदर लिखा गया है कि दस किलोमीटर पर कोई टोल टैक्स नहीं आता है, मगर चार किलोमीटर के अंदर रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा दिए जाते हैं। आज शहर से निकालने के लिए टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री

जी से यह निवेदन जरूर करूंगा कि जब रोड फण्ड में इतना पैसा है तो कम से कम इस देश के नागरिकों को यह अधिकार दिया जाए कि वे नॉर्थ से साऊथ या ईस्ट टू वेस्ट अगर जाना चाहें तो उनके लिए नॉन टैक्सेबल रोड होनी चाहिए।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, मुझे तीन मिनट का समय मिला था। आप मुझे मेरी पूरी बात तो रखने दीजिए। पता है कि हम छोटे दल हैं, मगर आप इस तरीके से न करें। मैं कोई बाहर का मुद्दा रख रहा हूँ तो जरूर मेरी बात बंद कीजिए।

माननीय सभापति : आपका समय तीन मिनट था, वह समाप्त हो गया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कह कर अपनी स्पीच समाप्त करना चाहता हूँ। मंत्री जी, कम से कम हमें एक ऐसा हाईवे देश के नागरिकों को देना चाहिए जो नॉन टैक्सेबल हो, एट लीस्ट यह देश का अधिकार हो। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह भी यह बात रखी थी कि एक गैज़ेट नोटिफिकेशन लाया गया है, जहां पर सरकार द्वारा ट्रैक्टर को नॉन-एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाया जा रहा है। मंत्री जी, अपने जवाब में जरूर इसका उत्तर देने की कोशिश करें कि क्या सरकार इस गैज़ेट को विदड़ों करेगी, क्योंकि आज अगर इसको हम लागू कर देते हैं तो सरकार द्वारा किसानों के ऊपर नई टैक्स प्रणाली रोड के माध्यम से लगाने का काम किया जाएगा।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) बिल, 2017 के समर्थन के लिए खड़ा हूँ। मैं सर्वप्रथम माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि जब दो साल पहले बस्ती जिले की एक सड़क के उद्घाटन में माननीय मंत्री जी गए थे और हेलिकॉप्टर से लखनऊ से वे जा रहे थे, तब एक नदी उनको दिखाई पड़ी और मंच पर जब मैंने उनका स्वागत किया और उनके बगल में बैठा तो उन्होंने पूछा कि हरीश ये कौन सी नदी है। मैंने कहा कि सर, यह घाघरा नदी है। जवाब में उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने इसकी मांग तो नहीं की है, लेकिन मैं इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का निर्णय लेता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो 106 नदियाँ जोड़ी गई हैं, उनमें अयोध्या से ले कर कोलकाता तक जलमार्ग बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, इसलिए माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय, पहले पूरे देश में पांच जलमार्ग थे, हमारी सरकार ने 106 जलमार्ग और बनाने का निर्णय लिया है। पहले 4342 किलोमीटर का जलमार्ग था। अब इस समय लगभग 20 हजार किलोमीटर से ज्यादा के जलमार्ग हमारी सरकार में पिछले तीन वर्षों में कुछ तो चालू हुए हैं और कुछ चालू होने वाले हैं। सन् 1986 से ले कर सन् 2014 तक टोटल जलमार्ग तक 1485 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। लेकिन पिछले तीन सालों में, जब से हमारी सरकार आई है और माननीय गडकरी जी इस विभाग के मंत्री बने हैं, लगभग नौ सौ करोड़ रुपये जलमार्ग पर हमारी सरकार ने खर्च किए हैं। केवल गंगा नदी पर ही 5400 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग हमारी सरकार ने लगभग बनारस से चालू कर दिया है और इलाहाबाद से भी चालू होने वाला है। 16 जलमार्गों की डीपीआर बन कर तैयार है। उस पर भी काम शुरू होने वाला है। बांग्लादेश से नदियों को जोड़ कर ब्रह्मपुत्र के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत तक कैसे जलमार्ग की सुविधाएं दी जाएं, इस पर हमारी सरकार आगे काम कर रही है।

महोदय, इस समय लगभग 80 हजार 800 करोड़ रुपये सीआरएफ के माध्यम से भारत सरकार के पास आ रहा है। पहले की सरकारों में तमाम ऐसे सीआरएफ के पैसे पड़े रहते थे, जिससे वे खर्च नहीं हो पाते थे और कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में इस साल सीआरएफ का तीन हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव गया है और मेरे जिले में स्वयं माननीय मंत्री जी ने 54 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, जिसका टेंडर होने वाला है। निश्चित रूप से सीआरएफ से 2.5 प्रतिशत पैसा जलमार्ग में खर्च करने की बात हो रही है, वह पैसा जाएगा तो जलमार्ग का विकास होगा और जलमार्ग का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा। आज की तारीख में केवल छह प्रतिशत जल मार्ग के माध्यम से घरेलू दुलाई होती है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए, आपकास समय समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: सभापति महोदय, मैं पार्टी से बोलने वाला अंतिम वक्ता हूँ, कृपया पांच मिनट का समय और दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से अकेला बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से जलमार्ग बन जायेगा। अयोध्या से बस्ती होते हुए कोलकाता तक जलमार्ग बन जायेगा तो निश्चित रूप से यह बहुत लाभदायक होगा। मैं अपने जिले में भाषण करता हूँ। मैं बस्ती लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, वहाँ पर मैं भाषण करता हूँ। नदियों के किनारे जो जमीनें हैं, उनकी कीमत मिट्टी के भाव के बराबर है यानी कह सकते हैं कि उन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता है, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि माननीय गडकरी जी ने जिस प्रकार अयोध्या से लेकर कोलकाता तक जलमार्ग बनाया है, वह दिन दूर नहीं, जिस प्रकार शहरों में लोग जमीन खरीदने के लिए परेशान होते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, आने वाले समय में सरयू के किनारे की जमीन महंगी होगी, बिजनेस डेवलप होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यह जलमार्ग की जो योजना भारत सरकार ने बनाई है, आने वाले समय में इससे लगभग 1.5 से 2 लाख नौजवानों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। मैं अपने जिले में लोगों से कहता हूँ कि गडकरी जी के पास जाइये तो ज्यादा सोचकर जाइये, क्योंकि आप माँगेंगे कम, मिलेगा ज्यादा। जैसे मैंने नदी का उदाहरण दिया, हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जलमार्ग हमें मिल गया। बस्ती जिले में माननीय गडकरी जी टांडा से लुम्बिनी की सड़क का शिलान्यास करने गए थे। उसका शिलान्यास हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि सर, राम जानकी मार्ग ऐतिहासिक मार्ग है, आप उस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर दीजिए। उन्होंने घोषित कर दिया। उसकी डीपीआर बन गई, अभी टेंडर होने वाला है। मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूँगा कि उसका भी शिलान्यास कीजिए। मैं आज यही आपके मंत्रालय में वैभव जी को पत्र देकर आया हूँ। यही निवेदन मैंने किया है। मैं अपनी अन्तिम बात कहकर, अपनी माँग करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ शहर है और यह 150 वर्ष पुराना जिला है। यह ऐतिहासिक जिला है। स्वतंत्रता आन्दोलन में हमारे जिले के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बस्ती का विकास नहीं हो पाया है। मैंने माननीय गडकरी जी से निवेदन किया था कि बस्ती को रिंग रोड दे दीजिए, इन्होंने रिंग रोड दे दी है। उसका सर्वे हो गया है, डीपीआर बन गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हमारे बस्ती की रिंग रोड का शिलान्यास आप कर देंगे तो निश्चित रूप से बस्ती की जनता आपका आभार व्यक्त करेगी। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन कर इसमें प्राप्त उपकर 2.5 प्रतिशत राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उपलब्ध होगा, यह बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और इसका स्वागत भी करता हूँ। राष्ट्रीय जलमार्गों की स्वीकृति संख्या अब 111 हो गई है। इसमें एक प्रमुख जलमार्ग बिहार में गंगा नदी में पटना से इलाहाबाद है। यहाँ कई वर्षों से कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक जलमार्ग चालू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि गंगा नदी में जो गाद है, उसकी सफाई होनी चाहिए। गंगा नदी के जल प्रवाह में जो अड़चन आ रही है, उसमें ऊँचाई का जो कटाव नहीं हो रहा है, यह उसका भी प्रभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि गाद की भी सफाई होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि पाँच राष्ट्रीय जलमार्ग में फरक्का-पटना और पटना-इलाहाबाद तकरीबन 1,629 किलोमीटर हैं, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए आग्रह करूँगा। इससे बिहार को काफी लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं माल के आवागमन के लिए भी यह काफी सस्ता रहेगा। गंगा की अविरलता को भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से एन.एच. 31, जो बिहार शरीफ टू अम्बेडकर चौक है, उस पर फ्लाई ओवर के लिए अनुरोध करूँगा। मैंने पहले भी इसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, यह उनका भी क्षेत्र है, मैं एन.एच. 31 का सवाल रख रहा हूँ। बिहार शरीफ में जब तक फ्लाई ओवर नहीं बनेगा, तब तक बिहार और झारखंड एक नहीं होंगे। वहाँ गड़डे हैं। माननीय मंत्री जी को भी इसके लिए सुनना पड़ता है और मुझे भी सुनना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि रांची से लेकर पटना तक इसे किया जाये। मेरा एक और अनुरोध है कि बिहार शरीफ रेलवे क्रॉसिंग, जो एन.एच. 82 है, उस पर आरओबी ब्रिज की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह माँग करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.00 hours

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, God is guided by nature and nature is guided by God. प्रकृति को बैलेंस किए बगैर कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वह सभ्यता हो, संस्कृति हो, वह प्रकृति से ही बसती है।

महोदय, मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि आप कर्मयोगी हैं। अब तो बी.जे.पी. के सांसद तय करेंगे मां और मौसी को। मां से बढ़ कर मौसी होती है। मेरे लिए आप मां और मौसी दोनों तरह से दिखते हैं और सब आपका सम्मान करते हैं। आपका सम्मान है, बाहर भी और भीतर भी। देश के 130 करोड़ लोगों के लिए आप सम्माननीय हैं। कर्मयोगी क्या होता है, यह आप ने दिखा दिया है।

मेरे तीन-चार प्वायंट्स हैं। मेडिकल सेफ्टी के लिए आपके इस बिल में कुछ नहीं है। नदी और रोड पर जो मेडिकल सेफ्टी है, यह बहुत आवश्यक है। यह मेरा पहला प्वायंट है। मेरा दूसरा प्वायंट है - नेशनल सिक्यूरिटी। मेरा तीसरा प्वायंट है - सेफ्टी। मेरा चौथा प्वायंट है - प्रदूषण। स्वच्छता के बारे में देश के प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, लेकिन स्वच्छता के बारे में हिन्दुस्तान की स्थिति यह है कि जब तक आप शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जीवन का स्तर नहीं बढ़ाएंगे और सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा।

आप बहुत मजबूत कानून लाते हैं। आप अभी भी सुरक्षा पर बहुत बेहतर कानून लाए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है।

महोदय, आप नदी की मिट्टी को बहुत नीचे तक नहीं ले जा सकते हैं। यदि आप नदी के भीतरी तल को निकालेंगे तो नदी के भीतर जो जीव बचे हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। नदी के पानी को बैलेंस करने की आवश्यकता है।

एक तो हिन्दुस्तान में पूरा-का-पूरा पानी आर्सेनिकयुक्त, आयरनयुक्त और खारा है। पूरी दुनिया में पानी की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। वाटर के लिए थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति हो सकती है। वाटर के लिए हिन्दुस्तान को आप जैसे कर्मयोगी मिले हैं।

मेरे यहां बिहार में सबसे ज्यादा आर्सेनिक और आयरनयुक्त पानी है। मेरे यहां कोसी नदी है। कोसी जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं आपसे कई बार मिला हूँ। रंजीत रंजन जी भी आपसे मिलकर यह बात कह चुकी हैं। मेरे यहां महानंदा, भूतही बलान, गंडक, नारायणी, सोन नदी है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा, 11 नदियां मेरे क्षेत्र में हैं। उसके बाद भी उनका अभी तक कहीं से जुड़ाव नहीं है। गंगा नदी से भी लगाव नहीं रखा गया। महानंदा नदी की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हम गंडक और सोन को कैसे जोड़ें?

दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक आज़ादी का साम्राज्य मगध साम्राज्य को कहा जाता था और आज वह मगध वाटर के चलते समाप्त हो रहा है। झारखण्ड और मगध के इतिहास को चेंज करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना और उन नदियों को हाई डैम से जोड़ना बहुत आवश्यक है। अन्य बातें तो मैं आपसे मिलकर भी कर लेता हूं।... (व्यवधान)

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सेन्ट्रल रोड फण्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोला है। मैं खुश हूँ और मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 'लुक ईस्ट' पॉलिसी को 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी में बदलने का काम किया। हम लोगों ने देखा है कि जब सरकार ने फोर-लेन का काम किया था, तब असम में और नॉर्थ-ईस्ट में फोर-लेन का काम पूरा बंद हो गया था। जब नितिन जी मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर ने 'एक्ट ईस्ट' की बात कही, तब से मेरी कंस्टीट्युन्सी से पूरे असम में फोर-लेन का रास्ता खुल गया। मैं खुश हूँ कि आप इसे कर रहे हैं। अभी उस पर काम शुरू है।

दूसरी बात जलमार्ग की है। इतने दिनों से ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवेज-2 की स्वीकृति थी, पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। नितिन जी के आने के बाद उन्होंने पांडू पोर्ट में रो-रो स्कीम का उद्घाटन किया और वहाँ पर उन्होंने उसका काम भी किया।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 'एक्ट ईस्ट' की बात कही तो हम लोगों ने देखा कि हमारे ऑनरेबल नितिन जी ने बारह नदियों को जोड़ा है। एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है बराक नदी। सबसे लम्बी रिवर वैली बराक नदी में है। इसी तरह, बारह नदियों को उन्होंने जोड़ा है और वे नेशनल वाटरवेज में उन्हें बदलने के लिए बहुत काम करेंगे।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, अभी हमारे ऑनरेबल एम.पी.जी. ने इस विषय पर बोला है। किसी को पता नहीं है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट को बदलने के लिए ऑनरेबल नितिन जी ने जो भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

मेरा धन्यवाद भी है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे बड़ा रोड है, उसको नेशनल हाइवे में बदल दिया गया है, जिसको दोदोआरी बोला जाता है, वह अहोम किंगडम के समय का था। इसके लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और वह काम हो गया है। जो नेशनल हाइवे इंटर-स्टेट लिंकिंग हाइवे हैं, उन सभी को नेशनल हाइवे बनाया है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डी.पी.आर. जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करके इसको बनाना चाहिए। वहाँ पहले पाँच ब्रिज़ेज थे, फिर भी उन्होंने वहाँ तीन अन्य ब्रिज़ को डिक्लेयर किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट ही बोलूँगा। जो नेशनल वाटर हाइवेज़ बनाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी ड्रेज़िंग करके उसमें शिप चलाया जाए और पोर्ट्स का भी निर्माण किया जाए। अब, मैं इन्हीं बातों का रिक्वेस्ट करते हुए माननीय श्री नितिन जी का धन्यवाद करता हूँ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : धन्यवाद, चेयरमैन सर। सबसे पहले तो मैं श्री गडकरी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस सी.आर.एफ. के माध्यम से उन्होंने इस वॉटर वेज़ को फंड करने का जो निर्णय लिया है, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। अभी 111 वॉटरवेज़ इस देश में हैं, उनमें से एक वॉटरवेज़ मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री नितिन गडकरी : उसके लिए हमने पाँच सौ करोड़ रुपये की घोषणा कर दी है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, मैं उसी बात को बता रहा हूँ कि जो मुम्बई से मेरे क्षेत्र को जोड़ता है, वह कल्याण-थाणे(वसई), कल्याण-थाणे(मुम्बई) और कल्याण- थाणे (नवी मुम्बई) वॉटरवेज़ है। यह जो वॉटरवेज़ है, उसके लिए हजार करोड़ रुपये का टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें से पाँच सौ करोड़ रुपये केंद्र शासन व श्री गडकरी जी के माध्यम से हमें मिला है। इस पाँच सौ करोड़ रुपये की जो घोषणा आपने की है, उसको तो आपने अप्रूवल दी है, लेकिन काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए, म्युनिसिपल कारपोरेशन के माध्यम से उसका सर्वे वगैरह शुरू है। अभी श्री गडकरी जी ने सब के सामने कहा है कि पाँच सौ करोड़ रुपये हमने दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि अगले चुनाव के पहले उस वॉटरवेज़ में रो-रो पैसेंज़र सर्विस शुरू हो जाएगी। मैं फिर से एक बार श्री गडकरी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

इस माध्यम से मैं एक सुझाव श्री गडकरी जी को करना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल पॉलिसी है, उसके आधार पर 35 किलोमीटर के बीच में दो टोल जंक्शंस होने चाहिए, लेकिन हमारा जो मुम्बई शहर है, उस मुम्बई शहर में इंटी प्वाइंट है। वहाँ पर दो किलोमीटर के बीच में दो टोल प्लाजा हैं। मुझे यहाँ एक सुझाव करना है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं, प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, उस समय ही जो टोल की रकम है, उसको ले लें। पूरे भारत में 1.5 करोड़ नई कार रजिस्टर्ड हैं। जब लोग गाड़ी खरीदते हैं, अगर हम एक ही बार में उनसे टोल की रकम ले लेंगे और जो-जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको दे देंगे, तो मुझे लगता है कि जो टोल प्लाजा की समस्या है जिसके कारण मनी, मैन पावर, ट्रैफिक, पलूशन आदि की जो समस्या हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं एक बार फिर से श्री गडकरी जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मेरी पार्टी शिव सेना की तरफ से इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI VARA PRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I honestly congratulate the hon. Minister for his sustained efforts to develop the waterways. I chose to speak now because the Buckingham Canal coastal corridor that has been allotted to us is delayed by more than three and a half years. In the coastal area that the Tirupati constituency has, there is no other economic activity except this waterway. So, we request the hon. Minister to implement it as soon as possible.

We have got another very big lake called the Pulicat Lake. But for this Buckingham Canal there is no other way to develop that Pulicat Lake. So, we request that it should be done as soon as possible.

The third most important point is Andhra Pradesh has got a very prestigious organisation called the Dredging Corporation of India which is very close to the waterways. There is a strong rumour in Visakhapatnam that the Dredging Corporation is likely to be closed fast and they are holding a relay fast. Since we have got only one important public sector Corporation in Andhra Pradesh in Visakhapatnam, that should be saved and by that nearly 1,800 employees of that Corporation could also be saved.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): माननीय सभापति जी, मैं बोलने वाला नहीं था, बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपनी बात बोलते हुए कहते हैं कि मोदी जी सपना दिखाते हैं। मैं बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि सपना नहीं हकीकत देखनी है तो अंडमान निकोबार आ जाओ।...(व्यवधान) बॉम्बे मेरिन ड्राइव का नाम सुना होगा। अंडमान मेरिन ड्राइव का काम शुरू हो गया है। नितिन गडकरी जी गडकरी जी नहीं है, विश्वकर्मा जी हैं, यह ... * के कान में जरा भर दो। उनके कान में भर दो।...(व्यवधान)

श्री इदरिस अली: यह क्या बोल रहे हैं?

माननीय सभापति : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय : अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को 10,000 करोड़ रुपए मिले।...(व्यवधान) अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में नेशनल हाईवे का एक हाईवे था, अब सात हाईवे बन गए हैं। सीआरएफ फंड का नाम सुना था, फंड में अंडमान आया नहीं था। बिल का सबसे बड़ा फायदा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में क्या होगा, बंगाल को भी होगा।...(व्यवधान) बंगाल में मेरिन इंजीनियरिंग कॉलेज है लेकिन नौकरी अंडमान-निकोबार में आकर करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री बिष्णु पद राय : इससे सबसे बड़ी चीज यह होगी कि प्राइवेट सैक्टर, शिपिंग सैक्टर, वाटर सैक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी।...(व्यवधान) हजारों-लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। यह बिल में है।...(व्यवधान) अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में टर्मिनल बिल्डिंग भी बनेगी। मैं आग्रह करता हूँ कि पूरी कम्युनिस्ट पार्टी, बंगाल की सीपीएम पार्टी एक बार अंडमान में अपनी आंख खोलकर देखे।...(व्यवधान)

I would request the hon. Minister to kindly call those employees for negotiation so that he can save the Dredging Corporation of India. Thank you.... (Interruptions)

माननीय सभापति : आप बैठिए। ऑब्जेक्शनल होगा तो निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): माननीय सभापति जी, आपने मुझ केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने संशोधन विधेयक के कारण संशोधनात्मक बातें सदन में कहने का मौका दिया।

इस बिल से बड़ी मात्रा में फंड उपलब्ध होने वाला है, जिसका विविध कार्यों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, जैसे प्रवासी जल वाहन हेतु, माल वाहन हेतु, नए बंदरगाहों का निर्माण आदि। ऐसा देखा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के 720 किलोमीटर सागर किनारे की तरफ पूर्व सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया था।

17.13 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

राज्य और केंद्र में यूपीए सरकार रहने के कारण और मंत्री जी महाराष्ट्र से होने के कारण मैं आपसे अधिक अपेक्षा करता हूँ। वरसोवा, जूहू खार डांडा आदि समुद्री किनारे मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वरसोवा, अंधेरी पश्चिम मुम्बई में 25 वर्ष से करीब 200-250 मछली पकड़ने वाली नौकाएं रुकती थीं। वरसोवा बंदरगाह में जल में मलबा इकट्ठा होने के कारण वर्तमान स्थिति में केवल 40-50 मछली पकड़ने वाली नौकाएं रुक सकती हैं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude quickly.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: Madam, I seek your indulgence because I am from the constituency where the Versova Creek is situated. There is a lot of silt in the Creek and that has to be cleared. For this purpose, a large fund allocation is required. Nobody has paid attention to this for the last 10 years. So, I am requesting the Minister to allocate enough money for this work. I have already written to the Government on this matter. That is why I am taking this opportunity to raise this issue, with your permission.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude quickly.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR: I will conclude within a minute. 200 मछली मारने वाले आर्थिक नुकसान सह रहे हैं। मलबे की सफाई होने से 200-300 नौकाएं ठहरने का स्थान बन सकता है। इसके लिए महाराष्ट्र मेरिन ड्राइव बोर्ड ने करीब 38.61 करोड़ रुपये की मांग मंत्रालय से की है।

मेरी आपसे विनती है कि उपरोक्त निधि सागरमाला योजना के द्वारा तत्काल मंजूर करने की कृपा करें। वरसोवा सागरी किनारे की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पर आधुनिक सुविधायुक्त

बंदरगाह का निर्माण किया जाये। ...(व्यवधान) मैंने यह बात जब महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में लायी, तब उन्होंने इस पर गौर किया और करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की निधि प्रस्तावित की गयी।
...(व्यवधान)

मेरी केन्द्र से एक मांग है कि यह फंड सागरमाला से उपलब्ध किया जाये। गोवा जल मार्ग, मुंबई ... (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं अंतिम प्वाइंट बोलकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ...(व्यवधान) गरीब किसानों की जमीन दी गयी, जिसके कारण उन लोगों को ... (व्यवधान)

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Madam, I am grateful to you. My first prayer is this. We should respect everyone. I have great respect for our hon. Minister, Nitin Gadkari ji. But my learned friend, who is from Malda, West Bengal, a BJP leader, should withdraw his statement. He said something against Mamata Banerjee, the hon. Chief Minister of West Bengal. Does he know that she is a symbol of development? जब तक सूरज-चांद रहेगा, तब तक ममता जी का नाम रहेगा। ... (व्यवधान) यह आप सुन लीजिए। ... (व्यवधान) आप खामोश रहिए। ... (व्यवधान) आपके ऊपर मर्डर केस है। ... (व्यवधान) मैं बाद में बोलूंगा। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Idris Ali, please address the Chair. Please conclude as quickly as possible.

... (Interruptions)

SHRI IDRIS ALI : Madam, he is disturbing me. What is this? My request to the hon. Minister is this. मेरे एरिया में एक नैशनल हाईवे है, जिस पर काफी ट्रैफिक चलता है। वह नैशनल हाईवे इमीडिएट रिपेयर होना चाहिए। Its condition is very bad in some areas in West Bengal.

My second request to the hon. Minister is that in my area, the Basirhat Constituency, there is a Dulduli river. Hon. Minister, Sir, please note that most of the persons belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. They are *Adivasis*. They are poor people.

मेरी आपसे विनती है कि डुलडुली नदी में ब्रिज होना चाहिए। This is my humble prayer.

दूसरा, पहले बजट में पास हुआ कि मेरे बसीरहाट एरिया में एक ब्रिज होना चाहिए, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ। That has already been passed but till today nothing has been done. Therefore, I request the hon. Minister to do the needful about that bridge.

अंत में, मैं एक बात बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please put your demand only.

SHRI IDRIS ALI: Madam, we are facing problems. Everybody is facing problem. जहां टोल टैक्स लिया जाता है, एमपीज़ से टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जब हम टोल बूथ पर जाकर अपना कार्ड दिखाते हैं, तो वे कभी इनसे पूछते हैं और कभी उनसे पूछते हैं। हमें वहां से जाने में पांच मिनट लग जाते हैं। What is this? हमें जल्दी जाना होता है। We will be grateful to you, Madam. I am deeply obliged to you. Thank you.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Madam Chairperson. First of all, I would humbly request the hon. Member to withdraw his comment against CPM.

Another request to the hon. Minister is this. While supporting the Bill, I would request him to give maximum help to Kerala for all these projects.

HON. CHAIRPERSON : Madam, please listen to me. The Chair has already announced that it will be expunged.

Hon. Minister.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : महोदया, मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यूनानिमसली इस बिल का समर्थन किया। मैं यह मानता हूँ कि यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस काम को करते समय अनेक प्रकार की अड़चनें सरकार के सामने आई हैं और स्वाभाविक रूप से इसे करने के लिए बहुत पैसे की भी आवश्यकता है। वैसे मेरे पास अनेक डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अभी केवल इनलैण्ड वाटरवेज के बारे में ही जवाब दूंगा। मैं यह बात जिम्मेदारी से इस सभागृह में बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ। सपने दिखाते हुए नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर दिखाए हुए सपने पूरे नहीं होते हैं तो उन नेताओं को जनता पूरी तरह से समाप्त कर देती है, यह इस देश का इतिहास है। जो लोग सपने दिखाते हैं और दिखाए हुए सपने को पूरा करके दिखाते हैं, उन्हीं को जनता याद करती है। मैं सौगत राय जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। सौगत राय जी, अच्छा हुआ आप आए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ।

श्री नितिन गडकरी : महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने कहीं और जो बातें नहीं हुई होंगी, अगर एक भी ऐसी बात आप मुझे बता देंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं गलत वायदे नहीं करूंगा। आपने बंगाल में हल्दिया पोर्ट की ड्रेजिंग की बात कही, उस पर 450 करोड़ रुपये खर्च होते थे। हमने आस्ट्रेलिया और आईआईटी, चेन्नई को इनवाल्व किया, उस चैनल को हमने अच्छा बनाया। उसमें पहले जहां साल में 450 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, अब साल में 250 करोड़ रुपये बचने लगे और केवल 200 करोड़ रुपये में हल्दिया पोर्ट की ड्रेजिंग हो रही है। हमने उस चैनल को चालू कर दिया है।

मैं आज रोड के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार रोड के बारे में चर्चा इस सभागृह में होने दीजिए और एक-एक रोडवाइज सवाल पूछिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो लगभग दो किलोमीटर रोड प्रतिदिन बन रही थी और आज हमारा इस साल का औसत 28 किलोमीटर रोड प्रतिदिन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब अगला साल पूरा होगा तो यह औसत 40 किलोमीटर प्रतिदिन होगा।

आपने पूछा कि सागरमाला प्रोजेक्ट कहां गया, सागरमाला का क्या हुआ? हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं। सागरमाला पोर्ट-लेड डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें चार लाख करोड़ रुपये पोर्ट-रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट -रोड कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ पोर्ट्स के लिए है। सौगत राय जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज इसमें एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के काम अवार्ड हो

चुके हैं, यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ सभागृह में बता रहा हूँ। जो बाकी 12 लाख करोड़ रुपये हैं, मुंबई के माननीय सांसद यहां बैठे हुए हैं, उसमें 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं और दो इकोनोमिक जोन्स हैं। यह आज का विषय नहीं है, लेकिन यहां मुंबई के माननीय सांसद बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में जो स्पेशल इकोनोमिक जोन है, उसमें अभी कुछ दिन पहले ताईवान की एक कंपनी आई, मैंने उसे कहा कि एफिडेविट कराकर दो। उन्होंने कहा कि छः हजार करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट दो साल करेंगे और चालीस हजार युवाओं को रोजगार देंगे। मैं यह बात आपके सामने कह रहा हूँ एक पोर्ट में साठ हजार करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट दो साल के अंदर होगी और महाराष्ट्र के सवा लाख मराठी युवाओं को वहां रोजगार मिलेगा। ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर कांडला में बन रहा है, सब जगह हो रहा है। आप सीनियर मॅबर हैं। आप हमारे डिपार्टमेंट के बारे में एक चर्चा यहां कराइए, मैं पोर्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे आपको बताऊंगा।

आपने भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कही। भारतमाला फर्स्ट फेज में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब साढ़े सात लाख करोड़ रुपये में से सोलह हजार करोड़ रुपये के डी.पी.आर. पूरे हुए हैं। हमारे अंडमान निकोबार के माननीय सदस्य बोल रहे थे, केवल इनके एक निर्वाचन क्षेत्र में मैंने 10000 करोड़ रुपये के काम मंजूर करके शुरू कर दिये हैं। केवल घोषणा नहीं की है। आपके मार्फत मैं माननीय सभा के सदस्यों को बताऊंगा क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें एनवॉयरनमेंट फॉरेस्ट की अड़चनें आती है। किसी में लैंड एक्वीजिशन की समस्या आती है, कोई पी.आई.एल. डालता है, कोई स्टे लगाता है, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। इस तरह से कुछ कामों में अड़चनें भी आती हैं। मेरा काम आपको और उनको बुलाकर उन समस्याओं का समाधान करना है। अड़चनें आती हैं और अड़चनें अभी भी हैं, लेकिन मैं हर समय अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि जब कोई एम.पी. हमारे पास आता है तो उसको फोकट में तकलीफ नहीं है और वह पांचवीं मंजिल पर फोकट में चढ़ने के लिए नहीं आता है। वह अपना पेट्रोल-डीजल फोकट में नहीं फूंक रहा है। 12-15 लाख लोगों द्वारा चुना हुआ वह लोक प्रतिनिधि मेरे यहां इसलिए आता है कि लोग उसके पास अपनी तकलीफें लेकर जाते हैं तो वह तकलीफें बताने के लिए मेरे पास आता है। इसलिए उसको टरकाने की कोशिश मत करो, उसके काम को समझो। उसका काम आपको करना होगा, मुझे भी करना होगा। यह मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए आप मेहरबानी करके, चूंकि आप बहुत सीनियर हैं, सौगत राय जी, आपने गंगा की बात भी कही, मेरे पास सारे जवाब हैं। केवल गंगा में 5400 करोड़ रुपये के काम मंजूर हुए। इस विषय पर आप चर्चा कराइए।

वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, तीनों जगह मल्टी मोडल का काम शुरू हुआ है। गंगा में 1700 करोड़ रुपये का 5 साल का ड्रेजिंग कांट्रैक्ट दिया है। हल्दिया से पटना तक जैसे एयर ट्रेफिक

कंट्रोल होता है, वैसे ही रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इलैक्ट्रॉनिक इन्ॉगरेट हो गया है। आपके कोलकाता का हल्दिया डॉक बंद पड़ा था। उस हल्दिया डॉक के लिए मैंने कोचिंग शिपयार्ड को लगाया है। वह काम शुरू हो गया है।

आपको पता होगा कि हमने मारुति की गाड़ियाँ वाराणसी से नॉर्थ-ईस्ट और बंगाल भेज दीं। अभी 15 दिन पहले 150 सीटों की दो बैचेज ट्रक की अशोक लीलैंड की गाड़ियां चेन्नई से निकलकर बंगलादेश चली गईं। आपके बंगाल के सागर से आगे ब्रह्मपुत्र तक और ब्रह्मपुत्र से म्यांमार तक जाने का हमारा प्लान है। बराक नदी में ड्रेजिंग शुरू हुई। ब्रह्मपुत्र में शुरू हुई और इतना ही नहीं, यह काम कठिन है। यह आसान काम नहीं है।

आपने बर्किंगम केनाल की बात की है। पहले चरण का काम शुरू हो गया है, वह काम हमने अवार्ड कर दिया है। उसके बाद बाकी काम करने के लिए कहीं पर तो केनाल ही गायब हो गया। उसके ऊपर घर बन गये। हमें एनक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा। पेड़ लग गये हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहली बात यह सच है कि करीब दस ऐसे वॉटरवेज हैं जिनका हमने लगभग टेंडर निकाल दिया है। काम शुरू कर दिया है, जिसकी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं इसमें आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि एक बार आप इस पर चर्चा करिए। इसमें लोगों का यह सोचना सही है कि पानी नहीं है तो कैसे वॉटरवेज चलेंगे?

मैं अभी रिवर कनेक्टिविटी का मंत्री बना। इस देश में पानी की कमी नहीं है। 3000 टी.एम.सी. गोदावरी का पानी समुद्र में जा रहा है। जो पोलावरम की बात आपने कही, मैं वह पूरा करूंगा। मैं आन्ध्र प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि यह 60000 करोड़ का इरीगेशन प्रोजेक्ट 2022 समाप्त होने से पहले मैं पूरा कर दूंगा। मैं खुद 23 तारीख को पोलावरम आ रहा हूँ। मैं खुद उसको चैक कर रहा हूँ। भारत सरकार ने वादा किया है, पूरा होगा। 3000 टी.एम.सी. गोदावरी का पानी समुद्र में जा रहा है और उसका केवल 125 टी.एम.सी. पानी हमने बचाया। पोलावरम में वह पानी पंप से लेकर 210 कि.मी. केनाल में लाकर अमरावती में विजयवाड़ा में आया तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने पब्लिकली बताया कि 10000 करोड़ रुपये की किसानों की आमदनी इससे बढ़ी है। अब मैंने सोचा कि 3000 टी.एम.सी. पानी जो समुद्र में जा रहा है, इसका अगर 1500 टी.एम.सी. पानी मैं बचाऊंगा तो कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की पानी की समस्या ही सुलझ जाएगी। आपकी पानी की समस्या ही नहीं रहेगी और अभी मैं जा रहा हूँ, 5 बजे मेरे यहां मीटिंग है। मैं आपके विषय पर भी अभी आ रहा हूँ, केरल की भी समस्या नहीं रहेगी। 5 बजे मेरे यहां मीटिंग थी। दोनों प्लान तैयार हो गये हैं जो तेलंगाना में कालेश्वर प्रोजेक्ट तेलंगाना सरकार बना रही है, उसके बाद इंद्रावती नदी आती है, इंद्रावती में पानी ही पानी है जो पूरा समुद्र में जा रहा है। आप सब लोग इस बात को सोचो, आप सब देश के मालिक

हैं। मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि इस देश का पानी समुद्र में जा रहा है। उस पर कोई बहस नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती, कोई लेख नहीं लिखा जाता। मीडिया में एक वाक्य छपकर नहीं आता। बहुत पानी समुद्र में बह रहा है लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य से पांच-दस एमएलडी पानी के लिए आपस में कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं, वे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। मैं अपने कार्यकाल में आधे से ज्यादा झगड़े समाप्त कर दूंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का झगड़ा समाप्त हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का झगड़ा समाप्त हुआ, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना को, इन्द्रावती नदी के बाद यह पानी दो डैम में डाल कर, कावेरी के टेल-एंड तक और पोलावरम का बैक वाटर निकाल कर, फिर से एक बार पाइप से लेकर दो धरणों में लेकर गोदावरी का पानी कृष्णा में आयेगा, कृष्णा का पानी पेन्नार नदी में आयेगा और पेन्नार नदी का पानी कावेरी में जायेगा और केवल पानी नहीं जायेगा, ये वाटरवेज बनेंगे। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आयेगी और पानी की समस्या समाप्त होगी। यह बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यह पूरा होने में समय लगेगा। यह कोई दो-तीन साल का काम नहीं है।

पहली बार हिमालय की नदियां गंगा को कावेरी से जोड़ने की बात हुई, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। आज मेरे ध्यान में आया कि हिमालय की नदियों में पानी ही पानी है। हिमालय की वेली को छोड़ कर जो नदी आती है, उसका पानी समुद्र में जा रहा है, पहले उसे क्यों नहीं रोकना चाहिए, हमने सोच बदली और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस देश में पानी की कमी नहीं है बल्कि पानी के नियोजन की कमी है। नदी में पानी कैसे आयेगा। पहले हम लोग गंगा में 45 मीटर चौड़ा ड्रेजिंग कर रहे हैं। ड्रेजिंग करने के बाद वह जल मार्ग बनेगा, तीन मीटर राफ्ट होगा। अभी कोई आता है तो कहता है कि तुम यह बैराज क्यों बना रहे हो? इस देश में एक अच्छी बात है कि कोई यह कहने के लिए नहीं आता कि आप काम करो। जो भी आता है, वह यही कहता है कि पहले तुम यह काम बंद करो। यह आपको और मुझे सोचना होगा। यह सवाल बी.जे.पी., कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश की सवा सौ करोड़ जनता का है कि उनको पीने के लिए पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, नदी में पानी रहेगा या नहीं रहेगा। एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी उठ जाती है, अभी एक कमेटी में मुझे सभी सांसदों ने कहा कि बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि मैं ड्रेजिंग करूंगा और ड्रेजिंग से निकली हुई सैंड से मैं नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उससे फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाऊंगा। प्लास्टिक के नये मैटेरियल आये हैं, उसमें पत्थर डाल देंगे, उसकी दिवाल खड़ी कर देंगे, ताकि पानी गांव में रह जाएगा और बाढ़ से गांवों में नुकसान नहीं होगा। एक तरफ ड्रेजिंग का ड्रेजिंग होगा और दूसरी ओर बाढ़ से नुकसान नहीं होगा, यह इसमें किया है।

जैसे एयरपोर्ट है, वैसे ही रिवरपोर्ट बनाने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड का काफी काम हो गया, सात लाख करोड़, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर, आप सभी लोग अपनी डायरी में लिख लें। मैं पब्लिकली कहता हूँ कि जो काम नहीं करना होगा तो उंके की चोट पर चिल्ला कर बोलता हूँ कि तुम्हारा काम मुझे नहीं पटता है, मुझे यह काम नहीं करना है, अगली बार मेरे पास आना नहीं और मेरा समय गंवाना नहीं। करना है - हां या नहीं, मैं दो ही शब्दों में बात करता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं अधिकारियों से नहीं पूछता हूँ, उनसे कभी नहीं पूछता हूँ कि यह काम होगा या नहीं होगा, मैं अपनी तरफ देखता हूँ, अगर मुझे पटता है तो हां कहता हूँ। आप किसी भी एमपी से पूछिए। आप भी हमारे पास आइए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सपने दिखाने का काम नहीं करेंगे, हमारी सरकार नहीं करेगी। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: क्या सी-प्लेन 10 सालों में बनेगा? ... (व्यवधान) क्या यह सपना नहीं है? ... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : मुझे भी इस बात का दर्द होता है कि यह क्यों करना चाहिए। मैंने 11 महीने पहले अमेरिका से एक बस खरीदी थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर है, उसका नाम एमपीबीएस बस है, जो पानी पर और रोड पर चलती है। बस वहां सड़ रही है। समुद्र में बस को ले जाने के लिए समुद्र तक पानी का छोटा रास्ता बनाना पड़ेगा। मुझे मुंबई में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह रास्ता नहीं बनाना तो मैं क्या बस को हाथ में लेकर पानी में फेंकूँ, समुद्र में बस कैसे जायेगी? ... (व्यवधान) बस वहां सड़ रही है।

मैं आपको बताता हूँ कि आप सी-प्लेन की बात कर रहे हैं। मुझे आपका सहयोग चाहिए। जो हवा में चलती है, उसे एरोप्लेन कहते हैं और जो पानी में चलती है, उसे बोट कहते हैं। हमारे जो एविएशन मंत्री रहे हैं, उनसे कहा कि यह सी-प्लेन नहीं है यह फ्लाइंग बोट है। मैं इसको फ्लाइंग बोट कह रहा हूँ, आप उसको सी-प्लेन कह रहे हैं, लेकिन दोनों का कहना एक ही है। मैंने कहा कि आप तीन महीने के अंदर कानून बनाइए, नहीं तो मैं नया फ्लाइंग बोट का कानून बना कर, ठप्पा लगा कर, अपना कानून बनाऊंगा। अब हवा और पानी में चलने के लिए हमने अमेरिका से कानून लाया, हमने कनाडा से कानून लाया। यह बात आपकी सही है कि वहां बहुत सालों से यह चल रहा है।

वह कानून लाकर एविएशन मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग को मिलकर एक एक्ट बनाकर पास कराना होगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब इसका ड्राफ्ट बनेगा, तो हम लोग नदी में बैरिजेज नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पर हमें बैरिजेज बनाने पड़ेंगे। ये बैरिजेज अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देशों में बने हैं। एक माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी आकर हमें कहता है कि यह मत करो। अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक जज ने निर्णय दिया कि यदि यमुना में ड्रेजिंग करनी है और पानी में बोट चलानी है, तो इलेक्ट्रिक से भी बोट चलेगी। आप बताइए कि

इलेक्ट्रिक से चलने वाली बोट में कहाँ से लाऊँ। काम उन्होंने बंद कर दिया। एक टेंडर निकाला था, जो रुक गया। ऐसी अड़चनें आती हैं। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इन सब समस्याओं पर बात करनी होगी। लोगों को विकास का मुद्दा समझाना होगा। एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर चलना होगा। इकोनॉमी को भी मजबूत करना है, एथिक्स के साथ भी चलना है और इकोलॉजी एवं पर्यावरण को भी संभालना है, पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करना है। हम तीनों बातों का समन्वय रखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 111 नदियाँ हैं, अभी एक सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि इसमें चम्बल नदी नहीं आयी। अभी एक मुख्य मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, से मैंने कहा कि आप प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि हमारी नदी आप ले लेंगे। मैं नदी को अपनी जेब में डालकर कैसे नागपुर जाऊँगा। ... (व्यवधान) मैं नदियों का क्या करूँगा? 111 नदियों में जितनी भी नदियाँ आयीं, उनसे संबंधित बिल पास हो गया। यदि किसी भी नदी में जलमार्ग बनाना है, तो मुझे फिर से नया बिल लाना पड़ेगा, फिर से कैबिनेट में जाना पड़ेगा, फिर से संसद में जाना पड़ेगा और एक-एक नदी को जोड़कर उसे जलमार्ग करना होगा।

मैं सदन के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि इसमें जो भी नदियाँ नहीं आयी हैं, मुम्बई की मीठी नदी इसमें नहीं आयी है, इसे उसमें डालें, जितनी भी नदियाँ इसमें नहीं आयी हैं, उतनी नदियों के बारे में आप मुझे बताएँ, मैं फिर से बिल बनाऊँगा और आपकी अनुमति लूँगा।

अभी आपने मुम्बई की बात की। 15 दिनों के अंदर, श्री सावंत जी, हम लोग 800 करोड़ रुपये की लागत से एक नया क्रूज़ टर्मिनल बना रहे हैं, उसका भूमि-पूजन करने जा रहे हैं। 80 क्रूज़ आए। एक क्रूज़ में चार हजार लोग आते हैं। एक क्रूज़ को तो मैं देखकर हैरान हो गया। वह संसद के हॉल से चार गुना बड़ा था। मैं और वहाँ के मुख्य मंत्री उसके अंदर गये। हम देखते रह गये, उसका स्टेज बहुत ही बड़ा था। उसमें चार हजार रूम और 28 रेस्टोरेंट्स थे। ऐसे 80 क्रूज़ इस साल मुम्बई आए। पाँच साल में साढ़े नौ सौ क्रूज़ आ रहे हैं। अंडमान-निकोबार के सम्माननीय सदस्य श्री बिष्णुपद राय जी यहाँ बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मुम्बई से अंडमान-निकोबार क्रूज़ शुरू होगा। उसके लिए हमने तय किया है। मुम्बई से गोवा के लिए एक 500 सीटर का लग्जरी क्रूज़ चलेगा। एक महीने के अंदर हम लोग वहाँ जाएंगे और मुम्बई से गोवा क्रूज़ के लिए सर्वे शुरू करेंगे।

मैं सम्माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि गंगा में सेवन स्टार और फाइव स्टार क्रूज़ आज हैं, वाइज़ैग में भी आएंगे। मैं देश के युवाओं से अपील करता हूँ, अभी मैं रशियन सरकार के साथ कैटामरीन बनाने के लिए एमओयू साइन करने जा रहा हूँ। कैटामरीन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नदियों और समुद्र में चलेगा। 20 हजार किलोमीटर का सी-फ्रंट बनेगा और 111 नदियों का 20 हजार किलोमीटर का रीवर-लेंथ, पाँच लाख तालाब और उसके साथ छः हजार बड़े डैम होंगे।

एक फीट पानी पर हवाई जहाज पानी में उतरता है। 300 मीटर में यह तो खेत में भी उतर सकता है। नौ सीटर हवाई जहाज के जेट इंजन की कीमत 150 करोड़ रुपये है। मैंने उसे कहा मेक इन इंडिया से करो। तो, उसने कहा मुझे कितनी लागत तक आना चाहिए, मैंने कहा कि आठ करोड़ रुपये में बनेगा। उसने कहा कि 12 करोड़ रुपये में बनेगा। यह 12 करोड़ रुपये में बनेगा, इसे कोई भी खरीद सकता है। यह दिन भर चल सकता है। मुम्बई चौपाटी से निकलकर शिर्डी साईं बाबा के दर्शन करके वापस आए। फिर मुम्बई से गोवा और वहाँ से अंडमान-निकोबार चले गये। इससे एक रिवोल्यूशन होगा। यह बात सही है कि हम innovation, entrepreneurship, technology और research को नॉलेज कहते हैं। इस नॉलेज के वैल्यू में कंवेर्जेंस से ही हमारा भविष्य है। आज हम इलैक्ट्रिक बस, इथिनॉल बस, मिथिनॉल बस और इलैक्ट्रिक बाइक्स आदि ला रहे हैं। हम यह बातें कर रहे हैं कि इनके लिए किसान फ्यूल तैयार करेगा। ये सब कठिन काम हैं। इन बातों को बताने के बाद इन्हें पूरा करने में काफी समय लगेगा।

यदि मैं यह सवाल पूछूं कि इस सब के ऊपर पिछले अनेक सालों में क्या हुआ? लेकिन मैं यह नहीं जानना चाहता हूँ कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है। हमारे प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने देश को एक नई सोच दी है। उन्होंने एक नए भारत की कल्पना की है। आखिर आप कितने हाइवे बनाएंगे? आज बहुत लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिसके कारण हाइवेज़ पर बहुत ट्रैफिक हो गया है। मैं कहता हूँ कि आप गाड़ी मत खरीदिए। हम साइकिल ट्रैक्स के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। हमारे राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। हम दिल्ली में 14 लेन की एक रोड बना रहे हैं। दिसंबर एंड तक उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके संबंध में मैंने उन्हें यह विचार दिया कि इसके उद्घाटन के दिन हम अपने सभी एम.पीज़. के साथ साइकिल पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे।

आज देश में ऑटोमोबाइल्स का 22 परसेंट ग्रोथ रेट है। इसी स्पीड से यदि गाड़ियां बढ़ेंगी, तो मुझे हर 3 सालों में नेशनल हाइवेज़ में एक लेन एड करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 80 हजार करोड़ रुपये है। देश में 52 लाख किलोमीटर्स की रोड-लैन्थ है, जिसमें से 96 हजार किलोमीटर का सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग था। हमारी सरकार के आने के बाद मैंने उसे 1,70,000 किलोमीटर, यानी दोगुना कर दिया। यहां उपस्थित लोगों ने जिन जगहों पर मांग की, वहां हमने नेशनल हाइवे बनाकर दिया है। अब 2,00,000 किलोमीटर का और काम करने में समय लगेगा। पिछले साल 16.50 हजार किलोमीटर के काम अवॉर्ड किए गए और इस साल हमें 20 हजार किलोमीटर के काम अवॉर्ड करने हैं।

मैं मानता हूँ कि इन कामों को पूरा करने में अड़चनें और तकलीफें हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे इस काम को पूरा कर रहे हैं। हमारी पहली प्रायॉरिटी वॉटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट- sea transport है। वॉटर

ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है। उसमें और अन्य ट्रांसपोर्टर्स में बहुत ही अंतर है। वॉटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट के बढ़ने से तेल एवं अन्य चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इससे एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री में भी बढ़ावा होगा।

हमारी सैकेण्ड प्रायोरिटी रेलवे और थर्ड प्रायोरिटी रोड्स हैं। मैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ का मंत्री हूँ। कभी-कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ या सीधा बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि रोड्स कम होनी चाहिए, जिससे उनका ट्रैफिक कम हो सके। देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिनमें 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। आज एक घर में 4 आदमी रहते हैं जिनके पास 6 गाड़ियां हैं। देश कैसे चलेगा? अतः इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के लिए वॉटर ट्रांसपोर्ट पर्याय है। वॉटर ट्रांसपोर्ट के जरिए आप एक ट्रक में 10 टन माल लेकर जा सकते हैं। कोलकाता के हुगली में कोचीन शिपयार्ड एक फैक्ट्री लगा रहा है, जिसमें वह जर्मन से डिज़ाइन लेकर आया है। जो बार्ज इंजन पर 2 हजार टन माल लेकर जा रहा था, उसी बार्ज का सिर्फ डिज़ाइन बदल देने से वह बार्ज अब 3.5-4 हजार टन माल लेकर जा रहा है। फरक्का के गेट पर एल एंड टी काम कर रही है। वहां 400 करोड़ रुपये की रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। फरक्का की प्लश बांग्लादेश जा रही है।

मैं आप सब को बताता हूँ कि आने वाले समय में आप सब के सहयोग से यह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक नई क्रांति होगी। मैं मानता हूँ कि यह बहुत कठिन काम है। अभी इसकी शुरुआत हुई है। इसको जो 2-4 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, उनसे क्या होगा? 2-4 हजार करोड़ रुपयों से कुछ नहीं होता है। मैंने उसके लिए भी मार्ग निकाला है। मैं जब मंत्री बना, तब पहले साल 12 मेजर पोर्ट्स का प्रॉफिट 3 हजार करोड़ रुपये रहा, दूसरे साल 4 हजार करोड़ रुपये प्रॉफिट, तीसरे साल 5 हजार करोड़ रुपये प्रॉफिट और इस साल 7 हजार करोड़ रुपये का प्रॉफिट वहां हुआ है। मैंने प्रॉफिट वाले पोर्ट्स के चेयरमैन से कहा कि आप एक सब्सिडरी कंपनी खोलिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें उनका क्या काम है? मैंने उनसे कहा कि इसमें वे रिवर ट्रांसपोर्ट का काम करें। इस पर वे बोले कि यह तो घाटे का काम है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप जो प्रॉफिट का काम करते हैं, वह प्रॉफिट आपका है या सरकार का है? मैंने उनसे कहा कि आपका जो प्रॉफिट है, वह हिन्दुस्तान की जनता का है और आप उसे इनलैण्ड वॉटरवेज़ में डालिए। महाराष्ट्र के सारे जलमार्ग जे एंड पी.टी. बनाएगा। वहां प्रॉफिट है। इस पैसे के माध्यम से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। आप सब के सहयोग से कुछ इन्वेस्टमेंट पी.पी.पी. में आएगा, कुछ प्राइवेटाइजेशन में आएगा और कुछ हाइब्रिड एन्युटी में आएगा। मैं मानता हूँ कि दो सालों में हम कम से कम 12-15 जलमार्ग भी बना पाए, तो वह काफी होगा। इतना सब काम करने में काफी समय लगेगा और अनेक समस्याएं और अड़चनें भी आएंगी। आप सभी के सहयोग के बिना हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। मैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप सब अगली बार रोड, रिवरवेज़ और पोर्ट्स की अलग-अलग चर्चा कीजिए, ताकि मुझे

सब की बातों का जवाब देने का अवसर मिले। मैं आप सब का आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने यूनैनिमसली इस बिल का सपोर्ट किया है। आप सबने इस बिल से जो अपेक्षा व्यक्त की है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे और निश्चित रूप से आप सभी इस बिल को मंजूरी देने की कृपा कीजिए। आप सब से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No questions please.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill further to amend the Central Road Fund Act, 2000, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI NITIN GADKARI : I beg to move :

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

17.47 hours**REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE
PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Item No. 27.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister will just move the Bill for consideration.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 27, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017.

Now, the Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, do you want to say something about this Bill?

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, let it be taken up tomorrow. We have the House tomorrow also.

HON. CHAIRPERSON: The House is there up to 6 o'clock.

SHRI HARDEEP SINGH PURI : Madam, any sovereign State, which stands to reason must have the power to requisition and acquire property for defence and national security purposes. This power of the State is exercised with an equal obligation that the State must pay compensation on a fair and just basis. Even during war time, prior to 1947, the Defence of India Act, 1939 and rules made thereunder gave the State these powers. After 1947, the Requisition Land

(Continuance of Powers) Act of 1947 gave the State these powers. This Act expired in March 1952.

The present Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 was enacted on 14 March 1952. This Act has been amended on 11 occasions. The present is the 12th Amendment and it is being introduced specifically for defence and national security purposes.

Section 3 of this Act provides for requisition of property while Section 7 provides for acquisition within a period of 17 years of the initial requisition. The procedure, which is prescribed for acquiring the requisition property mandates that a show-cause notice and then an order of acquisition in a prescribed form 'J' be issued. The notice for acquisition provides an opportunity to concerned persons to be heard before the order of acquisition is passed.

Why are we coming with this Amendment? Very often, we find that an order of acquisition is challenged and challenged in a manner in order to delay the proceedings. After the litigation process is complied with and the Government intervention in the interim has already raised the value of the land many times, the question arises: From which date will you provide the compensation to the person or entity whose land has been acquired?

In many cases, the Government finds itself in a situation where the compensation that is being sought as a result of the challenges which are brought before the court on the limited plea that the party concerned has not been heard, results in unintended benefits accruing to the party whose land has been acquired.

The purpose of this amendment, in short, is to provide with the retrospective effect from 1952 that the acquisition notice under Section 7 will be deemed to have been issued with retrospective effect. In other words, if a person brings a challenge to the acquisition, that person will have to pay the cost of bringing that challenge. The State, meanwhile, has no intention of

going back on its obligation to pay just and fair value. The compensation which will be paid for the acquisition for national security purposes will be calculated from the original date of the original notice and the State, meanwhile, will pay fixed deposit rate as paid by the State Bank of India. This is the crux of the amendment that we are seeking to bring. I have received notices from three hon. Members for specific amendments that they want to introduce. Maybe, because of the lateness of the hour, I do not know whether you would wish me, Madam, to take up those amendments now or we take them up tomorrow when we bring the Bill up for a detailed consideration.

श्री रमेश बिधुड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैडम, माननीय मंत्री जी ने अभी यह बिल इंट्रोड्यूज़ किया है, 'रिक्वीज़िशन एण्ड एक्यूज़िशन इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट बिल) 2017'। इस देश के अंदर प्रधान मंत्री जी ने लगभग सवा सौ बिलों में अमेंडमेंट और बदलाव किए हैं, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे। पहले किसी ने न चिंता की या सोचा नहीं था, क्योंकि जो बिल में अमेंडमेंट होते थे, वह सलीम भाई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर पाते थे। आप लोग जिनको समर्थन किया करते थे।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : यह आपका बनाया हुआ कानून है।

श्री रमेश बिधुड़ी : यह अपना बनाया हुआ कानून है, जिनको आप जानते हैं। उस समय कौन सत्ता में थे। आप वहीं से निकल कर आए हैं। इस बिल को इसीलिए, For the interest of the nation and for the interest of the security of the nation. इस बात को लेकर इस बिल में अमेंडमेंट लाया गया है। मैं इसके समर्थन में इसलिए भी खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर देश की तरक्की के लिए, डिफेंसेज़ के लिए कहीं जमीन एक्वायर करनी हैं, सैक्शन 3 का नोटिस देना है। मुझे पहले ये सारी बातें माननीय मंत्री जी ने बतायी हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जिसकी जमीन एक्वायर होती है, वह कोई छोटा किसान नहीं होता, एक एकड़, दो एकड़ या चार एकड़ का मालिक नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बातें लीक हो जाया करती हैं और सभी छोटे किसानों की जमीनों को एक पैसे वाला व्यक्ति खरीद लेता है कि यह जमीन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्वायर होने वाली है। वह जमीन खरीद लेता है, जैसे ही गवर्नमेंट नोटीफिकेशन करेगी, क्योंकि हमारा प्रोवीजन है। फण्डामेंटल राइट्स के अनुसार आदमी कहता है कि आपने मुझे नोटिस तो दे दिया और सैक्शन 7 का नोटिस भी दे दिया। मैंने तो सुना ही नहीं था। इस बात को लेकर आदमी कोर्ट में चला जाता है। जब आदमी कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। वह कोर्ट में स्टे के बावजूद इसलिए लटकाया जा रहा है कि मेरी संपत्ति की जो कीमत है, वह बढ़ रही है। जमीनों की कीमत बढ़ेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो डेवलपमेंट है या डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को कुछ करना है तो वह नहीं कर पाएगी और डिले होता चला जाएगा। 15-20 साल के बाद अगर कहीं न कहीं कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया या उसके फेवर में दे दिया और जैसे अभी हालात हैं, 24/2 दिल्ली लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर डी.डी.ए. में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश हुआ है। आज अरबों रुपये की संपत्ति डी.डी.ए. और कुछ लोगों के माध्यम से मिलकर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए हैं। संपत्ति को हड़प कर लिया गया। जैसे 2जी स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला आदि इस प्रकार के जो घोटाले होते थे, उन घोटालों से बचने

के लिए कि अगर हम सैक्शन 7 इंप्लीमेंट करेंगे और कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर कर दिया तो सरकार उसको कंपनसेशन देगी लेकिन कम्पैनसेशन तभी देगी, जब सैक्शन-3 का नोटिस दिया था, उसी कीमत पर देगी। लेकिन उसके साथ-साथ ... (व्यवधान) लेकिन उसे तीन के बाद जो 15, 17 या 20 साल लगे हैं तो उस पर सरकार उसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरैस्ट है, उस पर इंटरैस्ट देगी। हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करने के लिए इसका विरोध करेंगे। इस कानून में केवल नेशनल सिविलिटी और डिफेंस के लिए अगर जमीन एक्वायर होगी, इस बिल के अंदर प्रोविजन है कि तभी यह व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई केन्द्र सरकार से मॉल बनाने के लिए या कोई अन्य किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा तो वहां यह क्लॉज लागू नहीं होगी। दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के समय के सैक्शन 81 और 33 कानून चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें एबॉलिश करने के लिए यहां एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। कोई जमींदार सात एकड़ या दस एकड़ जमीन का मालिक है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तब उनकी मोनोपोली होती थी। अगर मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे घर बनाना है या बच्चों में सम्पत्ति बांटनी है तो अगर मैं उसमें से एक-दो एकड़ जमीन बेचना चाहूं तो मैं देश की 70 साल की आजादी के बाद आज भी वह नहीं बेच सकता। मुझे सारी की सारी दस एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। मैं उसमें से एक-डेढ़ एकड़ जमीन नहीं बेच सकता, कहां गये हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस देश में सत्तर सालों तक सरकार में बैठे रहने वाले लोगों के लिए ही ये राइट्स थे। चूंकि वह अपनी एक या डेढ़ एकड़ जमीन नहीं बेच सकता, इसलिए बेचारे को मजबूरी में अपनी पूरी 12 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी या किसी और बच्चे के नाम करनी पड़ेगी और सरकार को जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा।

मैं गांव का व्यक्ति हूं, मेरा परिवार बढ़ गया, मेरे चार बेटे हो गये। मेरे गांव के बाहर रोड से लगी हुई मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैं उस पर अपनी निजी मकान बनाऊंगा तो सैक्शन 81 के अंदर उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर देंगे। आज तक दिल्ली में एक इंच जमीन ग्राम सभा में वेस्ट नहीं हुई है। लेकिन ग्राम सभा में वेस्ट होने के नाम पर एक्जीक्यूटिव अथारिटीज आती हैं, उनको डराती हैं और उनसे पांच से दस लाख रुपये लेती हैं, जो व्यक्ति पैसा नहीं देता, उसके मकान को वे डिमालिश कर देती हैं कि आपने लैंड यूज चेंज कर दिया। आज तक सैक्शन 81 के कानून में बदलाव नहीं हुआ। इस प्रकार के जो कानून हैं, इन कानूनों से निजात पाने के लिए जो पैसा सरकार को देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए या देश की रक्षा के लिए देना चाहिए, वह चंद लोगों के हाथों में चला जाता है। अभी बातों-बातों में एक केस आया है। इसके अलावा एक और केस है। रोटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी 25 साल पहले बनी। उसकी जमीन डाइवर्सिटी

पार्क के नाम पर एक्वायर कर ली, वहां न तो आज तक डाइवर्सिटी पार्क बना है और न उस सोसाइटी को घर बनाने के लिए जमीन दी गई है। कम से कम इस कानून के अंदर अगर सोसाइटी या डाइवर्सिटी पार्क बनाने के नाम पर जमीन एक्वायर की जायेगी तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। कुछ लोग जमीन के नाम पर फील्ड में ग्राउंड के लोगों को गुमराह करने की बात भी करेंगे कि अगर आज मेरी जमीन एक्वायर हो गई, मुझे सुनने का मौका नहीं दिया और सरकार ने जबरदस्ती तानाशाही करके मेरी जमीन ले ली। इसलिए यह कानून उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोटबंदी का कानून लेकर आए थे। लोग अब भी चिल्ला रहे हैं। जबकि नोटबंदी को देश की जनता ने एक्सैप्ट किया है कि अच्छा निर्णय हुआ है। लोग अभी भी पूछते हैं कि 15 लाख हजार करोड़ रुपया आपके पास था, अगर उतना ही पैसा है तो ब्लैक मनी कहां चला गया। जो सेठ धन्नामल की तिजोरियों में माल रखा हुआ था, वह बैंकों में आ गया, उनका हजारों करोड़ रुपया टैक्स के रूप में देश में आ गया। उस टैक्स के माध्यम से ही गडकरी साहब इतने लम्बे-चौड़े विकास करते चले जा रहे हैं, जो वह अभी बता रहे थे। जो टैक्स आया है, जो ब्लैक मनी लोगों के घरों में था, हमें यह शोक नहीं था कि किसी का ब्लैक मनी है तो उसे एबॉलिश कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए। सरकार की मंशा यह थी कि अगर तुम्हारे घर में अवैध पैसा रखा हुआ है तो जो तुम्हारी कैपेसिटी है, उससे ऊपर जो पैसा है, आप उसका टैक्स इंकम टैक्स के रूप में जमा करिए। यह सरकार की मंशा थी। देश के जो 85 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनके किसी के भी घर में दो लाख, पांच लाख या दस लाख रुपये नहीं थे, यह पैसा था तो केवल ... * की तिजोरियों में था, उन्हें दर्द हो रहा था क्योंकि उनका ब्लैक मनी का पैसा उनकी तिजोरियों में था। उसी पैटर्न पर यह कानून है कि जो बड़े धन्नासेठ लोग हैं, वे छोटे किसानों की जमीन को लिंकेज होने के बाद उन जमीनों को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद जब गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करती है तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं होने देते हैं, इसके कारण देश की तरक्की और भारत की सुरक्षा में बाधा डलती है और सरकार जो आगे कदम उठाना चाहती है, वह कदम नहीं उठा पाती है।

मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहां ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह डिप्लोमैट के रूप में चालीस सालों तक विदेश में रहे हैं। इस दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट जो स्टेप उठाती है।

* Not recorded

18.00 hours

मुझे मालूम है उनकी सहमति इनको चाहिए, वे बिल पास कर के भेजेंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर है, इस एनसीआर को होते हुए, नैशनल कैपिटल को होते हुए, अगर यह दिल्ली की सरकार न करे, केजरीवाल सरकार न करे तो सैक्शन 81 के अंदर, 24(2) के अंदर, दिल्ली में विकास के लिए डीडीए की जो जमीन जानी थी और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्वैश कर दिया है, लोगों की पिटीशन के रूप में कह दिया है कि जमीनों को वापस दो, उस जमीन पर कोई अच्छा एडवोकेट बिठा कर उस जमीन को वापस लाया जाए, जो दिल्ली के विकास के लिए काम आएगी।

आज दिल्ली सिकुड़ती जा रही है। आज दिल्ली में जमीन है नहीं और वह जमीन दिल्ली के विकास के लिए काम आ सके, वह भी एक नैक्सस के माध्यम से ऐसी घटना घट रही है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ramesh Bidhuri, you can continue your speech tomorrow.

The House stands adjourned to meet again tomorrow at 1100 am.

18.01 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday,
December 20, 2017/Agrahayana 29, 1939 (Saka).*
